भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 अक्तूबर 2022 – 31 दिसंबर 2022)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 25 **जनवरी, 2023** **अंक-1**

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

"भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण" एवं "प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने" के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जोकि प्रेस के लिए तथा प्रेस के हितप्रहरी के रुप में कार्य करती है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि- "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिस पर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी। परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जोकि प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य स्तरों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in,
so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्ति *	-	-
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आजकाल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जयशंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

* श्री विनोद के. जोस, जिन्हे राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 06.10.2021 के जरिये सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ने 23.10.2021 को त्यागपत्र दे दिया, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (5) के अनुसरण में 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंदबाजार पत्रिका, बंगला दैनिक, कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडु
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाश दीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
	समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}	
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}	
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
	लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
रिक्त**	राज्य सभा	
	सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ	

* इस श्रेणी में नामांकन अभी प्राप्त होना है।

** डॉ. के. केशव राव, परिषद की निरंतर तीन बैठकों अर्थात्, 26.10.2021, 16.11.2021 और 08.08.2022 में शामिल नहीं होने के कारण प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत, परिषद के सदस्य नहीं रहे।

विषय सूची

	प्राक्कथन	1
	संक्षिप्त विवरण	3
1.	पत्रकारिता जगत से	7
2.	सतर्कता जागरूकता सप्ताह रिपोर्ट-2022	13
3.	संविधान दिवस रिपोर्ट - 2022	15
4.	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	16
5.	प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 13 के अंतर्गत)	18
6.	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (धारा 14 के अंतर्गत)	19
7.	परिषद के न्यायनिर्णय	24
8.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची	105
9.	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेश	106

प्राक्कथन

प्रेस परिषद समीक्षा, त्रैमासिक पत्रिका, भारत में प्रेस के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा निरंतर किए जा रहे अर्ध-न्यायिक और परामर्शीय क्रियाकलापों का प्रतिबिंब है।

तिमाही के दौरान, परिषद ने कुल 24 मामलों में न्यायनिर्णय किया, जिनमें से छह (06) धारा 13 के तहत और अठारह (18) मामले धारा 14 के तहत थे। पीसीआई ने पांच (05) मामलों में *स्वप्रेरणा* से संज्ञान भी लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022 दिनांक 16.11.2022 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में मनाया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने "पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022" का विमोचन किया। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित करते हुए, आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, गणमान्य व्यक्तियों ने 'राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका' विषय पर विचार-विमर्श किया, ताकि उन युक्तिसंगत तरीकों की सराहना, विश्लेषण और जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे मीडिया, राष्ट्र की प्रगति में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता तथा अखंडता को बढ़ावा देने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 मनाया गया। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान और संविधान दिवस भी मनाया गया।

इस प्रकार, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह त्रैमासिक पत्रिका सूचनात्मक संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

****

संक्षिप्त विवरण

प्रेस परिषद समीक्षा का यह जनवरी, 2023 अंक (01.10.2022 से 31.12.2022) है। यह रिपोर्ट भावी उद्यमों का मार्ग प्रशस्त करने और मीडिया के बेहतर प्रदर्शन हेतु तिमाही के दौरान परिषद द्वारा निभाई गई परामर्शी और अर्ध-न्यायिक कार्रवाइयों का प्रतिबिंब है। यह भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पत्रकारिता के मानकों को उन्नत करने के लिए की गई कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवधि के दौरान, परिषद ने एक ओर, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संतुलन और सौहार्द को बढ़ावा देने तथा दूसरी ओर, समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया।

परिषद के समक्ष शिकायतें:

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, कुल 326 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से, 71 शिकायतें प्रेस द्वारा सरकारी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर की गयीं थीं और 255 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं।

तिमाही के दौरान अध्यक्ष द्वारा 15.11.2022 को न्यायनिर्णयन के माध्यम से 24 शिकायतों का समाधान किया गया। इनमें से, 18 मामले प्रेस के खिलाफ दर्ज़ शिकायतों के अंतर्गत और 6 मामले प्रेस द्वारा दर्ज़ शिकायतों के अंतर्गत न्यायनिर्णीत किए गए।

स्वप्रेरणा से संज्ञान:

परिषद ने तिमाही के दौरान निम्नलिखित मामलों में पत्रकारिता नीति और जनरुचि के मानकों के उल्लंघन के लिए समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया:

1. भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र, 'विश्ववाणी' के विरुद्ध स्वप्रेरणा से संज्ञान।
2. परिषद के दिनांक 15.11.2022 के न्यायनिर्णय के संबंध में अत्यधिक, भ्रामक सुर्खियों और समाचार प्रकाशित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के कई संस्करणों के विरुद्ध स्वप्रेरणा से संज्ञान।

प्रेस विज्ञप्ति

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले मामलों या पत्रकारिता नीति या विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामलों पर 11 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं।

1. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.09.2022 के अनुसरण में, पीड़ितों की पहचान और उनके बयानों के संबंध में किसी भी जानकारी को प्रकाशित न करने के लिए मीडिया को सलाह देते हुए प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 07.10.2022
2. भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र, 'विश्ववाणी' के विरुद्ध *स्वप्रेरणा* से संज्ञान के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 23.10.2022
3. पत्रकारिता के छात्रों के लिए शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी), 2023 के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 09.11.2022
4. राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह, 2022 के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 15.11.2022
5. परिषद के दिनांक 15.11.2022 के न्यायनिर्णय के संबंध में विकृत, भ्रामक सुर्खियों और समाचार प्रकाशित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के कई संस्करणों के विरुद्ध भारतीय प्रेस परिषद द्वारा *स्वप्रेरणा* से संज्ञान के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 17.11.2022
6. 16 नवंबर, 2022 को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 18.11.2022
7. यौनकर्मियों पर रिपोर्टिंग को कवर करने वाले मानकों/दिशानिर्देशों के संबंध में (दांडिक अपील संख्या 135/2010 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2022 के आधार पर) प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 29.11.2022
8. प्रिंट मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन न करने की सलाह देते हुए प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 30.11.2022
9. प्रिंट मीडिया को, परिणामों की भविष्यवाणी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की परामर्शिका संख्या 491/मीडिया नीति/2022/संचार दिनांकित 29.11.2022 में दिए गए निदेशों का पालन करने की सलाह देते हुए प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 02.12.2022
10. शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डबल्यूआईपी), 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 07.12.2022
11. कोरिया, छत्तीसगढ़ के एक संगठन द्वारा वाक्यांश "प्रेस काउंसिल" का प्रयोग करने पर संज्ञान लेने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 26.12.2022

इंटर्नशिप

परिषद के अस्तित्व और उसके अधिदेश के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और पत्रकारिता वृत्तिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने एवं उनके ज्ञानवर्धन के लिए प्रेस परिषद

अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख), (ग), और (घ) के अनुसार, परिषद के कार्यों के निर्वहन में परिषद ने पत्रकारिता के छात्रों के लिए योग्यता आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। इस तिमाही में, परिषद ने 16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023 की समयावधि के लिए तीसरे इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

ये आवेदन देश भर के सभी पात्र, पत्रकारिता छात्रों से आमंत्रित किए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए, कि सभी को अवसर दिया जाए, और PAN India Programme को बढ़ावा देने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों से छात्रों की योग्यता और उनके द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर डबल्यूआईपी के लिए दस (10) इंटर्न का चयन किया गया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022:

परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2022, स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में मनाया गया। माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, डॉ. एल. मुरुगन क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित हुए। प्रख्यात पत्रकार, श्री स्वपन दासगुप्ता ने मुख्य व्याख्यान दिया और माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष, राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय "राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका" था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर "Norms of Journalistic Conduct, 2022" का विमोचन किया।

पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण, 2022:

उच्च वृत्तिक स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने में प्रिंट मीडिया की सहायता करने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख) के अनुसार परिषद को एक आचार संहिता बनाने का आदेश दिया गया है। परिषद द्वारा दिए गए न्यायनिर्णयों एवं पत्रकारिता अभ्यास से संबंधित अन्य घोषणाओं के आधार पर विकसित मानकों को मीडिया के लिए पेड समाचार, लिंग आधारित रिपोर्टिंग आदि विषयों पर स्पष्ट और असंदिग्ध मार्गदर्शी दिशानिर्देशों के मानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पत्रकारिता के आचरण के मानक का अद्यतन संस्करण, अर्थात् 2022 संस्करण जारी किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप:

25 नवंबर, 2022 को परिषद द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया की उपस्थिति में, माननीय सचिव महोदय, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा एक साथ भारत को एक

प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाए रखने की शपथ ली गयी।

भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता को बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद के सभी कर्मचारियों द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भाग लिया गया। दिनांक 04.11.2022 को *'विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'* 'करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेव्लप्ड नेशन' विषय पर परिषद में हिंदी/अंग्रेजी भाषा में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया गया, जिसके दौरान पीसीआई द्वारा पुराने डाटा और रिकॉर्ड को ठीक करने से संबंधित कार्य किया गया। इसे पूरा करने के लिए मंगलवार, 2 अक्टूबर, 2022 को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

****

पत्रकारिता जगत से

देश में अखबार ही सबसे विश्वसनीय

सूचना क्रांति के इस दौर में जब खबरों की बाढ़ आई हुई है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी, रेडियों और डिजिटल मीडिया पर करोड़ों लोग खबरें देख–सुन और पढ़ रहे हैं, अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता कायम रखी है। सेंटर फॉर द स्टडी आंफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) के सर्वे में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि भारत में अखबार खबरों के सबसे विश्वसनीय स्रोत है। सीएसडीएस ने अपने लोकनीति कार्यक्रम के लिए केएएस संस्था के साथ मिलकर देश के 19 राज्यों के 15 साल से ज्यादा उम्र के 7463 लोगों के मीडिया व्यवहार पर अध्ययन किया। इस सर्वे में शामिल लोग शहरी और ग्रामीण दोनों पृष्ठभूमि के हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 3 सालों में स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इस पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ा है। 10 में से 9 व्यक्ति खबरों के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीन–चौथाई लोग सीधे सर्च इंजन पर खबरें तलाशते हैं। 10 में से 7 लोग न्यूज वेबसाइट्स पर खबरें पढ़ते हैं। दो तिहाई लोग ईमेल पर खबरें पढ़ते हैं, लेकिन नियमित तौर पर नहीं। इन सबके बाद भी विश्वसनीयता के मामले में वे अखबारों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते है। इंटरनेट यूजर्स ने कहा कि वे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों पर अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सरकारी एजेसियों से ज्यादा भरोसा करते हैं। 46% ने कहा कि सरकार का यह फैसला करना गलत है कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए और क्या नहीं। लोग मानते हैं कि सरकार सूचनाओं का सर्विलांस कर रही है। 49% मानते हैं कि लोग इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। इसे मॉनिटर कर रही है। लोग फोन पर बातचीत के सर्विलांस को सोशल मीडिया पर सर्विलांस की अपेक्षा पूरी तरह गलत मानते हैं। यह सर्वे दिल्ली, बिहार, छत्तीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, बंगाल, ओडिशा, पंजाब में हुआ।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
22/10/2022

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं सरकारें: गुटारेस

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियों गुटारेस ने सोमवार को कहा कि इस साल 70 से अधिक पत्रकार मारे गए हैं और रिकार्ड संख्या में मीडियाकर्मी वर्तमान में जेल में बंद हैं। विश्व निकाय ने कहा कि पत्रकारों को जेल में डालने और जान से मारने की धमकी जैसी धटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसने सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया।

गुटारेस की टिप्पणी दो नवंबर को 'इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, से पहले आई है। महासचिव ने कहा, स्वतंत्र प्रेस एक लोकतंत्र के लिए काम करने, गलत कामों को उजागर करने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा, फिर भी समाज में इस भूमिका को पूरा करने के दौरान इस वर्ष 70 से अधिक पत्रकार मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर अपराध अनसुलझे हैं। इस बीच, आज रिकार्ड संख्या में पत्रकार जेल में बंद हैं तथा उन्हें करावास, हिंसा और जान से मारने की धमकी देने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
01/11/2022

'प्रकाशित सामग्री के लिए मुख्य संपादक दोषी नही'

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया कि किसी प्रकाशन में कोई लेख छपने पर मुख्य संपादक के खिलाफ अवमानना का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह तभी चलाया जा सकता है जब आरोप विशेष रूप से मुख्य संपादक पर हों।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने प्रेस एंड रजिस्टेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट, 1867 की धारा 7 कहती है कि अखबार या मैगजीन में छपी सामग्री के लिए संपादक और मुद्रक जिम्मेदार होगा। मुख्य संपादक या एडिटर इन चीफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह तभी संभव है जब मुख्य संपादक के खिलाफ आरोप पर्याप्त और विशेष रूप से लगाए गए हों।

एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में इंडिया टुडे के मुख्य संपादक अरुण पुरी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि मुख्य संपादक भी लेख के लिए जिम्मेदार हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने अरुण पुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला समाप्त कर दिया।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
02/11/2022

'लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया का बड़ा योगदान'

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मीडिया का बड़ा योगदान है। प्रोफेसर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की ओर से आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के आयोजनों की कड़ी में बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार के आर मलकानी के जयंती समारोज पर बुधवार को 'मीडिया एंड अकाउंटेबिल्टी' विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया था।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति ने कहा कि मलकानी ऐसे पत्रकार थे जो एक साथ हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादक रहे। मीडिया के विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने मीडिया के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे निर्भीक और सच्चे पत्रकार बनें। यह समाज सेवा का काम है और बहुत ही अच्छा काम है।

सेमिनार के मुख्य वक्ता, प्रसार भारती बोर्ड, के सदस्य अशोक कुमार टंडन ने विभिन्न अदालती निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया को स्व–नियंत्रण की जरूरत है। इस दौरान दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के निदेशक प्रोफेसर जय प्रकाश दुबे व दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने भी विचार रखे।

जनसत्ता
नई दिल्ली
10/11/2022

अनुराग ठाकुर ने फर्जी खबरों पर आगाह किया

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फर्जी खबरों को लेकर आगाह करते हुए बुधवार को कहा कि मीडिया को जिम्मेदार, निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता का स्थान किसी दूसरे के लिए रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर समारोह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने मीडिया से आग्रह किया कि उन्हें इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि वे स्वयं को सूचनाओं के अतिरेक के वायरस से किस प्रकार बचा सकते हैं जो भौगोलिक सीमाओं से पूर दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार को बढ़ा रहा है।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह अत्यधिक खेदजनक है कि एक प्रमुख डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म को हाल ही मे केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार में शामिल पाया गया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी खेदजनक है क्योंकि ऐसा करते हुए यह भी ध्यान नहीं रखा गया कि इसका भारत की छवि और राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार को हथियार बनाने की समस्या से दुनियाभर के लोकतंत्र अवगत हैं।

मीडिया में स्वनियमन ढांचे का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को गलती करने का लाइसेंस मिलता हो। उन्होंने कहा कि इससे मीडिया की विश्वसनीयता कम होती है। उन्होंने कहा कि पक्षपात एवं पूर्वाग्रह से बचा जाना चाहिए।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
17/11/2022

आतंकी हमलों की 'रिर्पोटिंग' करते समय सावधानी बरते मीडियाः ठाकुर

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकी हमलों की 'लाइव' रिपोर्टिग' करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इससे हमलावरों को उनके बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए सुराग नहीं मिलना चाहिए।

ठाकुर ने 'एशिया–पैसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन' (एबीयू) महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया का भूकंप, आग और उससे भी अहम आतंकवादी हमलों के मामले में जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवादी हमले के मामले में किसी भी 'लाइव रिपोर्टिग' से हमलावरों को उनके बुर इरादों को अंजाम देने में मदद करने वाला कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि जिस गति से सूचना प्रसारित की जाती है, वह अहम है, सटीकता और भी महत्त्वपूर्ण है और संवाददताओं के दिमाग में यह प्राथमिक रूप से होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार मीडिया संगठनों के लिए जनता का. विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान घरों में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आने का श्रेय मीडिया को देते हुए कहा कि यह मीडिया ही था जिसने ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़े रखा।

उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने आम तौर पर यह सुनिश्चित किया कि कोरोना जागरूकता संदेश, अहम सरकारी दिशानिर्देश और डाक्टरों के साथ मुफ्त आनआइन परामर्श के बारे में जानकारी देश के कोने–कोने तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने कोरोना से अपने सौ से अधिक सदस्य खो दिए लेकिन इसके बावजूद इस संगठन ने अपनी सार्वजनिक सेवा को आगे बढ़ाना जारी रखा।

जनसत्ता
नई दिल्ली
30/11/2022

सुप्रीम कोर्ट में ऑल वुमन जज बेंच, इतिहास में ऐसा तीसरा–चार साल में दूसरा मौका; दो जजों ने 32 केस सुने

अमूमन सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की अलग बेंच नहीं बनती। लेकिन गुरुवार को सिर्फ महिला जजों की बेंच बनी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच कोर्ट नंबर 11 में बैठी। बेंच ने 32 मामलों में सुनवाई की। इनमें 10 वैवाहिक विवाद के थे। 11 जमानत से जुड़ी ट्रांसफर याचिकाओं और अन्य 11 अलग–अलग विवादों से जुड़े थे।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदिश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरा मौका था पहली बार साल 2013 में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना प्रकाश

देसाई की बेंच बनाई गई थीं। दूसरा मौका साल 2018 में आया। तब जस्टिस आर भानुमति और जस्टिम इंदिरा बनर्जी की बेंच गठित की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज हैं। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदीं। जस्टिस नागरत्ना 2027 में पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं।

- 1989 में जस्टिस एम. फातिमा बीबी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को पहली महिला जज मिली थी।
- सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक 10 महिलाएं जज रही चुकी है।
- सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में अधिकतम 3 महिला वकीलों ने दलील पेश की हैं। ऐसा 33 बार हो चुका हैं।

पहली बेंच का हिस्सा रहीं जस्टिस रंजना देसाई ने कहा इंसाफ की कुर्सी पर क्या महिला और क्या पुरूष..... बनाना है भेद न ही हो तो बेहतर– 'सुप्रीम कोर्ट के इतिहास मे पहली संपूर्ण महिला पीठ की सदस्य होने के तौर पर मेरा नाम जुड़ा है। मेरे साथ दूसरी सदस्य जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी। हालांकि मेरा निजी मत है कि ऐसा भेद न ही हो तो बेहतर। इंसाफ की कुर्सी पर क्या महिला और क्या पुरूष। महिलाएं भी तो उतनी ही बुरी या उतनी अच्छी हो सकती हैं, जितने बुरे या अच्छे पुरूष हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नही पड़ता कि कुर्सी पर महिला थीं या पुरूष। न्यायाधीश चुने जाने का आधार या मानक पुरूष या महिला नहीं होता। चयन और नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही होती है।' (जस्टिस देसाई प्रेस काउंसिल की वर्तमान अध्यक्ष हैं। संयोग से वे इसकी भी पहली महिला अध्यक्ष हैं।)

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
02/12/2022

परिषद के परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022-रिपोर्ट

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों के साथ 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 मनाया गया।

1. 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022' मनाने संबंधी बैनरों की छपाई :

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 संबंधी बैनर मुद्रित करवाए गए और परिषद के परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किए गए।

2. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध परिषद के कर्मचारियों द्वारा 31.10.2022 को ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली गई।

3. संगठन के भीतर आयोजित गतिविधियाँ / घटनायें:

04 नवंबर, 2022 को 'करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेव्लप्ड नेशन' विषय पर परिषद में अंग्रेजी /हिंदी भाषा में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा परिषद के कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विजेताओं का चयन कर लिया गया है।

संविधान दिवस, 2022 पर शपथ ग्रहण समारोह

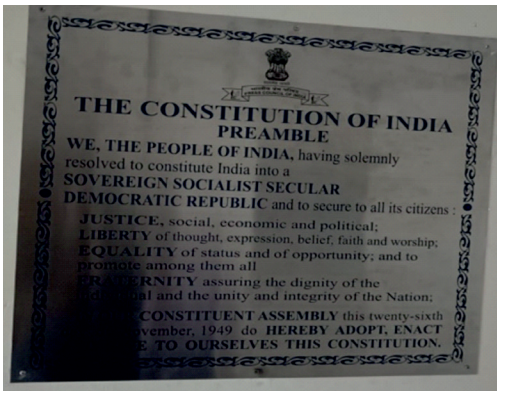

परिषद में प्रमुख स्थानों पर भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) को लगाया गया।

संविधान दिवस 2022 रिपोर्ट

परिषद में दिनांक 25 नवम्बर, 2022 को संविधान दिवस मनाया गया। इस दिन, परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया, सचिव महोदय, अधिकारी एवं कर्मचारीगण प्रातः 11.00 बजे परिषद के सभाकक्ष में एकत्रित हुए तथा भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की एवं भारत के समस्त नागरिकों की सुरक्षा की शपथ ली।

इस अवसर पर, माननीय अध्यक्ष महोदया ने आमतौर पर, देश के लिए और किसी व्यक्ति-विशेष के जीवन में संविधान के महत्व के बारे में चर्चा की। परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संवैधानिक मूल्यों पर हुई चर्चा में भाग लिया।

परिषद द्वारा, इसे बढ़ावा देने हेतु, भारतीय प्रेस परिषद परिसर के प्रत्येक तल के प्रमुख स्थानों पर, भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) को हिंदी और अंग्रेजी में लगाया गया।

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या/9/2022-पीसीआई दिनांक: 07.10.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.09.2022 के अनुसरण में, पीड़ितों की पहचान और उनके बयानों के संबंध में किसी भी जानकारी को प्रकाशित न करने की मीडिया को दी सलाह।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने सीआरएल एम.पी. संख्या 13621, 2022 में, सीआरएल ओ.पी. संख्या 12934, 2021 में, पुलिस निरीक्षक, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा, चेन्नई बनाम अरुलनंथम @ अरुल; नक्खीरन प्रकाशन मामले में, निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित किए हैं:-

"चूंकि मामला यौन शोषण और यौन हिंसा से संबंधित है, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पीड़ितों या किसी भी गवाह (साक्षी) के बयान से संबंधित, किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोक लगा दी गयी है।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और गवाहों (साक्षियों) की पहचान को प्रकाशित और प्रसारित करने से भी रोक लगा दी गई है, जो जांच में बदले हुए या अस्पष्ट रूप से गवाह बनें।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य या किसी भी डिजिटल साक्ष्य, जिसे परीक्षण के दौरान चिह्नित किया जा सकता है, को प्रकाशित करने से भी रोक लगाई गई है, संक्षेप में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मामले की सुनवाई से जुड़ी किसी भी मौखिक या दस्तावेजी सामग्री को प्रकाशित करने से रोक लगा दी गई है।"

यहां स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पूर्वोक्त निदेशों का उल्लंघन करने पर उक्त इकाई के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा गंभीर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रिंट मीडिया से अपेक्षित है कि वह उपर्युक्त निदेशों को पालन करने हेतु ध्यान में रखें।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या /10/2022-पीसीआई दिनांक: 23.10.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र, 'विश्ववाणी' के विरुद्ध की स्वत: कार्रवाई।

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर: भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने इस तथ्य पर गौर करते हुए, कि कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र 'विश्ववाणी' ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित की है, स्वतः संज्ञान लिया है। कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र, 'विश्ववाणी' को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail* : pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website* : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या /13/2022-पीसीआई दिनांक: 17.11.2022

परिषद के दि॰ 15.11.2022 के न्यायनिर्णय के संबंध में विकृत, भ्रामक सुर्खियों और समाचार प्रकाशित करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के कई संस्करणों के विरुद्ध भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वत: संज्ञान।

नई दिल्ली, 17 नवंबर: टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक दिनांकित 17.11.2022 के विभिन्न संस्करणों में अत्यधिक भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर गौर करने के पश्चात, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने स्वत: संज्ञान लिया है। यह देखा गया कि विज्ञापन के मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के वक्तव्य के संबंध में, परिषद के न्यायनिर्णय को लेकर सुर्खियों और समाचारों में विकृत तथ्य दिये गए हैं। प्रासंगिक समाचार, परिषद के न्यायनिर्णय को सटीक और निष्पक्ष तरीके से नहीं दर्शाता है और इस प्रकार *प्रथम दृष्टया,* पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन करता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के विभिन्न संस्करणों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या /15/2022-पीसीआई दिनांक: 29.11.2022

दांडिक अपील संख्या 135/2010 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2022 के अनुपालन में, भारतीय प्रेस परिषद ने मानक तैयार किये और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह के अवसर पर जारी पत्रकारिता के आचरण के मानक- 2022 में सम्मिलित किया। प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

मानक 39:

खंड: ङ) यौनकर्मी

"मीडिया अत्यधिक सावधानी बरते कि यौनकर्मियों, चाहे वह पीड़ित हो या आरोपी हो, की गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियानों के दौरान उनकी पहचान न बताई जाए, और ऐसी कोई भी फोटो प्रकाशित या प्रसारित न करें, जिससे ऐसी पहचान सामने आ जाए। इसके अलावा, आईपीसी की नई धारा, 354 सी, जिसके तहत ताक-झांक दांडिक अपराध है, का मीडिया द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान की आड़ में, यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ ली गई तस्वीरें प्रकाशित / प्रसारित न की जायें।"

यह मीडिया द्वारा पालन हेतु जारी किया जा रहा है।

****

प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

(धारा 13 के अंतर्गत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	पत्रकारों, श्री दिनेश सिंह भदौरिया, श्री योगेंद्र सिंह भदौरिया और सुमेर सिंह नरवरिया, मध्य प्रदेश की श्री महावीर बघेल, जेलर, सेंट्रल जेल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (13/17/19-20 पीसीआई)	15-11-2022	समर्थन किया गया
2.	श्री योगेंद्र काशीनाथ दोरकर, संपादक, दैनिक उत्तर महाराष्ट्र की डॉ. राजेंद्र भरूड़, कलक्टर के विरुद्ध शिकायत। (124/2021-बी)	15-11-2022	समाप्त (शिकायतकर्ता की परिनिंदा)
प्रेस को सुविधाएं			
3.	श्री नवीन दास, संपादक, सत्य रा स्वर निर्भय की आईएंडपीआरडी, ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर के विरुद्ध शिकायत। (13/94/19-20/पीसीआई)	15-11-2022	वापिस लिए जाने के कारण समाप्त
स्वप्रेरणा से संज्ञान			
4.	राजस्थान के मुख्यमंत्री की मीडिया को खुले आम धमकी के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (1/2020/एसएम/बी)	15-11-2022	समर्थन किया गया
5.	भोपाल, मध्य प्रदेश में रिपोर्टर, श्री सैयद आदिल वहाब पर कथित हमले और उनकी हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/नवम्बर/4/2020-बी	15-11-2022	समाप्त
6.	राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की सकारात्मक मीडिया कवरेज के लिए रिपोर्टरों को कथित रूप से रिश्वत देने पर राजकोट कलक्टर के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (23/एसएम/2020-बी)	15-11-2022	समाचारपत्रों की परिनिन्दा एवं सरकारी प्राधिकारी को चेतावनी दी गयी

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

(धारा 14 के अंतर्गत)

क्र. सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धांत और प्रकाशन			
1	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/531/18-19-पीसीआई)	15-11-2022	शिकायत को व्यर्थ मानते हुए समाप्त
2	श्री सभाजीत यादव, गाँव परकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) की संपादक, अमर भारती, आगरा (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत। (1862/2020-ए)	15-11-2022	परिनिंदा की गई
3	श्री सुमित सिंह, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली की संपादक, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, साप्ताहिक पत्रिका, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (2076/2020-ए-पीसीआई)	15-11-2022	समयबद्ध निदेशों सहित समाप्त
4	श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट, कलक्टरेट, बाड़मेर, राजस्थान की संपादक, दैनिक भास्कर, बाड़मेर, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत। (64/2020/ए-पीसीआई)	15-11-2022	परिनिंदा की गई
5	प्रेस परिषद के निर्णय दिनांकित 22.8.2019 के विरुद्ध संपादक, दैनिक जागरण भागलपुर, बिहार द्वारा दर्ज पुनर्विचार आवेदन दिनांकित 5.11.2019 (14/484/18-19- पीसीआई)	15-11-2022	प्रेस परिषद के न्यायनिर्णय आदेश दिनांकित 22.8.2019 का प्रत्याहरण
6	श्री राजीव रंजन द्विवेदी, जनसंपर्क अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (बिहार) की हिन्दुस्तान, पटना बुद्ध मार्ग, पटना (बिहार) के विरुद्ध शिकायत (14/246/18-19-पीसीआई)	15-11-2022	टिप्पणी सहित समाप्त
प्रेस और मानहानि			
7	श्री प्रदीप सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बेगमगंज, रायसेन (म.प्र.) की संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/180/19-20-पीसीआई)	15-11-2022	जारी न रखने के कारण निपटारा, कार्रवाई बंद

8	श्री हरीश मिश्रा, संपादक, दैनिक दिव्य घोष, रायसेन, (म.प्र.) की संपादक, दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल, (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/289/19-20-पीसीआई)	15-11-2022	टिप्पणी सहित समाप्त
9	श्री नीरज चौरसिया, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश की संपादक, पेप्टेक टाइम्स, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/321/19-20-पीसीआई)	15-11-2022	व्यक्तिगत विवाद और न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
10	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, स्पष्ट आवाज़, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12-21/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित करने पर समाप्त
11	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, राहत टाइम्स, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12-21/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित करने पर समाप्त
12	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, अवामी सालार, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12-21/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	परिनिंदा
13	श्री एन एल सिंह, लखनऊ, (उ.प्र.) की संपादक, कैनविज टाइम्स, लखनऊ (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (14/12-21/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	प्रतिवादी द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित करने पर समाप्त
14	श्री एस. विजय कुमार, श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार, श्री ए.शिवराज, श्री मोहन कुमार, हसन जिला, कर्नाटक की संपादक, अरसी वर्थे पाक्षिक अर्सिकेरे, हसन जिला, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत (14/25-26/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
15	श्री एस. विजय कुमार, श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार, श्री ए. शिवराज, श्री मोहन कुमार, हसन जिला, कर्नाटक की संपादक, सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक के खिलाफ शिकायत (14/25-26/17-18-पीसीआई)	15-11-2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त

16	श्री राकेश रंजन, सुपुत्र श्री चतुर्भुज शर्मा, औरंगाबाद (बिहार) की संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना (बिहार) के विरुद्ध शिकायत। (170/2020-ए)	15-11-2022	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेखन			
17	श्री सिद्दार्थ के. जे., कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु (कर्नाटक) की श्री एम.गोविंद गौड़ा, संपादक, स्टार ऑफ मैसूर, मैसूरु एवं श्री के.बी. गणपति, मुख्य संपादक, स्टार ऑफ मैसूर, मैसूरु के विरुद्ध शिकायत। (250/2020-ए)	15-11-2022	परिनिंदा की गई
भ्रामक विज्ञापन			
18	श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर (राजस्थान) की संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर (राजस्थान) के विरुद्ध शिकायत। (09/2020-ए)	15-11-2022	परिनिंदा की गई

परिषद के न्यायनिर्णय

प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरे से संबंधित शिकायतों में, दिए गए न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 1 **फा.सं.13 / 17 / 19–20–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री दिनेश सिंह भदौरिया,
   मान्यता प्राप्त पत्रकार,
   भिंड (म.प्र.)

2. श्री योगेंद्र सिंह भदौरिया,
   जिला ब्यूरो,
   डी.एन.एन. चैनल,
   भिंड (म.प्र.)

3. श्री सुमेर सिंह नरवरिया,
   पत्रकार, नई दुनिया,
   भिंड (म.प्र.)

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
   मध्य प्रदेश सरकार,
   भोपाल (म.प्र.)

2. सचिव,
   गृह (पुलिस) विभाग,
   मध्य प्रदेश सरकार,
   भोपाल (म.प्र.)

3. पुलिस महानिदेशक,
   मध्य प्रदेश पुलिस,
   भोपाल (म.प्र.)

4. पुलिस अधीक्षक,
   भिंड (म.प्र.)

5. जेल अधीक्षक,
   उप-जेल मेहगांव,
   (सेंट्रल जेल ग्वालियर, मुख्यालय)
   भिंड (म.प्र.)

6. श्री महावीर सिंह बघेल,
   सहायक जेल अधीक्षक,
   उप-जेल मेहगांव,
   (सेंट्रल जेल ग्वालियर,मुख्यालय)
   भिंड (म.प्र.)

तथ्य

श्री दिनेश सिंह भदौरिया, मान्यता प्राप्त पत्रकार, श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला ब्यूरो, डीएनएन चैनल एवं श्री सुमेर सिंह नरवरिया, पत्रकार, नई दुनिया, भिंड द्वारा श्री महावीर सिंह, सहायक जेल अधीक्षक, उप-जेल मेहगाँव, भिंड (म.प्र.) के खिलाफ दर्ज़ यह संयुक्त अदिनांकित

शिकायत, दिनांक 23.04.2019 को सचिवालय में प्राप्त हुई जोकि कैदियों से अवैध रूप से पैसे लेने और उन्हें जेल में पीटने के संबंध में, दिनांक 27.03.2019 को आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित/प्रसारित करने के कारण, कथित रूप से उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कैदी, श्री राजेन्द्र सिंह के भाई, श्री कुलदीप सिंह द्वारा भिंड के जिला मजिस्ट्रेट को एवं कैदी के अधिवक्ता द्वारा विशेष न्यायालय के न्यायाधीश को अवैध रूप से रकम लेने एवं श्री राजेन्द्र सिंह को पीटने की लिखित शिकायत की गयी थी। यह खबर उनके द्वारा अखबारों और न्यूज चैनलों में प्रमुख रूप से प्रकाशित की गई थी। जब शिकायतकर्ता, दिनांक 30.03.2019 को राजकीय महाविद्यालय मेहगांव से समाचार कवर कर अपने घर लौट रहे थे, तब, इस बात से नाराज़ होकर, श्री महावीर सिंह बघेल ने दो कांस्टेबलों के साथ उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक जेल अधीक्षक, उप-जेल, मेहगांव, मध्य प्रदेश (प्रतिवादी संख्या 6) ने समाचार प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए उन्हें अपशब्द कहे और कांस्टेबलों को उन्हें जेल में डालने का निदेश दिया।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उच्चाधिकारियों से शिकायत की, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

भोपाल सरकार और श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक जेल अधीक्षक, म.प्र. को दिनांक 24.06.2019 को जवाबी वक्तव्य हेतु, नोटिस भेजा गया।

शिकायतकर्ताओं का अगला पत्र

शिकायतकर्ताओं ने अदिनांकित पत्र, जोकि सचिवालय में दिनांक 26.8.2019 को प्राप्त हुआ तथा महानिदेशक, जेल, मध्य प्रदेश को संबोधित था एवं परिषद को प्रतिलिपि पृष्ठांकित की गई थी, में विवेचित किया कि श्री मनोज कुमार साहू, जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांकित 16.8.2019 द्वारा उन्हें दिनांक 20.8.2019 को अपने सामने पेश होने का निदेश दिया ताकि उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। शिकायतकर्ताओं ने आगे बताया कि वे निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचे, लेकिन अधीक्षक ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। शिकायतकर्ता के अनुसार, श्री रामरूप सिंह कुशवाह, जेल दीवान, जांच को प्रभावित करने हेतु और उनके खिलाफ बयान न देने के लिए उन पर अनावश्यक दबाव बनाने के उद्देश्य से जेलर श्री महावीर सिंह बघेल के साथ बैठे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उप-जेलर, श्री महावीर बघेल और दीवान, श्री रामरूप सिंह कुशवाह ने कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, उन्हें जेल अधीक्षक से मिलने नहीं दिया। शिकायतकर्ताओं ने आगे कहा कि श्री रामरूप सिंह कुशवाह ने उनका बयान दर्ज किया, लेकिन उन्होंने इसकी प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई।

लिखित वक्तव्य

श्री अजय नथानियाल, अवर सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, जेल विभाग ने अपने पत्र दिनांकित 17.09.2019 द्वारा विवेचित किया कि इस मामले की जांच जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा की गई थी, जो जांच के दौरान गलत पाई गई थी। जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल, ग्वालियर की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करते हुए, उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

श्री मनोज कुमार साहू, जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल, ग्वालियर ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 26.8.2019 में प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ताओं, श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक जेल अधीक्षक एवं अन्य के बयान दिनांक 20.8.2019 एवं 25.8.2019 को दर्ज किये गये थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संतरी द्वारा जेल परिसर के कवरेज से इनकार करने पर और जेल के खिलाफ झूठी खबर प्रकाशित करने की दृष्टि से, शिकायतकर्ताओं ने यह झूठी शिकायत दर्ज की थी। यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा सहायक जेल अधीक्षक, श्री महावीर सिंह बघेल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि शिकायतकर्ताओं ने अपने इरादे में सफल न हो पाने से परेशान होकर दुर्भावना से यह शिकायत दर्ज की थी। यह भी विवेचित किया गया कि सहायक जेल अधीक्षक द्वारा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ थाना मेहगांव में मामला दर्ज करने की शिकायत की गयी थी, लेकिन अभी तक कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की गयी है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज़ की गई शिकायत, झूठी, निराधार और खारिज किए जाने योग्य है।

दिनांक 19.2.2021 को जांच समिति द्वारा मामले की सुनवाई की गई। चूंकि शिकायतकर्ता नंबर 1 की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जांच समिति ने अन्य शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करने के निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा दर्ज़ किया गया जवाब

पुलिस अधीक्षक, भिंड ने अपने जवाब दिनांकित 22.4.2021 में प्रस्तुत किया कि इस मामले की जांच, एसडीओ पुलिस, मेहगांव द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में विवेचित किया कि जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए थे। आगे यह भी विवेचित किया गया है कि श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक अधीक्षक, उप-जेल मेहगाँव को भी उनके बयान हेतु नोटिस जारी किया गया था और इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी कि श्री महावीर सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय अब सेंट्रल जेल, ग्वालियर में है। तत्पश्चात श्री महावीर सिंह बघेल को पुनः नोटिस जारी किया गया, परन्तु आज तक भी उनके उपस्थित न होने के कारण बयान दर्ज नहीं किये जा सके। प्रतिवादी के अनुसार, पूरी जांच और बयानों से पता चला कि जेल प्रशासन पर दबाव बनाकर जेल परिसर की रिकॉर्डिंग को अनधिकृत रूप से प्रकाशित किया जा रहा था।

जेल वार्डन द्वारा रोके जाने से नाराज होकर शिकायतकर्ताओं ने यह झूठी शिकायत दर्ज करायी है। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में यह नहीं कहा गया है कि श्री महावीर सिंह बघेल द्वारा की गई कार्रवाई के समय कोई अन्य गवाह वहाँ मौजूद था और शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत के संबंध में भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा, उक्त शिकायत दुर्भावना से दर्ज की गई है।

श्री महावीर सिंह बघेल द्वारा दाखिल जवाब

प्रतिवादी, श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक जेल अधीक्षक, उप-जेल मेहगांव, भिंड (वर्तमान में सहायक जेल अधीक्षक, उप-जेल नसरूल्लागंज, सीहोर, म.प्र.) ने अपनी ईमेल दिनांकित 10.10.2022 में विवेचित किया है कि दिनांक 30.3.2019 को सुबह 10:00 बजे, वार्डन ने उन्हें सूचित किया कि श्री सुमेर सिंह नरवरिया अपने एक सहयोगी के साथ, बिना किसी अनुमति के, जेल परिसर में अवैध रूप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि जेल की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने मेहगांव थाने के एसएचओ को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि शिकायत पूरी तरह से मिथ्या है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच अधीक्षक, सेंट्रल जेल ग्वालियर द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी, कि शिकायत मिथ्या होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से श्री राजेश कुमार सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक, जिला भिण्ड उपस्थित हुए।

दिनांक 23.4.2019 को सचिवालय में श्री दिनेश सिंह भदौरिया, श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं श्री सुमेर सिंह नरवरिया द्वारा दर्ज़, एक संयुक्त अदिनांकित शिकायत प्राप्त हुई। जांच समिति को सूचित किया गया कि श्री दिनेश सिंह भदौरिया की मृत्यु हो चुकी है। आज श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित हैं। हालांकि, उनका प्रिंट मीडिया से कोई सरोकार नहीं है। उनका संबंध डीएनएन चैनल से है। इसलिए, उनकी शिकायत के निपटान हेतु, हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। जहां तक श्री सुमेर सिंह नरवरिया का संबंध है, वे नई दुनिया, जिनमें हमसे संबन्धित कुछ समाचार रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं, के पत्रकार हैं, इसलिए, हम केवल श्री सुमेर सिंह नरवरिया की शिकायत पर विचार कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, श्री सुमेर सिंह नरवरिया उपस्थित नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री योगेंद्र को टेलीफोन पर निदेश दिया है। इसलिए, हम सुनवाई को आगे बढ़ाते हैं। श्री राजेश कुमार सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक, जिला भिंड (म.प्र.) उपस्थित हैं। यह शिकायत श्री महावीर सिंह बघेल, सहायक जेल अधीक्षक उप-जेल मेहगांव, भिंड (म.प्र.) द्वारा पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने पर उनके विरुद्ध की गई है क्योंकि जेल में कैदियों से अवैध रूप से पैसे लेने और

उनकी पिटाई करने के संबंध में, उनके विरुद्ध आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित किया गया था। संबंधित अखबार की रिपोर्ट जांच कमेटी ने देखी है। जांच समिति ने श्री राजेश कुमार सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक, जिला भिंड के पक्ष को भी सुना। ऐसा लगता है कि जांच दो बार की गई है। एक, जेल प्राधिकारियों द्वारा और दूसरी, श्री डी.जी. तोमर, एसएचओ, मेहगांव थाना द्वारा। गौरतलब है कि जेल प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच में श्री बघेल मौजूद रहे और उन्होंने आरोपों को नकार दिया। श्री बघेल का बयान दर्ज किया गया। उस पूछताछ में जेल के कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए थे। शिकायतकर्ता, श्री दिनेश सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह और श्री सुमेर सिंह नरवरिया के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जेल कर्मचारियों ने श्री बघेल का समर्थन किया है और उस आधार पर जांच रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज़ शिकायत मिथ्या है और इसके विपरीत शिकायतकर्ता जेल परिसर में अवैध रूप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिस पर पुलिस को आपत्ति थी और इसलिए शिकायत की गई है। जहां तक एसएचओ द्वारा की गई जांच का संबंध है, उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट देकर श्री बघेल को दोषमुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि इस पूछताछ में श्री बघेल उपस्थित नहीं रहे। जांच समिति को सूचित किया गया था कि श्री बघेल को निलंबित कर दिया गया है लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह इस समय सहायक जेल अधीक्षक के रूप में उप-जेल नसरुल्लागंज में कार्यरत हैं।

जांच समिति का मानना है कि जेल प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच विश्वसनीय नहीं लगती, क्योंकि केवल जेल कर्मचारियों से पूछताछ की गई, और चूंकि श्री बघेल उनके अपने अधिकारी हैं, वे कर्मचारी उनका समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ताओं ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। जांच समिति इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि जेल परिसर के प्रतिकूल माहौल में शिकायतकर्ताओं के लिए स्वतंत्र गवाह पेश करना मुश्किल है। जांच समिति ने शिकायतकर्ताओं के वक्तव्य पढ़े। उनके पास सच्चाई की ताकत है। अपने दिये गए तर्कों से वे विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

रिकॉर्ड में मौजूद सभी वक्तव्यों को पढ़ने के पश्चात, जांच समिति ने अपनी राय दर्ज की, कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज़ शिकायत निराधार नहीं है और इसे झूठा मानकर छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह जेल प्राधिकारियों को श्री बघेल को चेतावनी जारी करने के लिए कहे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस चेतावनी के साथ शिकायत को समाप्त किया जा सकता है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और जेल प्राधिकारियों को प्रतिवादी, श्री महावीर बघेल को चेतावनी जारी करने के निदेश के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय करती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 2 **फा.सं.124 / 2021—बी**

शिकायतकर्ता

1. श्री योगेन्द्र काशीनाथ दोरकर
संपादक/प्रकाशक/स्वामी/मुद्रक,
दैनिक नंदुरबार दिनांक उत्तर महाराष्ट्र,
जिला नंदुरबार (महाराष्ट्र)

प्रतिवादी

मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
मुंबई

डॉ. राजेंद्र भारुड़,
जिला कलेक्टर,
जिला नंदुरबार,
(महाराष्ट्र)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 11.5.2021 को श्री योगेंद्र काशीनाथ दोरकर, संपादक/प्रकाशक/स्वामी/मुद्रक, दैनिक नंदुरबार दिनांक उत्तर महाराष्ट्र और जिला पत्रकार संघ, जिला नंदुरबार (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष द्वारा डॉ. राजेंद्र भरुड़, जिला कलेक्टर, जिला नंदुरबार (महाराष्ट्र) के खिलाफ, आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण कथित रूप से उन्हें परेशान करने और झूठे मामले में फंसाने के कारण दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, नंदुरबार जिले के संरक्षक मंत्री ने 10.4.2021 को एक प्रेस बैठक आयोजित की थी और प्रेस बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी, डॉ. राजेंद्र भारूड, जिला कलेक्टर, जिला नंदुरबार ने जिले में कोविड-19 की स्थिति को ठीक से नहीं संभाला और यहां तक कि उन्होंने पिछले दस महीनों में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया और अपने गलत फैसलों के कारण, वे इससे निपटने में असफल रहे और फिर भी उन्होंने प्रचार किया कि उन्होंने इससे अच्छी तरह से निपटा है। शिकायतकर्ता ने आगे विवेचित किया कि इसके कारण, प्रतिवादी-कलेक्टर को गुस्सा आया और वे उनके आरोपों से नाराज हो गए। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि संरक्षक मंत्री ने प्रतिवादी को शांत रहने के लिए कहा और उसे यह भी याद दिलाया कि वे पत्रकार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, कलेक्टर द्वारा नहीं बल्कि संरक्षक मंत्री द्वारा बुलाई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पर प्रतिवादी ने यह कहते हुए पलटवार किया कि उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है और इसलिए वे इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मंत्री ने कलेक्टर को याद दिलाया कि संरक्षक मंत्री भी प्रशासन का हिस्सा है और इसलिए, वे उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी-कलेक्टर ने उनके समाचारपत्र के खिलाफ पांच अधिकारियों की एक जांच समिति नियुक्त की। शिकायतकर्ता ने आगे

विवेचित किया कि उसने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 21.4.2021 में प्रतिवादी-कलेक्टर के कामकाज और भ्रष्टाचार पर एक संपादकीय लिखा था। इससे नाराज होकर प्रतिवादी ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500/501/509 के अधीन अपराध दर्ज किया और उसके खिलाफ नंदुरबार पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 313/2021 में अत्याचार का मामला दर्ज किया और उन्हें दिनांक 21.4.2021 से 26.4.2021 तक पुलिस हिरासत में और फिर दिनांक 26.4.2021 से 4.5.2021 तक उन्हें मजिस्ट्रेट हिरासत में रखा गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 21.4.2021 से 25.4.2021 के बीच पुलिस हिरासत में पुलिस निरीक्षक, श्री कलामकर द्वारा उसकी नग्न तस्वीरें खींची गईं और नागरिकों तथा पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजी गईं। इस संबंध में अधिवक्ता, श्री प्रशांत भूषण ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कलेक्टर को निलंबित करने के लिए कहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी-कलेक्टर का भाई ग्राम सामोद, जिला धुले का निवासी है, लेकिन उसने नंदुरबार सिटी पुलिस स्टेशन में अपनी एफ़आईआर दर्ज की, जहां प्रतिवादी कलेक्टर है। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि यह समझना बहुत आसान है कि प्रतिवादी-कलेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी निशाना बनाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी की कार्रवाई, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 10.5.2021 द्वारा मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई का ध्यान अपनी शिकायत की ओर आकर्षित किया और बताया कि प्रतिवादी-कलेक्टर ने पंजीकृत "कृष्णा पार्क एंड रिसॉर्ट", जिसके वे सचिव हैं, को सील कर दिया। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस दिनांकित 27.7.2021, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई और डॉ. राजेंद्र भारुड़, जिला कलेक्टर, जिला नंदुरबार को जारी किए गए थे।

<u>प्रतिवादी का लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी, डॉ. राजेंद्र भारुड़, जिला कलेक्टर, जिला नंदुरबार (इस समय जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे के आयुक्त के रूप में तैनात) ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 1.9.2021 में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है और पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है और उसके खिलाफ छह मामले भी दर्ज हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि दस्तावेजों के आधार पर उसने, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को दिनांक 11.6.2021 को एक पत्र लिखा। संपत्ति को सील करने के आरोप के संबंध में, प्रतिवादी ने कहा कि संपत्ति को पट्टे पर दिया गया था और रिसॉर्ट के निर्माण के लिए भी सरकार द्वारा फंड्स दिये गए थे, लेकिन रिसॉर्ट के खिलाफ अवैध कार्यों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद, जमीन को सील करने की प्रक्रिया और उसे ग्राम पंचायत को प्रदान करने की प्रक्रिया को नियमानुसार किया गया। इस संबंध में, अपर आयुक्त, नासिक के स्तर पर अपील

विचाराधीन है। प्रतिवादी ने आगे यह भी कहा कि उसके बड़े भाई ने लेख में उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने और शिकायतकर्ता के समाचारपत्र के पंजीकरण को रद्द करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति-टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांकित 13.10.2021 में अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि उसने अपने 40 वर्षों के पत्रकारिता के कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया और नासिक रेलवे यार्ड में 60 करोड़ की पेट्रोल चोरी का पर्दाफाश करने हेतु उन्होंने दैनिक लोकमत के खोजी पत्रकार होने का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी ने अपने पद का दुरुपयोग करके एक निजी एनजीओ को 1,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे थे। इस संबंध में, माननीय औरंगाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि उसने अपने लेख में किसी को भी बदनाम नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्वक रिसॉर्ट को सील कर दिया, जबकि पुलिस ने बार-बार सूचित किया था कि रिसॉर्ट में कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं हो रही थी। अपर आयुक्त, नासिक ने प्रतिवादी द्वारा पारित अवैध आदेश पर दिनांक 14.5.2021, 13.7.2021, 18.8.2021 और 22.9.2021 को स्थगन आदेश पारित किए। इसके अलावा, डिविजनल मजिस्ट्रेट, नासिक ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 7.5.2021 और 14.6.2021 में प्रतिवादी की अवैध गतिविधियों पर टिप्पणियां करते हुए उसके स्थानांतरण की संस्तुति की है। दर्ज किए गए छह मामलों के संबंध में, शिकायतकर्ता ने विवेचित किया है कि उसे तीन मामलों में न्यायालय ने रिहा कर दिया था और एक मामले में वह जमानत पर है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इन छह मामलों में से तीन मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए थे। शिकायतकर्ता ने आगे विवेचित किया कि प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद, उसने उनके समाचारपत्र की जांच हेतु सात सदस्यीय समिति का गठन किया और एक पत्र लिखकर आरएनआई को गुमराह किया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के लिए प्रतिवादी के खिलाफ, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ दर्ज अवैध मामलों में मुख्य सचिव ने नंदुरबार के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है और अपर मुख्य सचिव को भी मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला, आज, दिनांक 11.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता की ओर से, श्री विक्रांत दोरकर उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी, श्री राजेंद्र भारुड़ वर्चुअल रूप से जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

यह वास्तव में सत्ता एवं कलम के दुरुपयोग का मामला है। नंदुरबार दिनांक दैनिक उत्तर महाराष्ट्र के संपादक, श्री योगेंद्र दोरकर ने नंदुरबार के जिला कलेक्टर, डॉ. राजेंद्र भरुड़ के खिलाफ आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने के कारण, उन्हें कथित तौर पर परेशान करने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए दिनांक 11.5.2008 को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नंदुरबार जिले के संरक्षक मंत्री ने दिनांक 10.4.2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस प्रेस कांफ्रेंस में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कोविड-19 से निपटने में असफल रहे हैं। इससे नाराज होकर, कलेक्टर ने उनके समाचारपत्र की जांच के लिए पांच अधिकारियों की एक जांच समिति नियुक्त की। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 21.4.2021 में कलेक्टर के कामकाज और उनके विभाग में भ्रष्टाचार की आलोचना करते हुए एक संपादकीय लिखा था। उसके बाद कलेक्टर ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 500/501/509 के तहत अपराध दर्ज किया। कलेक्टर के भाई ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफ़आईआर संख्या 313/2021 दर्ज की और उस अपराध के लिए वह कुछ समय के लिए हिरासत में रहे। पुलिस हिरासत के दौरान, इंस्पेक्टर कमलकर ने उसकी नग्न तस्वीरें खींच लीं और उन्हें व्हाट्सअप ग्रुप्स पर परिचालित कर दिया। नग्न फोटो के संबंध में, उनके वकील द्वारा शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजी गई है। कृष्णा पार्क रिजॉर्ट जिसके वे सचिव हैं, को कलेक्टर, डॉ. भरुड़ ने अवैध रूप से सील कर दिया।

इसके जवाब में, कलेक्टर ने विवेचित किया कि शिकायतकर्ता अपराधी है। उसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं और रिसॉर्ट को सील कर दिया गया था, क्योंकि वहां अवैध गतिविधियां चल रही थीं। शिकायतकर्ता ने एक लेख लिखा था, जिसमें उसकी मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए, उनके भाई ने मामला दर्ज़ किया है, जिसका उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है। शिकायतकर्ता ने कई अन्य आरोप लगाते हुए प्रत्युत्तर दर्ज़ किया है। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कलेक्टर, डॉ. भारूड के खिलाफ जांच शुरू कर दी और शिकायतकर्ता के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव (गृह) महाराष्ट्र सरकार को शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज़ कथित अवैध मामले में कार्रवाई करने के लिए भी लिखा है।

शिकायत और कलेक्टर डॉ. भारूड द्वारा दर्ज़ प्रत्युत्तर पर गौर करने के पश्चात, जांच समिति का प्रथम दृष्टया, यह मत है कि कलेक्टर इस तथ्य से नाराज़ लगते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायतकर्ता ने उनके कोविड-19 से सही तरह से न निपट पाने एवं उनके विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर उनकी आलोचना की थी। इसके पश्चात, ऐसा लगता है कि उन्होंने शिकायतकर्ता की गतिविधियों की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की। शिकायतकर्ता का रिजॉर्ट सील कर दिया गया। हमें

सूचित किया गया है कि उक्त रिज़ॉर्ट को अब खोल दिया गया है। जहां तक इस आरोप का संबंध है कि शिकायतकर्ता की नग्न तस्वीरें ली गईं, शिकायतकर्ता के वकील ने पहले ही इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शिकायत अग्रेषित कर दी है।

जांच समिति को सूचित किया गया है कि कलेक्टर द्वारा रेमडिसिविर इंजेक्शन की कथित अवैध बिक्री संबंधी एक याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय में, दायर की गई थी, जिसे सही न होने पर खारिज कर दिया गया। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे उनके बेटे ने जांच समिति को सूचित किया कि इसे जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि वे बहाली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी मामला अभी लंबित है। कुछ पूछताछ बाकी है। अंतत: इस मामले में लगाए गए आरोपों एवं प्रत्यारोपों पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

चिंताजनक बात यह है कि शिकायतकर्ता ने अपने समाचारपत्र के अंक दिनांकित 21.4.2021 में एक संपादकीय लिखा है, जिसमें उन्होंने कलेक्टर की मां के संबंध में अभद्र भाषा का एवं कलेक्टर के संबंध में अत्यंत अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। एक पत्रकार द्वारा अपनी कलम के दुरूपयोग का यह सबसे घटिया उदाहरण है। किसी की मां पर इस तरह टिप्पणी करने वाले पत्रकार की निंदा होनी चाहिए। जांच समिति ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता के आलोचनात्मक लेखन और आचरण से क्रोधित होकर कलेक्टर ने उसके खिलाफ जांच समिति गठित की है। कलेक्टर को अब लंबित मामलों में उसे अपना काम करने देना चाहिए।

इन परिस्थितियों में जांच समिति, कलेक्टर की मां और कलेक्टर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए अपमानजनक संपादकीय लिखने के लिए शिकायतकर्ता की निंदा करने की परिषद से संस्तुति करती है। जांच समिति परिषद से यह भी संस्तुति करती है कि वह कलेक्टर को मामले को तूल न देने एवं कानून को अपना काम करने देने की सलाह दें। आदेश की प्रति, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को भेजी जाए।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, भारतीय प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए, शिकायतकर्ता की निंदा करने का निर्णय लेती है और प्रतिवादी कलेक्टर को सलाह देती है कि मामले को तूल न दें और कानून को अपना काम करने दें।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 3 **फा.सं.13 / 94 / 19–20–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री नवीन दास,
   संपादक,
   सत्यारा स्वरा निर्भय,
   भुवनेश्वर

प्रतिवादी

1. मुख्य सचिव,
   ओडिशा सरकार,
   भुवनेश्वर
2. सचिव, सूचना और
   जनसंपर्क विभाग,
   ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर
   निदेशक,
3. सूचना और जनसंपर्क विभाग,
   ओडिशा सरकार
   भुवनेश्वर

तथ्य

दिनांक 29.07.2019 को परिषद में प्राप्त यह अदिनांकित शिकायत, श्री नवीन दास, संपादक, सत्यारा स्वरा निर्भय, उड़िया दैनिक, भुवनेश्वर द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध, सितंबर, 2017 से उनके समाचारपत्र के विज्ञापनों को अज्ञात कारणों से कथित रूप से रोकने के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि सूचना और जनसंपर्क विभाग ने डीएवीपी (अब केंद्रीय संचार ब्यूरो) दर अनुबंध के आधार पर 18.01.2019 से समाचारपत्रों की दरों को पहले ही संशोधित कर दिया है और दुर्भाग्यवश, उनके समाचारपत्र को विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने दिनांक 11.06.2018 और 08.09.2019 को विभाग को दो पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने विभाग से उन्हें सरकारी विज्ञापनों से वंचित करने के कारण बताने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने परिषद से मामले में हस्तक्षेप करने और ओडिशा सरकार को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध किया है।

दिनांक 01.08.2019 को ओडिशा सरकार को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस जारी किया गया।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ओडिशा सरकार का लिखित वक्तव्य (प्रतिवादी संख्या 3)

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ओडिशा सरकार (प्रतिवादी संख्या 3) ने उत्तर दिनांकित 06.09.2019 के जरिये विवेचित किया कि दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को

सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाता है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि विज्ञापन जारी करने से पहले, समाचारपत्र के परिचालन पर विचार किया जाता है और रोटेशनल आधार पर फ़ंड की उपलब्धता के अनुसार, प्रकाशन को विज्ञापन जारी किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभाग ने "सत्या रा स्वरा निर्भय", ओडिया दैनिक को विज्ञापन जारी करने से रोकने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने, अदिनांकित प्रति-टिप्पणियों, जोकि दिनांक 03.10.2019 को परिषद में प्राप्त हुई, के जरिये विवेचित किया कि उसने गौर किया है कि दैनिक समाचारपत्रों/पत्रिकाओं, जिनकी परिचालन संख्या उनके समाचारपत्र की परिचालन संख्या की तुलना में कम है, को अधिक विज्ञापन प्राप्त हुए थे। इस बिंदु के संबंध में, कि सरकार के पास फ़ंड की उपलब्धता के अनुसार, विज्ञापन जारी किए जाते हैं, शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि फ़ंड की कमी केवल गलत कार्यों को छिपाने का प्रयास है। एक आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, पिछले आठ वर्षों में 350 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यह सच है कि प्रतिवादी विभाग ने उनके समाचारपत्र की तुलना में कुछ दैनिकों/पत्रिकाओं को अधिक विज्ञापन जारी किए हैं। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार को यह निदेश दे कि वह उनके समाचारपत्र को विज्ञापन नीति और नियम के अनुसार ही विज्ञापन जारी करे।

निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ओडिशा सरकार से प्राप्त अन्य पत्र (प्रतिवादी संख्या 3)

प्रतिवादी-निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, ओडिशा सरकार ने अपने अन्य पत्र दिनांकित 26.04.2021 के जरिये विवेचित किया कि विज्ञापन परिचालन के आधार पर, प्रायोजक विभागों के अनुरोध पर, सीमित संख्या में ओडिया/अंग्रेजी दैनिकों को जारी किए जाते हैं और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों को भी उचित महत्व देता है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि विभिन्न अवसरों पर गणमान्य व्यक्तियों के संदेश, सभी ओडिया दैनिकों और पत्रिकाओं को दिए जाते हैं, भले ही उनका परिचालन कुछ भी हो। प्रतिवादी के अनुसार, विज्ञापन आम तौर पर अन्य विभागों से प्राप्त होते हैं और ये विभाग हमेशा बड़े पैमाने पर परिचालित दैनिक समाचारपत्रों में अपने विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुरोध करते हैं और तदनुसार उनका विभाग उनकी मांग के अनुसार ही विज्ञापन जारी करता है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार विज्ञापन नीति के अनुसार, विज्ञापन जारी करने हेतु पर्याप्त कदम उठाती है और किसी भी समाचारपत्र और पत्रिका के लिए कोई विसंगति नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला आज दिनांक 11.10.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए और जांच समिति के समक्ष, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व श्री विश्वजीत दाश, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा किया गया।

प्रतिवादी की ओर से उत्तर संबंधी विवरण परिषद में प्रस्तुत किया गया एवं इसे रिकॉर्ड में लिया गया। शिकायतकर्ता ने भारतीय प्रेस परिषद को संबोधित करते हुए, एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने विवेचित किया कि वे शिकायत वापस लेना चाहते हैं। यह बताया गया कि राज्य सरकार शिकायतकर्ता के मामले पर विचार कर रही है। इसे देखते हुए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए, शिकायतकर्ता द्वारा मामले को वापस लिए जाने के कारण, उसे समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

स्वप्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 4 **फा.सं.1 / 2020 / एसएमबी**

1. **राजस्थान के मुख्यमंत्री से मीडिया और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर खतरे के संदर्भ में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा लिया गया स्वत: संज्ञान ।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद के तत्कालीन सदस्य, श्री राकेश शर्मा ने अपने ईमेल दिनांकित 08.01.2020 के माध्यम से 16 दिसंबर, 2019 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए एक निराशाजनक वक्तव्य की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि "विज्ञापन चाहते हो तो हमारी खबर दिखाओ"।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, फेसबुक पेज पर लाइव टेलीकास्ट हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि "*हमने (सरकार ने) तय किया है कि अगर मीडिया*

हाउस पूरी निष्ठा के साथ सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे, तभी हम उन मीडिया घरानों को विज्ञापन जारी करेंगे।"

इसके अलावा, शिकायत में विवेचित किया गया है कि एक मुख्यमंत्री, जो राज्य में लोगों का सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, उसका प्रेस के संबंध में इस तरह का वक्तव्य देना, न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को कम करता है, बल्कि मीडिया हाउस, पत्रकारों/संपादकों, जो सरकार से संबंधित मुद्दों पर उचित और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने में विश्वास रखते हैं, के लिए भी असहज माहौल पैदा करता है। यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में विवेचित किया था कि विज्ञापन किसी भी समाचारपत्र के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसलिए, विज्ञापन जारी करने की सरकार की नीति केवल समाचारपत्र के परिचालन पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार की ओर से केवल उनके उन मीडिया घरानों को, जो सरकार के पक्ष में विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, को विज्ञापन जारी करने की मिलीभगत न केवल राज्य में बड़े प्रकाशनों को प्रभावित करेगी, बल्कि सरकारी मामलों पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे छोटे और मध्यम प्रकाशन गृहों की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेगी। इसके अतिरिक्त, इसे न केवल बाद की सरकारों, बल्कि अन्य राज्य और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा आसानी से दोहराया जा सकता था। इस तरह के अभ्यास से कुल मिलाकर मीडिया की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री के वक्तव्य ने न केवल जनता की नजरों में मीडिया की छवि को धूमिल किया है, बल्कि राज्य में मीडिया की भूमिका तथा इसके द्वारा सरकारी मुद्दों पर की गई रिपोर्टिंग को भी आरक्षित किया है। सदस्य ने कुछ समाचार कतरनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिप्यंतरित हिस्सा भी संलग्न किया है। उन्होंने परिषद से मामले को गंभीरता से लेने और मीडिया की प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, परिषद ने 13.1.2020 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान को जवाबी वक्तव्य हेतु, नोटिस जारी किया है और तत्पश्चात, 02.03.2020 को एक अनुस्मारक भी जारी किया है।

<u>मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त उत्तर</u>

श्री डी.बी. गुप्ता, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर ने अपने उत्तर दिनांकित 18.3.2020 में प्रस्तुत किया है कि मामले, अभ्यावेदन और समाचारों की जांच के बाद, यह स्पष्ट है कि जिस तरह से मामले को कुछ समाचारपत्रों में रिपोर्ट किया गया है और परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह भ्रामक है। ऐसा लगता है कि यह रिपोर्टिंग मीडिया की अपनी ही व्याख्या है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का तात्पर्य किसी भी तरह परिषद के उद्देश्यों से भिन्न नहीं है। वास्तव में यह परिषद के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, अर्थात, मीडिया द्वारा सटीक और कर्तव्यनिष्ठ रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाना है। उनके अनुसार, राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया के सभी वर्गों सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार में मीडिया की

सकारात्मक भूमिका का हमेशा आदर किया है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि राज्य के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की हैसियत से वह केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक सहायता ही चाहते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे और पात्र, कोई भी छूट न जाए।

श्री राकेश शर्मा से प्राप्त पत्र

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज़ किए गए उत्तर दिनांकित 18.3.2020 का संदर्भ देते हुए श्री राकेश शर्मा (राष्ट्रदूत), पूर्व सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपने ईमेल दिनांकित 28.7.2020 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि मुख्य सचिव का उत्तर अस्पष्ट और भ्रामक है। मुख्य सचिव का दिया गया उत्तर यह इंगित करता है कि अगर मुख्यमंत्री की प्रेस कांफ्रेंस को प्रेस के किसी वर्ग द्वारा गलत रिपोर्ट किया गया तो मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने विवेचित किया है कि उत्तर में किया गया दावा कि "राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया के सभी वर्गों सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं" कथित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बिलकुल विपरीत है। आगे, उन्होंने प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार से उनकी विज्ञापन नीति और डीआईपीआर तथा राजस्थान संवाद, दो एजेंसियों, जो राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ निगम के सभी विज्ञापन जारी करती हैं, द्वारा जारी विज्ञापन की राशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे। उन्होंने यह भी विवेचित किया कि उन्हें जनवरी, 2019 से जून, 2020 की अवधि के दौरान अलग-अलग दैनिक, साप्ताहिक और अन्य समाचारपत्रों, टीवी चैनलों, एफएम रेडियो और सोशल मीडिया को मासिक आधार पर जारी किए गए विज्ञापनों की राशि का विवरण देने के लिए कहा जा सकता है। यह आमतौर पर राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के दावे और कार्रवाई में भारी अंतर को दिखाएगा।

जांच समिति की बैठक दिनांकित 16.12.2020

जांच समिति द्वारा दिनांक 16.12.2020 को मामले की सुनवाई की गई और मामले को स्थगित कर दिया गया तथा प्रतिवादी को निदेश दिया कि वह माननीय मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग, लिप्यंतरण रिकॉर्ड पर रखें और विभिन्न समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापनों और उनकी लागत के विवरण के साथ-साथ जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक उनके परिचालन के आंकड़े एवं विज्ञापन नीति भी रिकॉर्ड में रखें।

जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री शिवराम मीना, जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान सूचना केंद्र, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ने दिनांक 24.3.2021 के उत्तर/ईमेल के जरिये प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 का उल्लेख करते हुए विवेचित किया कि सरकार को कोई निदेश जारी करने का प्रेस परिषद को अधिकार नहीं है और न ही इसके पास

राज्य सरकार की 'परिनिंदा' करने की कोई शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान, प्रिंट मीडिया को राशि के वितरण हेतु राजस्थान विज्ञापन नीति-2001, जो पारदर्शी और प्रेस की स्वतंत्रता के अनुरूप है, का अनुसरण करता है। उनके अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण लगभग एक घंटे पंद्रह मिनट का था और प्रासंगिक भाषण एक मिनट और पंद्रह सेकंड का था।

भाषण का प्रतिलेख (transcript) प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कहने का अर्थ सिर्फ यह था कि सरकारी योजनाओं के बारे में आवश्यक विज्ञापन अखबारों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। सरकारी योजनाएं जनहित के लिए होती हैं और मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखी जानी चाहिए। राजकोष से राशि लेने वाले समाचारपत्रों को उचित वर्गीकृत तरीके से सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि जनता को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी हो। वितरित राशि केवल लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के बारे में होती है और ऐसा उचित वर्गीकृत श्रेणी में किया जा सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सरकारी योजनाओं की आलोचना नहीं की जा सकती है। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं अभी भी आलोचना का विषयगत मामला हो सकती हैं।

जनवरी, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक विभिन्न समाचारपत्रों को जारी विज्ञापन के साथ-साथ उनकी परिचालन संख्या का विवरण उपलब्ध कराते हुए, उन्होंने कहा है कि दिशानिर्देशों की धारा-18 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार से अनुदान का दावा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मुख्य सचिव द्वारा लिखे गए पूर्व पत्र दिनांक 18.3.2020 को भी उत्तर का हिस्सा माना जा सकता है। उन्होंने यह भी विवेचित किया कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता का अतिलंघन करता हो और राज्य सरकार तथा विशेष रूप से मुख्यमंत्री प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री शिवराम मीना, जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान सूचना केंद्र, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांकित 15.4.2021 द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और प्रेस के बीच हुई बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीडी) प्रदान की है।

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध संपादक, राष्ट्रदूत से प्राप्त पत्र

श्री राकेश शर्मा, पूर्व सदस्य, पीसीआई ने अपने ईमेल दिनांकित 12.8.2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा जारी भ्रष्ट (दुराग्रही) बयानों की ओर पीसीआई का ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा कि उनकी सरकार की योजनाओं और समाचारों को "सार्वजनिक" और "प्रचारित" न करने वाले किसी भी मीडिया हाउस के सरकारी विज्ञापनों में कटौती करने की बात की। श्री शर्मा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का यह अभद्र वक्तव्य, राज्य

के भीतर ऐसे सभी स्वतंत्र मीडिया के स्वरों को कुचलने की उनकी इच्छा से उपजा है, जो उनकी शासन शैली और उनकी नीतियों का विरोध कर सकते थे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री को भरोसा था कि उनकी मंशा, न केवल उनके आवास पर मौजूद मीडिया के सामने, बल्कि उनके प्रशासन के उन अधिकारियों के सामने भी मुखर स्पष्ट की जाएगी, जो मीडिया को सरकारी विज्ञापन जारी करने से संबंधित हैं। श्री अशोक गहलोत के कार्यों से यह स्पष्ट था, जिन्होंने घटना के लिए मौजूद प्रेस के सदस्यों द्वारा इस बात की ओर इशारा किए जाने के बाद भी खुद को सही करना उचित नहीं समझा कि उनका वक्तव्य कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्री राकेश शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया को दी गई इस खुली धमकी को लेकर किस प्रकार कार्रवाई की गई, इसे स्वयं राजस्थान राज्य सरकार की ओर से दर्ज़ दस्तावेज की प्रति में देखा जा सकता है। 24 मार्च 2021 को दर्ज़ अपने उत्तर में, सरकार ने जनवरी, 2020 से अक्टूबर 2020 तक समाचारपत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा के साथ-साथ उनके परिचालन के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए सूचियां दाखिल की हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि राष्ट्रदूत समाचार पत्र (श्री राकेश शर्मा के स्वामित्व में) को 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, 2020 तक केवल 109.59 लाख रुपये के विज्ञापन प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक समाचारपत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों की राशि की गणना करते हुए एक सूची दाखिल की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रदूत को जारी किए गए विज्ञापनों की राशि में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी हुई है और वो इसके साथ 180.88 लाख रुपये हो गई। श्री शर्मा ने विवेचित किया है कि वह एक तालिका दाखिल कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रदूत का 1 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2021 की अवधि के बीच, 7 लाख और 42 हजार का संयुक्त परिचालन है; जो राष्ट्रदूत को राज्य का लगभग तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र बनाता है। हालाँकि, राज्य के 8वें सबसे बड़े समाचार पत्र, संध्या ज्योति दर्पण, जिसका परिचालन राज्य में 4 लाख 40 हजार से थोड़ा ही अधिक है और जिसे 199.49 लाख रुपये के विज्ञापन प्राप्त हुए हैं, की तुलना में राष्ट्रदूत को काफी कम विज्ञापन प्राप्त हुए, और श्री शर्मा के अनुसार, विज्ञापनों की सूची यह साबित करती है कि अधिक परिचालन वाले कुछ समाचारपत्रों को अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम विज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि राज्य सरकार के कर्मी विज्ञापन जारी करने में उन लोगों का चयन करते हैं, जिनके लिए, उन्हें लगता है कि उन्होंने राज्य सरकार को स्वीकार्य या उसकी महिमा गाने वाले समाचारों और विचारों को प्रचारित करने की उनकी 'अलिखित' नीति का सही ढंग से पालन किया है। श्री शर्मा का आरोप है कि राज्य प्रशासन ने उनके समाचारपत्र, राष्ट्रदूत को कोई भी विज्ञापन जारी करना बंद कर दिया है। हालाँकि, एक बार भारतीय प्रेस परिषद ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया होता और राज्य सरकार से उत्तर मांगे गए होते, तो राज्य सरकार के कर्मियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता। सरकार ने अपनी कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रदूत को कुछ छोटे-मोटे विज्ञापन जारी किए, ताकि यह लगे कि सरकार ने अखबार को विज्ञापन देना पूरी तरह से बंद नहीं किया था। श्री राकेश शर्मा के

विचार में, राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर के साथ दाखिल की गई राजस्थान विज्ञापन नीति-2001 के 'नियम 18' के अनुसार, राज्य के भीतर प्रकाशित होने वाला कोई भी समाचारपत्र सरकारी विज्ञापनों का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है, भले ही वह सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए स्वीकृत हो। श्री राकेश शर्मा ने **सकल पेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ: 1962 एआईआर 305, 1962 एससीआर (3) 842 और इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ: 1986 एआईआर 515, 1985 एससीआर (2) 287** जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें यह विवेचित किया गया है कि एक समाचारपत्र को जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा को कम करने से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन स्वयं, समाचारपत्र प्रकाशित करने की लागत के पूरक हैं।

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध संपादक, राष्ट्रदूत का अगला पत्र

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध संपादक, राष्ट्रदूत ने ईमेल दिनांकित 14.09.2022 द्वारा अपने आरोपों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि उन्होंने राष्ट्रदूत को जनवरी 2020 से जारी किए गए विज्ञापनों का चार्ट (रुपये में) दिया था। उन्होंने आगे विवेचित किया कि मार्च, 2020 से जुलाई, 2020 तक राष्ट्रदूत को विज्ञापन देना बंद कर दिया गया था, राष्ट्रदूत को केवल कोविड संबंधी विज्ञापन जारी किए गए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर, 2020 से जब राजस्थान सरकार ने महसूस किया कि प्रेस परिषद इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है तो उसने राष्ट्रदूत को थोड़े से विज्ञापन (लगभग 10%) जारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि प्रेस परिषद की 13वीं सेवावधि की समाप्ति के बाद राजस्थान सरकार ने राष्ट्रदूत को विज्ञापन देना बंद कर दिया। उन्होंने विवेचित किया कि अक्टूबर 2021 से आज तक (यानी 14.9.2022 तक), राष्ट्रदूत को एक सेंटीमिटर भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, यहां तक कि प्रथागत गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के विज्ञापन भी नहीं। उन्होंने जनवरी 2020 से अगस्त 2022 तक राष्ट्रदूत द्वारा विज्ञापन बिलिंग का विवरण भी प्रदान किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

मामला अंततः आज, अर्थात 10.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। मीडिया की ओर से श्री राकेश शर्मा एवं श्री ओम प्रकाश खेमकर्णी उपस्थित हुए। राजस्थान सरकार की ओर से श्री डी.के. देवांश, अधिवक्ता, श्री शिवराम मीना, जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान सरकार, श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निदेशक और श्री शिव चंद मीना, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार उपस्थित हुए।

श्री राकेश शर्मा, पूर्व सदस्य, पीसीआई ने ईमेल दिनांकित 8.1.2020 के माध्यम से, राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा 16.12.2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए एक निराशाजनक वक्तव्य की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने कहाः *"हम (सरकार) ने फैसला किया है कि यदि आप (मीडिया हाउस) सरकारी योजनाओं का पूरी निष्ठा से प्रचार और प्रसार करते*

हैं, तभी हम (सरकार), मीडिया हाउस को विज्ञापन जारी करेंगे"। शिकायत में आगे विवेचित किया गया है कि सरकार द्वारा प्रेस के संबंध में इस तरह का वक्तव्य देना, न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करता है, बल्कि मीडिया घरानों, पत्रकारों और संपादकों, जो सरकार से संबंधित मुद्दों पर सही और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने में विश्वास करते हैं, जोकि उनका कर्तव्य है, के लिए भी असहज माहौल पैदा करता है। आगे यह बताया गया है कि यह दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह न केवल राज्य में बड़े प्रकाशनों को प्रभावित करेगा, बल्कि सरकार की कार्रवाई के खिलाफ, निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करने की छोटे और मध्यम प्रकाशन गृहों की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करेगा। श्री शर्मा ने शिकायत से संबन्धित कुछ समाचार कतरनों के साथ-साथ प्रेस कांफ्रेंस का अनुलेखित (transcribed) भाग संलग्न किया है। श्री शर्मा ने प्रेस परिषद से मीडिया की प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार चाहती है कि प्रेस दब्बू और पराधीन हो।

जवाब में, मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विवेचित किया कि परिषद को मुख्यमंत्री के भाषण की रिपोर्टिंग समुचित रूप से नहीं की गई है। यह भ्रामक तरीके से किया गया है। मुख्यमंत्री हमेशा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल हिमायती रहे हैं। इस प्रेस कांफ्रेंस में, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रचार-प्रसार में मीडिया की सकारात्मक मदद चाहते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका लाभ जन-जन तक पहुंचे और जो पात्र हैं, वे इन योजनाओं से वंचित न रहें।

अपने प्रत्युत्तर में, श्री राकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान राज्य और विशेष रूप से मुख्यमंत्री का उपर्युक्त उत्तर में दर्शाया गया दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के एकदम विपरीत है। उन्होंने प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार से कहे कि वह अपनी विज्ञापन नीति और जनवरी 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए विभिन्न दैनिक/साप्ताहिक और अन्य समाचार पत्रों, समाचार चैनलों, एफएम रेडियो, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया को जारी विज्ञापनों की राशि के माहवार आंकड़े प्रस्तुत करे। उनके अनुसार, यह राजस्थान राज्य और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के दावे और कार्रवाई में भारी अंतर दिखाएगा।

राजस्थान सरकार ने भी उत्तर दाखिल किया है। प्रारंभ में, यह बताया गया कि प्रेस परिषद को राज्य सरकार को कोई निदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल समाचार एजेंसियां और समाचारपत्र यानी प्रिंट मीडिया इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सही परिप्रेक्ष्य में, मुख्यमंत्री स्पष्ट करना चाहते थे कि सरकार की योजनाएं जनहित के लिए हैं और उन्हें मीडिया के जरिये सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए। लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए ही राशि दी जाती है और सरकार से राशि प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों को समुचित क्लासीफाइड

तरीके से सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा सके। हालांकि सरकारी योजनाओं की भी आलोचना हो सकती है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है, जिससे बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो।

आदेश दिनांकित 16.10.2020 द्वारा राजस्थान सरकार को प्रेस कांफ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके प्रतिलेख (transcription) को रिकॉर्ड में लाने का निदेश दिया गया था। राज्य को जनवरी 2020 से अक्टूबर, 2020 तक परिचालन के आंकड़ों के साथ-साथ विभिन्न समाचारपत्रों को दिए गए विज्ञापनों और उनकी लागत का विवरण रिकॉर्ड में रखने का निदेश दिया गया था।

जांच समिति ने वीडियो देखा और मुख्यमंत्री के आक्षेपित वक्तव्य को सुना। जहां तक समाचारपत्रों को एक समान रूप से विज्ञापन जारी करने का प्रश्न है, हालांकि कुछ आंकड़े दिये गए हैं, पर क्योंकि यह काफी बड़ा मुद्दा है, तो हम इसे किसी अन्य उपयुक्त मामले में लेते। इस मामले में, हम मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। जहाँ तक अधिकारिता संबंधी पहलू का संबंध है, तब सबसे पहले प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की उद्देशिका (Preamble) का उल्लेख करना आवश्यक है। उद्देशिका के अनुसार प्रेस परिषद की स्थापना भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजन से की गई है। धारा 13 महत्वपूर्ण है चूंकि यह इससे संबन्धित है, यह निम्नानुसार पठनीय है:-

13. परिषद के उद्देश्य और कृत्य-

(1) परिषद का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना होगा।

(2) परिषद, अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्:

(क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना;

.....

.....

.....

(ङ) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो विचार करते रहना;

.....

.....

.....

(ट) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त कृत्यों के निर्वहन के आनुषंगिक या साधक हों।

.....

.....

.....

.....

धारा 15(4) पर भी गौर करें जो निम्नानुसार पठनीय है:-

15. परिषद की साधारण शक्तियाँ

(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए परिषद को निम्नलिखित मामलों के बारे में सम्पूर्ण भारत में वही शक्तियाँ होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित हैं, अर्थात्:

.....

.....

(4) यदि परिषद अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अंतर्गत सरकार भी है, आचरण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

इस प्रकार यदि प्रेस परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है तथा समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों को, उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने में, सहायता प्रदान करनी है, तो ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो विचार करते रहना होगा। यह मूक दर्शक नहीं हो सकती। उल्लेखनीय है कि धारा 13 (ट) प्रेस परिषद को *"ऐसे अन्य कार्य करने की अनुमति देती है जो उपर्युक्त कृत्यों के निर्वहन के आनुषंगिक या साधक हों।"* और धारा 15 (4) प्रेस परिषद को यहां तक अनुमति देती है कि *"यदि परिषद अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या*

रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अंतर्गत सरकार भी है, आचरण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

इस स्थिति में, पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020 का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जहाँ आदर्श विज्ञापन नीति संबंधी दिशानिर्देश -2014 का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रस्तावना निम्नानुसार पठनीय है:-

"संसद द्वारा वर्ष 1978 में पारित कानून के अधीन भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने का कार्य करती है। इस संबंध में प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 (1) के खंड (ड़.) द्वारा आगे इसका समर्थन किया गया है, जिसके अनुसार परिषद से अपेक्षित है कि "ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो विचार करते रहना" कई ऐसे अवसर आए हैं जब भारतीय प्रेस परिषद से, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा समाचारपत्रों, विशेष रूप से छोटी श्रेणी के समाचारपत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए, विज्ञापनों को अनुचित रूप से देने या मनमाने तरीके से मना करने की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

आगे प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पठनीय है:-

"विज्ञापनों को जारी करने का कार्य तदर्थ आधार पर नहीं किया जाना चाहिए अपितु कुछ युक्तियुक्त मापदंडों के आधार पर तैयार की गई अधिसूचित नीति के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मामले में राजनीतिक प्रयोजन का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। विज्ञापनों का वितरण जहां तक संभव हो, बराबर होना चाहिए, लेकिन छोटे समाचारपत्र, जो सरकारी विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते हैं, पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा विशेष विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापनों का किसी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, वे अनुदान भी नहीं हैं जिन्हें नियंत्रण प्राधिकारियों की इच्छा और विवेक पर जारी किया जाए।"

मुख्यमंत्री के कथन, कि सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी किये जाएंगे से वास्तव में लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य है। यदि इस तरह के वक्तव्यों पर कार्रवाई की जाती है, तो इससे कुछ समाचारपत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिन्हें राजनीतिक कारणों से विज्ञापन जारी न किए जायें और इससे सार्वजनिक हित और सार्वजनिक महत्व के समाचारों के प्रदाय और प्रसार की उनकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री का वक्तव्य भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020 में उल्लिखित आदर्श विज्ञापन नीति संबंधी दिशानिर्देश- 2014 का उल्लंघन है। अतः प्रेस परिषद निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर संज्ञान ले सकती है और उचित आदेश पारित कर सकती है। इसलिए, यह तर्क, कि प्रेस परिषद को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, अवश्य ही अनुचित है।

राजस्थान राज्य ने अपनी विज्ञापन नीति दाखिल की है। राजस्थान राज्य के परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया है कि राजस्थान राज्य भेदभाव में लिप्त नहीं है और यह अपनी नीति का पालन कर रहा है। हमने श्री राकेश शर्मा द्वारा प्रेस परिषद को संबोधित पत्र दिनांकित 12.08.2022 के साथ परिचालन के आधार पर जोड़ी गई तालिका देखी है। प्रथम दृष्ट्या, यह संकेत मिलता है कि विज्ञापन जारी करने में समाचारपत्र, राष्ट्रदूत के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उपयुक्त मामले में, हम इस मुद्दे की अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं। उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए उक्त वक्तव्य के बारे में अपनी अत्यधिक नाराजगी व्यक्त करें। परिषद का अभिमत है कि भविष्य में इस तरह के वक्तव्य न दिये जायें, क्योंकि आमतौर पर इससे प्रिंट मीडिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अपनी अत्यधिक नाराजगी व्यक्त करने का निर्णय लेती है, और परिषद का अभिमत है कि भविष्य में इस तरह के वक्तव्य न दिये जायें, क्योंकि आमतौर पर इससे प्रिंट मीडिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपर्युक्त अभिमत के अनुसार, परिषद इस मामले को समाप्त करती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 5 **फा.सं. एसएम/नवबंर/4/2020–बी**

1. **भोपाल, मध्य प्रदेश में रिपोर्टर, श्री सैयद आदिल वहाब पर कथित हमले और उनकी हत्या के संबंध में स्वत: संज्ञान।**

तथ्य

दिनांक 10.11.2020 की एक समाचार रिपोर्ट के जरिये, भारतीय प्रेस परिषद को पता चला है कि भोपाल में एक पत्रकार की हत्या हुई है। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि एक स्थानीय टीवी चैनल के लिए कार्यरत पत्रकार, श्री सैयद आदिल वहाब, भोपाल के जंगल में मृत पाए गए। मृतक के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि उनकी हत्या कहीं और की गई होगी और फिर जंगल में फेंका गया होगा। गुमशुदा की शिकायत के बारे में पुलिस को पता चलने पर 35 वर्षीय पत्रकार को उसके कपड़ों से पहचान लिया गया। अभी तक पुलिस हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है।

श्री बलविंदर सिंह जम्मू, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद और श्री के. अमरनाथ, पूर्व सदस्य, पीसीआई ने भी पत्र दिनांकित 13.11.2020 के माध्यम से उक्त घटना की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया।

मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, दिनांक 4.12.2020 को मध्य प्रदेश सरकार से मामले के तथ्यों पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी, तत्पश्चात, एक अनुस्मारक दिनांकित 27.1.2021 भी जारी किया गया था।

उप पुलिस महानिरीक्षक (सिटी), रेंज भोपाल द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री इरशाद वली, उप.पुलिस महानिरीक्षक (सिटी), रेंज भोपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 11.2.2021 द्वारा प्रस्तुत किया है कि श्री गोविंद बैरागी नामक व्यक्ति ने दिनांक 8.11.2020 को सूचना दी कि वन क्षेत्र में एक शव पड़ा हुआ है। इस संबंध में, अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना सुखीसेवनिया में आईपीसी की धारा 302/201 दिनांकित 8.11.2020 के तहत मामला संख्या 331/2020 दर्ज किया गया। मृत व्यक्ति की पहचान, श्री आदिल वहाब के रूप में उनके भाई ने की और पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। उन्होंने आगे विवेचित किया कि जांच के दौरान मृतक के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बयान दर्ज किए गए और संदिग्ध के रूप में मनीराम सेन उर्फ मनिया, जो फरार था, का नाम सामने आया। उसे दिनांक 5.1.2021 को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे दिनांक 5.1.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इस समय वह भोपाल जेल में है। उप-पुलिस महानिरीक्षक (सिटी), रेंज भोपाल ने आगे विवेचित किया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जाएगा।

सुश्री रसना ठाकुर, सहायक आईजीपी (सी), पुलिस मुख्यालय, अपराध जांच विभाग, भोपाल ने भी दिनांक 12.3.2021 के पत्र द्वारा श्री इरशाद वली, उप आईजीपी (सिटी), रेंज भोपाल की उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांकित 11.2.2021 भेजी है।

डीआईजी (सिटी), भोपाल द्वारा दर्ज़ अन्य उत्तर

श्री इरशाद वली, उप-पुलिस महानिरीक्षक (सिटी), रेंज भोपाल ने अपने अन्य उत्तर दिनांकित 20.4.2021 में अपनी उपर्युक्त रिपोर्ट को दोहराते हुए, प्रस्तुत किया कि चालान संख्या 67/2021 दिनांकित 3.4.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष आरटी सं. 5669/2021 दिनांकित 3.4.2021 के माध्यम से दर्ज़ किया गया था एवं अभियुक्त अभी भी जेल में है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आगे यह विवेचित किया गया कि आरोपी और मृतक परिचित थे। मृतक ने आरोपी से पैसे लिए थे, जिस कारण से आरोपी ने श्री वहाब की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक पर हमला उनके पत्रकारिता के कर्तव्य से संबंधित नहीं था।

अपर पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, भोपाल से प्राप्त उत्तर

श्री इरशाद वली, उप-आईजीपी (सिटी), रेंज भोपाल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांकित 11.2.2021 को अग्रेषित करते हुए, श्री कैलाश मकवाना, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अन्वेषण विभाग, भोपाल ने पत्र दिनांकित 26.4.2021 के माध्यम से, बताया कि पुलिस ने इस आपराधिक मामले में अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है। उन्होंने आगे विवेचित किया कि जांच करने पर यह पता चला है कि यह मामला पत्रकारिता पर हमला नहीं, बल्कि पैसों के लिए की गई हत्या है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), भोपाल द्वारा दर्ज़ उत्तर,

प्रतिवादी-पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), भोपाल ने रिपोर्ट दिनांकित 10.10.2022 के माध्यम से रिपोर्ट को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 302/201 के तहत, अभियुक्त, अर्थात, श्री मनीराम सेन उर्फ मनिया के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट संख्या 67/2021 दिनांकित 3.4.2021 को न्यायालय में पेश किया गया है, जो अभी विचाराधीन है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 11.10.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश की ओर से श्री संतोष कुमार शुक्ला जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

भारतीय प्रेस परिषद को समाचार रिपोर्ट दिनांकित 10.11.2020 में प्रकाशित समाचार के माध्यम से, भोपाल में एक पत्रकार की हत्या के बारे में पता चला। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि एक स्थानीय टीवी चैनल के लिए कार्यरत पत्रकार, श्री सैयद आदिल वहाब, भोपाल के एक जंगल में मृत पाए गए। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई, तो 35 वर्षीय पत्रकार की पहचान उसके कपड़ों से की गई।

भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य, श्री बलविंदर सिंह जम्मू और श्री के. अमरनाथ ने भी पत्र दिनांकित 13.11.2020 के माध्यम से इस घटना की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए, मध्य प्रदेश सरकार से मामले के तथ्यों पर रिपोर्ट मांगी गई थी।

श्री इरशाद वली, उप-पुलिस महानिरीक्षक (सिटी), रेंज भोपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 11.02.2021 द्वारा प्रस्तुत किया है कि श्री गोविंद बैरागी नामक व्यक्ति ने दिनांक 08.11.2020 को सूचना दी कि वन क्षेत्र में एक शव पड़ा है। इस संबंध में, दिनांक 08.11.2020 को पुलिस थाना सुखीसेवनिया में अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज किया गया। मृत व्यक्ति की पहचान, श्री आदिल वहाब के रूप में उसके भाई ने की और पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान, मृतक के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बयान दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान, मनीराम सेन उर्फ

मनिया, जो फरार था, का नाम संदिग्ध के रूप में सामने आया। पूछताछ करने पर, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे दिनांक 05.01.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा इस समय वह भोपाल जेल में है। सुश्री रसना ठाकुर, सहायक आईजीपी (सी), पुलिस मुख्यालय, अपराध जांच विभाग, भोपाल ने भी पत्र दिनांकित 12.03.2021 के माध्यम से श्री इरशाद वली, उप आईजीपी (नगर), रेंज भोपाल की उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांकित 11.02.2021 अग्रेषित की है। अपने आगे के उत्तर में, श्री इरशाद वली ने उपर्युक्त रिपोर्ट को दोहराया। इस प्रकार, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आगे विवेचित किया गया है कि आरोपी और मृतक एक-दूसरे से परिचित थे। मृतक ने आरोपी से पैसे लिए थे, जिसके कारण से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक पर किया गया हमला, उनके पत्रकारिता के कर्तव्य से संबंधित नहीं था। श्री कैलाश मकवाना, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अन्वेषण विभाग, भोपाल का भी यही जवाब है। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, जांच समिति को यह लगता है कि श्री वहाब की हत्या पैसों को लेकर विवाद के कारण की गई थी। हत्या का संबंध उनके पत्रकारिता के कर्तव्य से नहीं है। तद्नुसार, जांच समिति परिषद से मामले को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्डों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद, कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 6 **फा.सं. 23/एसएम/2020–बी**

1. **राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की सकारात्मक मीडिया कवरेज हेतु कथित तौर पर पत्रकारों को रिश्वत देने के संबंध में, राजकोट कलेक्टर के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया।**

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर के अंक दिनांकित 2.2.2020 में "राजकोट कलेक्टर के हस्ताक्षर वाले 50-50 हजार के चेक से 8 पत्रकारों को रिश्वत" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर गौर किया। समाचार में रिपोर्ट किया गया था कि मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के सकारात्मक प्रचार-प्रसार के लिए राजकोट जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आठ पत्रकारों को

50 हजार रुपये का चेक दिये जाने के मामले में जांच के आदेश दिये हैं। रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि दूसरी ओर, राजकोट जिला कलेक्टर, सुश्री रेम्या मोहन ने स्पष्टीकरण देने हेतु अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्पष्ट किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पत्रकारों को संतोषजनक जवाब देने में विफल रहीं कि किस नियम के तहत, मीडियाकर्मियों को चेक वितरित किया जाना उचित/कानूनी है। समाचार के अनुसार, दैनिक भास्कर ग्रुप की 'नो पेड न्यूज पॉलिसी' के तहत दिव्य भास्कर के पत्रकारों ने चेक लेने से मना कर दिया। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि कलेक्टर ने बताया कि लोगों से मिले फंड से पैसा दिया गया, हालांकि कलेक्टर कोई बिल या रिलीज ऑर्डर पेश नहीं कर सकीं। कलेक्टर ने दावा किया कि वीराल डेवलपर्स ने गणतंत्र दिवस पर प्रचार हेतु चंदा (पैसा दान) किया था। आगे बताया गया है कि जब वीराल डेवलपर्स से पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कलेक्टर को 4 लाख रुपये दिए थे, न कि पत्रकारों को देने के लिए। समाचार के अनुसार, गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की सकारात्मक कवरेज हेतु गुजरात स्थित पत्रकारों को कलेक्टर और स्थानीय अपर कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित चेक दिए गए थे। समाचार में बताया गया कि दिव्य भास्कर की टीम ने अपर कलेक्टर से मिलकर इस संबंध में चर्चा की। हालांकि, उनसे कहा गया कि अगर वे कोई समाचार प्रकाशित नहीं करते हैं तो भी वे चेक स्वीकार कर लें।

जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस दिनांकित 06.02.2020 गुजरात सरकार के मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, राजकोट, और श्री हिरेन जोशी, डिप्टी मामलातदार, राजकोट को जारी किए गए थे। साथ ही, श्री जिग्नेश वैद, रिपोर्टर, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद से मामले का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

जिला कलेक्टर, राजकोट का उत्तर

सुश्री रेम्या मोहन, कलेक्टर, राजकोट, गुजरात ने अपने उत्तर दिनांकित 20.2.2020 में प्रस्तुत किया कि राज्य स्तर के दायरे में प्रशासन, नागरिकों, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों और समाज के सभी अन्य हितधारकों द्वारा जनहित में राजकोट जिले में कुल 70 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि इस तरह के आयोजन व्यापक जन भागीदारी हेतु आयोजित किए जाते हैं। प्रशासन को अपने प्रस्तावों के आधार पर, हितधारक, जहां अनुमति हो, ऐसे आयोजनों को प्रायोजित भी करते हैं। समारोह के लिए कोर कमेटी द्वारा विधिवत प्रक्रिया के साथ "26 जनवरी समारोह समिति" के नाम से एक पारदर्शी और लेखापरीक्षित खाता खोला गया था। प्रतिवादी के अनुसार, कार्यक्रम 15 दिनों के लिए निर्धारित किए गए थे और कार्यक्रम में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों, जिन्होंने आम जनहित में कम समय में (शॉर्ट नोटिस पर) समाचार प्रसारित करने की इच्छा व्यक्त की थी, में आयोजन के समय, तिथि एवं स्थानों की आधिकारिक घोषणा हेतु कार्यालय आदेश संख्या एसपीएल/एडीएम/26/जनवरी/फाइल संख्या 6ए2/20 दिनांक 22.1.2020 पारित किया गया था। प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों को आम आदमी की भाषा में आयोजन के बारे में समाचार प्रकाशित करने

के लिए लीफलैट के रूप में मीडियाकर्मियों को सामग्री प्रदान की गई। मीडिया घरानों द्वारा विज्ञापन के एवज में दिए गए बिलों की प्राप्ति पर मीडिया घरानों या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को क्रास चेक द्वारा भुगतान किया गया। विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आधिकारिक आदेश के बाद क्रॉस चेक द्वारा भुगतान किया गया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मीडियाकर्मियों को आगामी कार्यक्रमों के बारे में विज्ञापन के लिए वस्तुनिष्ठ जानकारी देना, वह भी विशेष रूप से गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर के लिए, एक सामान्य और नियमित अभ्यास है जो न तो अवैध है और न ही अनैतिक। प्रतिवादी ने आगे कहा कि इस मामले में किसी दुर्भावना या छिपी मंशा का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भुगतान पारदर्शी माध्यम से किया गया था जो सार्वजनिक और आधिकारिक जांच के लिए खुला है। मीडिया के साथ कार्य करते हुए जवाबदेही और नैतिकता के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के प्रति जिला प्रशासन अपने कर्तव्यों और दायित्व से पूरी तरह अवगत है।

डिप्टी मामलातदार, राजकोट का उत्तर

श्री हिरेन डी. जोशी, डिप्टी मामलातदार, कलेक्टर कार्यालय, राजकोट ने अपने उत्तर दिनांकित 4.3.2020 द्वारा प्रस्तुत किया कि आदेश क्रमांक: खास/एडीएम/26 जनवरी-72/2020, दिनांकित 22.1.2020 के जरिये राजकोट जिले में आयोजित राज्य स्तर के गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विज्ञापनों के लिए जारी किया गया था। राजकोट से प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण और लोकप्रिय दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था। 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तिथि, समय और स्थान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार, ऐसी भाषा में, जिसे जनता आसानी से समझ सके, कराने के लिए समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को पैंफ्लेट दिया गया। अखबारों के प्रतिनिधियों से बिल मिलने पर और जिस नाम से उनके द्वारा मांग की जाती थी, उसके लिए उन्हें क्रॉस्ड चेक जारी किए गए।

इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 02.02.2020 के समाचार के प्रकाशन के संबंध में, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि कोई नकद भुगतान नहीं किया गया था और यह गलत उद्धरण, गुजराती शब्द "रकम" के "नकद" में गलत अनुवाद के कारण, दिया गया है, जबकि इसका वास्तव में अर्थ है " रकम"। किसी भी पत्रकार को रिश्वत नहीं दी गई और यह तर्कहीन है कि कोई भी रिश्वत आधिकारिक नोटिस और आदेश के माध्यम से क्रॉस चेक द्वारा दी जा सकती है। विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के उद्देश्य से ही भुगतान क्रॉस चेक द्वारा किया गया था। उनके अनुसार, 30.1.2020 को दिव्य भास्कर के प्रतिनिधि के अनुरोध पर उनके द्वारा एक चेक तैयार किया गया था। उस समय, प्रतिनिधि ने उन्हें यह सूचित नहीं किया कि उन्होंने अपने दैनिक में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया है। जब बिल जमा करने का समय आया तो प्रतिनिधि ने पहले अपने नाम के चेक पर जोर दिया और फिर यह पूछकर मानसिक खेल खेला कि क्या दिव्य भास्कर के नाम पर चेक जारी किया जा सकता है। चूंकि वह दिव्य भास्कर का नियमित प्रतिनिधि है जो उनके कार्यालय में आता है, उसके पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं

था। उद्देश्य केवल यही था कि 24 से 26 जनवरी, 2020 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के समय, दिनांक एवं स्थान की जानकारी जनता तक समय से पहुँचे। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार तुच्छ किस्म की सनसनी है और तथ्यों या वास्तविकता पर आधारित नहीं है एवं यह अनैतिक पत्रकारिता का एक उदाहरण है।

मामले की सुनवाई 9.12.2020 को जांच समिति द्वारा की गई, जिसमें कलेक्टर के प्रतिनिधि ने जांच समिति के समक्ष 'पैम्फलेट' पेश किया, जिसे कथित रूप से विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए समाचारपत्रों को दिया गया। प्रतिवादी ने उन समाचारपत्रों की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत की, जिनमें विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। जांच समिति ने कलेक्टर, राजकोट को उन प्रायोजकों के नाम रिकॉर्ड में देने का निदेश दिया, जिन्होंने समाचारपत्रों में विज्ञापन के लिए पैसा दिया था। जिला कलेक्टर को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए विभिन्न समाचारपत्रों को लिखे गए पत्र को प्रस्तुत करने और उन मूल समाचारपत्रों को रिकॉर्ड में देने का निदेश दिया गया, जिनमें विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। जिला कलक्टर को आगे आदेश दिया गया कि वे प्रायोजकों को परिषद के समक्ष लंबित मामले के बारे में अवगत कराएं, ताकि वे जांच समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और मामले को अगली सुनवाई हेतु स्थगित कर दिया गया।

जिला कलक्टर राजकोट का पत्र दिनांकित 12.2.2021

परिषद के पत्र दिनांकित 30.1.2021 के उत्तर में, प्रतिवादी-सुश्री रेम्या मोहन, जिला कलक्टर, राजकोट ने प्रस्तुत किया कि सिर्फ एक मीडिया हाउस द्वारा पत्रकारिता के खराब शोध और सनसनीखेज अंश के आधार पर, यह तय किया जा रहा है कि जिले में कार्यरत अन्य सभी मीडिया हाउस अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं और उन सभी को गलत बताया जा रहा है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि "Cash" शब्द का बार-बार उपयोग किया गया, जिसका उन्होंने प्रभावी और स्पष्ट रूप से खंडन किया है, क्योंकि प्रत्येक संबंधित लेनदेन क्रॉस चेक के माध्यम से किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जिले में आयोजित, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सभी हितधारकों के लिए गर्व और संजोई हुई यादों का विषय था। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लेख का उद्देश्य, प्रशासन की एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया को कलंकित करना है।

परिषद के पत्र दिनांकित 27.01.2021 के माध्यम से प्रतिवादी समाचारपत्रों से टिप्पणियां भी मंगवायी गईं।

देश परदेशी आजकल द्वारा दर्ज़ टिप्पणियां

श्री काना बंटवा, संपादक, देश परदेशी आजकल, राजकोट ने अपनी टिप्पणी दिनांकित 18.2.2021 में कहा कि उनके संगठन ने कभी भी बेहिसाब धन स्वीकार नहीं किया और इस विज्ञापन के लिए चेक संख्या 715088 दिनांकित 03.09.2019 के माध्यम से पैसे लिए गए। उन्होंने आगे कहा कि सटीकता की प्रक्रियात्मक कमी को कदाचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

समाचारपत्र, देश परदेशी आजकल की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा पर एक संस्था द्वारा निराधार अटकलों के आधार पर उठाए गए सवालों पर आपत्ति जताई गई।

अबतक मीडिया द्वारा दर्ज़ टिप्पणियाँ

श्री सतीश कुमार एस. मेहता, प्रबंध संपादक, अबतक, राजकोट ने पत्र दिनांकित 13.2.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी मीडिया इकाइयों ने कभी भी व्यक्ति/संगठन से बेहिसाब धन, चाहे वह सरकारी हो या निजी, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उक्त मामले में, उनके विज्ञापन शुल्क का विधिवत भुगतान कलक्ट्रेट, राजकोट द्वारा प्रचार प्रसार के एवज में चेक नंबर 547785 दिनांकित 24.1.2020 के माध्यम से किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रियात्मक सटीकता और इसकी कमी को उनकी ओर से कदाचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने मीडिया के लिए दुष्प्रचार से बचने के लिए मामले को अविलंब बंद करने का अनुरोध किया है।

आजाद संदेश द्वारा दर्ज़ टिप्पणियां

आजाद संदेश समाचारपत्र, राजकोट ने दिनांक 17.2.2021 की टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया कि उनके संगठन ने कभी भी बेहिसाब धन नहीं लिया और इस विज्ञापन के लिए कलक्ट्रेट, राजकोट द्वारा चेक संख्या 547784 दिनांकित 24.01.2020 के माध्यम से राशि का विधिवत भुगतान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रक्रियात्मक सटीकता या इसकी कमी को कदाचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। समाचारपत्र, आजाद संदेश की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा पर एक संस्था द्वारा निराधार अटकलों के आधार पर उठाए गए सवालों पर आपत्ति जताई गई।

अकिला डेली से प्राप्त टिप्पणियां

अकिला डेली के संपादक ने पत्र दिनांकित 18.2.2021 के माध्यम से कहा है कि उनका संगठन कभी भी बेहिसाब धन स्वीकार नहीं करता है और इस विज्ञापन के लिए धन का भुगतान कलक्ट्रेट, राजकोट द्वारा चेक नंबर 000014 दिनांकित 24.01.2020 के माध्यम से किया गया था। वह आगे कहते हैं कि प्रक्रियात्मक सटीकता की कमी को कदाचार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उक्त विज्ञापन सरकार द्वारा जनता में जागरूकता फैलाने और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहार और सहायक कार्यक्रमों तथा योजनाओं में उनकी भागीदारी को अधिकतम करने के इरादे से प्रकाशित किया गया था। उनके अनुसार इस विज्ञापन के प्रकाशन में कुछ भी अनैतिक नहीं था, क्योंकि यह 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी के लिए प्रकाशित किया गया था।

जांच समिति द्वारा दिनांक 19.2.2021 को नई दिल्ली में फिर से मामले की सुनवाई की गई और उसे स्थगित कर दिया गया।

अकिला डेली से प्राप्त अन्य पत्र

श्री अजीतभाई गुणवंतराय गनात्रा, प्रोपराइटर/संपादक, अकिला डेली ने अपने जवाब दिनांकित 15.4.2021 में प्रस्तुत किया कि उनकी मीडिया इकाई ने कभी भी किसी भी व्यक्ति/संगठन से अनैतिक या अवैध तरीके से कोई विज्ञापन या बेहिसाब पैसा स्वीकार नहीं किया, चाहे वह निजी हो या सरकारी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में, उनके विज्ञापन शुल्क का विधिवत भुगतान, कलक्ट्रेट, राजकोट द्वारा श्री नितिनभाई पारेख, प्रेस रिपोर्टर को बैंक ऑफ बड़ौदा के 50,000/- रुपये की राशि के चेक नंबर 000014 दिनांकित 24.01.2020 के माध्यम से प्रचार करने की एवज में किया गया। उनके अनुसार, समाचारपत्र में प्रकाशित सशुल्क विज्ञापन/विज्ञापनिकाओं के मामले में, उक्त प्रकाशित विज्ञापन/विज्ञापनिकाओं के अंत में हमेशा '000' का चिह्न/प्रतीक होता है। इसके अलावा, इस तरह के विज्ञापन/एडवर्टोरियल को प्रकाशित करने के लिए अलग-अलग बॉक्स-कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, श्री नितिन पारेख के कहने पर, भुगतान विज्ञापन/विज्ञापनिकाओं दिनांकित 22.1.2020 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि कथित समाचार/विज्ञापन/विज्ञापनिकाओं में उक्त प्रकाशन के अंत में '000' का चिह्न था और इसे अलग बॉक्स/कोष्ठक में प्रकाशित किया गया था, जिसके कारण यह अन्य भुगतान न किए गए समाचार/लेखों से अलग था। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त समाचार-एडवर्टोरियल, विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया गया था न कि समाचार के रूप में, इस प्रकार, कुछ भी अवैध नहीं है और वे सदैव पारदर्शी ही रहे। अपने लिखित वक्तव्य को दोहराते हुए, उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह उनके निवेदन पर विचार करें और यथोचित निर्णय ले।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। श्री जिगर खुंट, उप निदेशक, सूचना विभाग, श्री हिरेन डी. जोशी, उप मामलातदार, कलक्टर कार्यालय, राजकोट और श्री के.सी. चौधरी, एसडीएम सिटी-1, राजकोट प्रतिवादी सरकार की ओर से पेश हुए और सुश्री शगुन चोपड़ा, अधिवक्ता प्रतिवादी समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" की ओर से पेश हुई।

भारतीय प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर के अंक दिनांकित 2.2.2020 में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर गौर किया, जिसका शीर्षक था "राजकोट कलक्टर के हस्ताक्षर वाले 50-50 हजार के चेक से 8 पत्रकारों को रिश्वत"। समाचार में यह बताया गया था कि 50000/- रुपये के क्रॉस-चेक राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के सकारात्मक प्रचार के लिए जिला कलक्टर, राजकोट के कार्यालय द्वारा आठ पत्रकारों को दिए गए। परिषद ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और इसके

अनुसरण में कलक्टर, राजकोट को नोटिस जारी किया गया। डिप्टी कलेक्टर, राजकोट, राजकोट कलेक्टर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कलक्टर की ओर से निवेदन किया गया है कि पैसे किसी गुपचुप तरीके से नहीं दिए गए। कलक्टर ने क्रॉस चेक दिये और वह भी 26 जनवरी जैसे उत्सव के लिए। यह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का निमंत्रण था, न कि किसी निजी उद्यम या व्यावसायिक घराने का कोई प्रचार किया जाना था और न ही किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुँचाने का कोई इरादा था। दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाता, श्री शगुन चोपड़ा द्वारा समिति को यह बताया गया था कि प्रकाशन के अलग-अलग पत्रकारों को चेक दिए गए थे। समिति को ऐसा लगता है कि ऐसे अभ्यास आजकल प्रचलित हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कलक्टर, राजकोट को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए व्यक्तिगत पत्रकारों को इतनी राशि नहीं देनी चाहिए थी। हो सकता है कि यह किसी अति उत्साही कलक्टर का व्यवहार हो या अनुभव के अभाव में ऐसा किया गया हो। समिति को यह लगता है कि किसी विशेष राजनीतिक दल या व्यावसायिक घराने का समर्थन करके व्यवस्था को प्रदूषित करने का इसमें कोई इरादा नहीं है। लेकिन उस हिसाब से कलक्टर को माफ नहीं किया जा सकता। कलक्टर को भविष्य में सावधान रहना होगा। इसलिए समिति, परिषद को सुश्री रेम्या मोहन, जिला कलक्टर, राजकोट को **चेतावनी** देने की सलाह देती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित न हों और जांच समिति राजकोट संस्करणों के निम्नलिखित समाचारपत्रों की **परिनिंदा** करने की संस्तुति करती है, जिन्होंने जिला कलक्टर, राजकोट से धन / राशि स्वीकार की है। (i) अकिला (ii) आजाद संदेश (iii) आजकाल (iv) सांझ समाचार (v) अबतक (vi) जय हिंदी और (vii) गुजरात मिरर। इस आदेश की एक प्रति गुजरात सरकार के मुख्य सचिव, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर को उचित कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और सुश्री रेम्या मोहन, जिला कलक्टर, राजकोट को **चेतावनी** देने का निर्णय लेती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित न हों और राजकोट संस्करणों के निम्नलिखित समाचारपत्रों की **परिनिंदा** करती है, जिन्होंने जिला कलेक्टर, राजकोट से धन / राशि स्वीकार की है। (i) अकिला (ii) आज़ाद संदेश (iii) आजकल (iv) सांझ समाचार (v) अबतक (vi) जय हिंदी और (vii) गुजरात मिरर। उक्त निदेश के साथ परिषद ने मामले को समाप्त कर दिया।

******

प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णय

सिद्धांत और प्रकाशन

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 1	**फा.सं. 14/531/18–19–पीसीआई**
शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र	संपादक, लोकसत्ता, मुंबई

तथ्य

दिनांक 14.11.2018 की यह शिकायत श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई द्वारा लोकसत्ता, मराठी दैनिक, मुंबई के संपादक के खिलाफ कथित रूप से दिनांक 3.11.2018 के अंक में "वारसा" (इनहैरिटैन्स - अंग्रेजी अनुवाद) शीर्षक के तहत झूठा समाचार लेख प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी। .

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, आक्षेपित समाचार लेख में बताया गया था कि ऐतिहासिक रूप से पं. नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी कभी भी आर्थिक नीतियों पर सहमत नहीं हुए। सरदार पटेल और पं. नेहरू ने गांधीजी का विरोध किया। विडंबना यह है कि पटेल और नेहरू भी एक बिंदु पर असहमत थे। पंडितजी ने जेआरडी टाटा की लाड़ली एयर इंडिया को एक राष्ट्रीयकृत कंपनी का दर्जा दे दिया और कंपनी की विश्व रैंकिंग, जोकि नंबर 5 पर थी, में गिरावट शुरू हो गई। यह भी बताया गया है कि जेआरडी टाटा ने उन्हें इसी कारण से प्रधानमंत्री बनाना पसंद किया और कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो वित्तीय स्थिति बहुत उज्जवल और बेहतर होती। यह भी बताया जाता है कि अब वर्तमान परिदृश्य में, नेहरू की नीतियों की कई लोगों ने आलोचना की, भले ही वे आज सत्ता में हों। पं. नेहरू की नीतियों के विरोध में सबसे पहले श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। आक्षेपित लेख के अनुसार, राव कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन वे अपने पूर्ववर्तियों की नीतियों के खिलाफ जाने से नहीं डरते थे। इसके बाद, श्री अटल बिहारी, राव की इस उपलब्धि के करीब आए। उन्होंने निजीकरण को आगे बढ़ाया। वह भाजपा से थे, इसलिए उन्हें नेहरू की नीतियों को खारिज करने का अधिकार था। 2014 में फिर से उनकी पार्टी सत्ता में आई। उनकी पार्टी व्यापार-समर्थक और प्रगतिशील थी। इसलिए हमें उम्मीद थी कि पीएसयू को स्वच्छंदता मिलेगी। कांग्रेस की गलत नीतियों से बैंकों का हाल बेहाल हो गया। कई अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह एयर इंडिया का भी नुकसान हो रहा था। सभी को आर्थिक उदारीकरण की उम्मीद थी। यह अपेक्षित था, क्योंकि यह सरकार श्री सरदार पटेल

की अर्थशास्त्रीय नीतियों का सम्मान करती थी। इसलिए सरकार ने उनकी एक ऊंची प्रतिमा बनाने का फैसला किया। आगे बताया गया है कि अब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। इस भव्य प्रोजेक्ट पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खर्च किसे वहन करना पड़ा? इस मूर्ति के लिए बड़ी रकम खर्च करने वालों की सूची नीचे दी गई है- इंडियन ऑयल (900 करोड़), ओएनजीसी (500 करोड़), बीपीसीएल (450 करोड़), एचपीसीएल (250 करोड़), ओआईएल (250 करोड़), गेल (250 करोड़), पावर ग्रिड (125 करोड़), जीएमडीसी (100 करोड़), ईआईएल (90 करोड़), पेट्रोलियम इंडिया (50 करोड़), बामर लॉरी (6 करोड़), सीएजी ने ब्यौरा दिया है। इस सूची का तात्पर्य क्या है? सभी पीएसयू हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की आलोचना की गई, पंडित नेहरू की इस सोच का सरदार पटेल ने विरोध किया। अब जिस सरकार ने पंडित नेहरू की नीतियों का विरोध किया, वही उनकी उपलब्धियों के धन का उपयोग कर रही है। कुछ कंपनियों ने इसे "प्राकृतिक विरासत कोष और कला संरक्षण पर खर्च किया गया धन" के शीर्षक के अंतर्गत रखा है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति सरकार की नीतियों में बदलाव आया है और अब वे उन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं या अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि आक्षेपित लेख में पं. नेहरू द्वारा शुरू किए गए पीएसयूज़ का महत्व बताया गया है और वह इस बात पर प्रकाश डालना चाहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पीछे पं. नेहरू की वित्तीय और आर्थिक नीतियों से संबन्धित दृष्टिकोण को अब धूल में मिला दिया गया है। सरदार पटेल ने उनकी नीतियों पर आपत्ति जताई। अब पं. नेहरू और सरदार पटेल के कारण अस्तित्व में आए पीएसयू से निकाले गए पैसों से उनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि अपने इस दावे को साबित करने के लिए संपादक झूठे आंकड़े देता है, जो अनावश्यक रूप से सरदार की परियोजना के पीछे की पूरी अवधारणा को बदनाम करता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आक्षेपित लेख में कहा गया है कि पीएसयू की अक्षमता की इस वर्तमान सरकार सहित कई लोगों ने आलोचना की थी और अब वे उन्हीं पीएसयू का उपयोग अपने लाभ के लिए या अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि आक्षेपित लेख राजनीति से प्रेरित है और तथ्यों को विकृत करता है। शिकायतकर्ता ने 14.11.2018 को प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित समाचार लेख की ओर आकर्षित किया। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी-संपादक, लोकसत्ता, मुंबई को दिनांक 4.2.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

<u>संपादक, लोकसत्ता का लिखित वक्तव्य</u>

संपादक, लोकसत्ता ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 9.3.2019 में, आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि आक्षेपित लेख में, संपादक ने भारत के कुछ प्रमुख नेताओं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, श्री जेआरडी टाटा, श्री अटल बिहारी, श्री नरसिम्हा राव और श्री

मनमोहन सिंह की आर्थिक विचारधाराओं या आर्थिक प्राथमिकताओं की विरासत और दर्शन पर चर्चा की। पं. नेहरू द्वारा पसंद की जाने वाली प्रमुख आर्थिक नीतियों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का निर्माण था, जिसे उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पं. नेहरू समाजवाद की ओर झुके हुए थे और 'मुनाफे' से घृणा करते थे। सरदार पटेल का मानना था कि सरकार को कारोबार नहीं करना चाहिए और वह पीएसयू या एयरलाइन चलाने के पक्ष में नहीं थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि उसने एक वरिष्ठ नौकरशाह से पीएसयू द्वारा खर्च किए गए आंकड़े प्राप्त किए और वह सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि सख्त गोपनीयता के आधार पर जानकारी प्रदान की गई है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि प्रतिमा पर खर्च की गई वास्तविक रकम के आंकड़े, आम तौर पर जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह सार्वजनिक हित का मामला है क्योंकि सार्वजनिक धन खर्च किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, उन्हें श्री अरविंद सावंत, सांसद और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के सदस्य से पता चला कि श्री सावंत ने 25.1.2019 को हुई समिति की बैठक में जब पेट्रोलियम सचिव मौजूद थे, सरदार पटेल की महान प्रतिमा के निर्माण में पेट्रोलियम कंपनियों के योगदान की सही राशि के बारे में प्रश्न पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रतिवादी ने आगे कहा कि किसी भी पीएसयू से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता सीएजी की एक रिपोर्ट पर भरोसा करता है, जहां पीएसयू के आंकड़े कथित रूप से अलग हैं और वह इस बात को समझने में विफल रहता है कि सीएजी रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष से संबंधित है। यहां तक कि वर्ष 2016-17 के लिए सीएजी की यह रिपोर्ट भी मूर्ति के निर्माण के लिए सीएसआर फंड के उपयोग को दर्शाने में असटीक मालूम पड़ती है, क्योंकि यह इसमें समर्थ नहीं है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि आक्षेपित कॉलम एक सामयिक विषय पर संपादक की राय या विचार है और इसे सद्भावना एवं जनहित में और बिना किसी द्वेष के लिखा गया था।

शिकायतकर्ता की प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने प्रति-टिप्पणियों दिनांकित 28.05.2019 के माध्यम से, प्रतिवादी के लिखित बयान का खंडन करते हुए कहा कि प्रतिवादी संपादक केवल वेबसाइट और ब्लॉग के आधार पर पीएसयू से भारी रकम लेने के अपने दावे की पुष्टि कर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में वर्णित लोकसत्ता लेख में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने 2013-14 से 2018-19 तक 2980 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि परियोजना लागत 3012 करोड़ रुपये है, जिसमें अगले 15 वर्षों के लिए प्रावधान शामिल है। आगे, शिकायतकर्ता पीएसयू से 2500 करोड़ की आवश्यकता के प्रतिवादी के दावों पर सवाल उठाता है।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी संपादक, श्री गिरीश कुबेर का दावा है कि 2014 एनडीए सरकार से सरदार पटेल के दर्शन का पालन करने की उम्मीद थी और इस परिप्रेक्ष्य में, पटेल की मूर्ति का निर्माण उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीएसआर के

नाम पर पीएसयू से लिए गए पैसे का भी बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया। शिकायतकर्ता प्रतिमा के लिए पीएसयू से पैसे का उपयोग करने के दावे पर अपना तर्क देता है कि यह पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण होने की उम्मीद पर खरा उतर रही है। शिकायतकर्ता आगे बताता है कि यह प्रतिमा प्रति वर्ष, जनजातीय लोगों के लिए पर्यटन और संबद्ध क्षेत्र में 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। यदि वास्तविक आंकड़ों का उल्लेख किया गया होता तो संपादक की कहानी का कोई आधार नहीं होता और इसलिए संपादक ने सरकार पर हमला करने के उद्देश्य से, एक असत्यापित गपशप के एक तरफा दृष्टिकोण का उपयोग किया है। इसलिए यह लेख जानबूझकर इस सरकार को बदनाम करने के लिए लिखा गया है, और इसलिए राजनीतिक है।

यह प्रस्तुत किया है कि यह मामला 21.1.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष रखा गया था और जांच समिति ने शिकायतकर्ता की याचिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया और शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी अन्य सामग्री को प्रस्तुत न किए जाने पर समिति शिकायतकर्ता के दावे को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी और तदनुसार उपर्युक्त शिकायत को समाप्त कर दिया गया था।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि परिषद ने अपने निर्णय दिनांकित 21.09.2020 में, श्री सदानंद एस घोडगेरीकर, पुणे बनाम लोकसत्ता समाचार पत्र (फा.सं. 14/566/18-19) के मामले में, शीर्षक "वारसा" के अंतर्गत इसी समाचार पर लोकसत्ता की परिनिंदा की थी।

इसके अलावा, मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था और निदेश पारित किया गया था "बाद के घटनाक्रम को देखते हुए, इस शिकायत को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए"।(अनूदित वर्तन)। तदनुसार, मामला 19.2.2021 को जांच समिति के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। दोनों पक्षों की अनुपस्थिति में जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।

<u>प्रतिवादी से प्राप्त अन्य पत्र</u>

संपादक, लोकसत्ता ने दिनांक 6.4.2021 के ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि प्रेस परिषद पहले ही "वारसा" शीर्षक से संबंधित फा.सं.14/566/18-19-पीसीआई में एक शिकायत पर निर्णय सुना चुकी थी और समाचारपत्र की परिनिंदा की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि यह शिकायत इसलिए निरर्थक है और इस मामले को इस सिद्धान्त पर खारिज करने की जरूरत है कि एक व्यक्ति/संपादक को एक ही समाचार रिपोर्ट के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ किए गए पहले के मामलों, जिनका निपटान परिषद द्वारा किया गया था, का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि लोकसत्ता के संपादक से शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत दुश्मनी है और उसने भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष, संपादक के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की हैं। शिकायतकर्ता द्वारा लोकसत्ता के खिलाफ दर्ज़ कुछ मौजूदा मामलों का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता संपादक को परेशान करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद का दुरुपयोग कर रहा है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्रों में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।

शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने ईमेल दिनांक 5.9.2022 के माध्यम से कहा है कि इस मामले पर दिल्ली में पीसीआई की जनवरी, 2020 की बैठक में चर्चा हुई थी और वह उस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें बैठक का कार्यवृत्त नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 3/9/2021 को उन्हें पीसीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया था कि मामला जनवरी 2020 में जांच समिति के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और स्थगित कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि परिषद के दिनांक 3/9/2021 के पत्र में दावा किया गया है कि इस मामले पर परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है तथा जब इसका गठन किया जाएगा, तब इस मामले पर विचार किया जाएगा। इस पर पहले ही विचार और चर्चा हो चुकी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों पक्षों ने अपने-अपने दृष्टिकोण को लेकर पीसीआई को कई पत्र भेजे थे। परिषद ने फरवरी, 2020 में उनकी शिकायत में उठाए गए उसी मामले पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत के जवाब में अपना निर्णय दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसने स्वतंत्र रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। जो शिकायत पुणे के श्री सदानंद गोडगेरिकर ने दर्ज़ की थी, उसमें निर्णय अखबार के खिलाफ था। उन्हें उस मामले में पीसीआई के निर्णय के बारे में फरवरी, 2020 में अखबार से पता चला। उन्होंने कहा है कि इससे पहले उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी अन्य ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने रिकॉर्ड में उपलब्ध सारी सामग्री के आधार पर आगे बढ़ने और निर्णय लेने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है और उसकी ओर से कोई स्थगन अनुरोध नहीं है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 21.09.2022 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि श्री साहिल, प्रतिवादी के परामर्शदाता और सुश्री मोनिका बंसल, उप महाप्रबंधक, विधि, प्रतिवादी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

श्री सुनील गजानन गोडबोले ने अपनी शिकायत दिनांक 14.11.2018 द्वारा, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, मुंबई के संपादक पर "वारसा" शीर्षक के तहत कथित रूप से फ़र्जी समाचार लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया है।

श्री गोडबोले ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रेस परिषद को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि समिति को उपलब्ध सामग्री के साथ मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। लोकसत्ता की ओर से अधिवक्ता, श्री साहिल एवं कंपनी सचिव श्रीमती मोनिका बंसल उपस्थित हैं।

जांच समिति ने नोट किया कि श्री सदानंद एस घोडगेरिकर ने दिनांक 8.11.2018 को इसी लेख "वारसा" के संबंध में लोकसत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत पर सुनवाई हुई और

आदेश दिनांक 21.09.2020 द्वारा समाचार पत्र लोकसत्ता की परिनिंदा की गई। चूँकि उसी लेख के लिए लोकसत्ता की परिनिंदा की गई थी, लोकसत्ता की परिनिंदा करते हुए कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

इन परिस्थितियों में, समिति परिषद को सलाह देती है कि वह शिकायत को व्यर्थ मानते हुए उसे समाप्त करें।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए शिकायत को व्यर्थ मानते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 2 **फा.सं.1862 / 2020–ए**

शिकायतकर्ता
1. श्री सभाजीत यादव,
ग्राम परकपुर,
आजमगढ़ (यूपी)

प्रतिवादी
संपादक,
अमर भारती,
आगरा (यूपी)

तथ्य

दिनांक 3.8.2020 की यह शिकायत, श्री सभाजीत यादव, आजमगढ़ (यू.पी.) द्वारा संपादक, अमर भारती, आगरा संस्करण के खिलाफ कथित रूप से अंक दिनांकित 3.7.2019 में शीर्षक **"एड्स होने पर टोरंट ने अभियंता को निकाला"** के अंतर्गत एक समाचार प्रकाशित करके उनकी पहचान का खुलासा करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया था कि "जिला आजमगढ़ के ग्राम परकपुर निवासी सभाजीत यादव ने बताया कि उन्होंने टोरेंट पावर में अधिशासी अभियंता के पद पर वर्ष 2014 में कार्यभार संभाला था, बाद में एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।" पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, अन्यथा उसे आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए।

शिकायतकर्ता ने बताया है कि वह एक निजी कंपनी में अधिशासी अभियंता के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसे एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस

संबंध में, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन प्रतिवादी ने उनकी अनुमति के बिना उनके पत्र को प्रकाशित कर उनकी पहचान उजागर कर दी, जिसके कारण उन्हें कोई अन्य नौकरी नहीं मिल पा रही है।

शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी का ध्यान 7.6.2021 के आक्षेपित समाचार की ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

तदनुसार, परिषद ने 19.7.2021 को प्रतिवादी संपादक, अमर भारती, आगरा को कारण बताओ नोटिस सेवित किया, हालांकि, यह वितरित (deliver) नहीं किया गया था और 21.8.2021 को इसे फिर से जारी किया गया था। अंत में नोटिस प्रतिवादी को 11.10.2021 को सेवित किया गया।

लिखित वक्तव्य

श्री शैलेंद्र कुमार जैन, संपादक, अमर भारती ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 26.10.2021 में विवेचित किया है कि समाचार में शिकायतकर्ता का नाम अनजाने में, गलती से प्रकाशित हो गया था और इस पर ध्यान दिए जाने पर अमर भारती समूह ने अपने आगरा संस्करण के संबंधित क्षेत्रीय संपादक, श्री सरोज अवस्थी को बर्खास्त कर दिया। आक्षेपित समाचार के प्रकाशन के कारण हुए नुकसान के लिए शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिवादी ने गहरा खेद व्यक्त किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 21.09.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री सभाजीत यादव सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि श्री शैलेंद्र कुमार, झा, संपादक, अमर भारती प्रतिवादी के रूप में उपस्थित थे।

यह शिकायत दिनांकित 03.08.2020 श्री सभाजीत यादव द्वारा संपादक, अमर भारती, आगरा के विरुद्ध दर्ज़ की गई थी। शिकायत में, शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक निजी कंपनी में अधिशासी अभियंता के रूप में काम कर रहा था, लेकिन बाद में एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। हालाँकि, अमर भारती, आगरा ने उनकी अनुमति के बिना उनका पत्र प्रकाशित किया और इस तरह उनकी गोपनीयता भंग की, जो एक अपराध है। इस प्रकाशन के कारण उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। शिकायतकर्ता ने परिषद के समक्ष मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आक्षेपित समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्ता सभाजीत यादव 2014 में टोरेंट पावर में अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद, उन्हें एचआईवी

पॉजिटिव होने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रतिवादी समाचार पत्र में आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने अपने एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बारे में मुख्यमंत्री को लिखा है और इसलिए उसे आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए।

अमर भारती, आगरा के संपादक, श्री शैलेंद्र कुमार उपस्थित हैं। उन्होंने इस आशय का अपना लिखित वक्तव्य दर्ज़ किया है कि शिकायतकर्ता का नाम अनजाने में गलती से प्रकाशित हो गया था और इसे देखते हुए, अमर भारती ग्रुप ने इसके लिए जिम्मेदार, क्षेत्रीय संपादक, श्री सरोज अवस्थी को बर्खास्त कर दिया था। प्रतिवादी ने, आक्षेपित समाचार के प्रकाशन के कारण हुए नुकसान के लिए, शिकायतकर्ता के प्रति गहरा खेद व्यक्त किया है।

वास्तव में, यह बहुत गंभीर मामला है। यह कर्तव्यविमुखता का सबसे खराब उदाहरण है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अनुसार, संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है। उसका नाम आरएनआई रजिस्टर में मिला है। इसे प्रकाशित करने से पहले संपादक के लिए यह आवश्यक था कि वह इस विशेष समाचार को देखे जो गंभीर प्रकृति का है। वह यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि क्षेत्रीय संपादक इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्षेत्रीय संपादक को हटा दिया गया है। उन्होंने गहरा खेद भी व्यक्त किया है, हालांकि, क्षेत्रीय संपादक को हटाने या गहरा खेद व्यक्त करने से शिकायतकर्ता को हुई कठिनाई और उनकी पीड़ा समाप्त नहीं होगी। शिकायतकर्ता का नाम उसकी अनुमति के बिना उजागर किया गया था। इस संबंध में, पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020 के कुछ मानकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है:-

मानक 18 का संबंध शीर्षक एचआईवी/एड्स और मीडिया - क्या करें और क्या न करें से है। प्रासंगिक मानक निम्नानुसार हैं: -

क्या करें

i) मीडिया को लोगों को सूचित और शिक्षित करना चाहिए, उन्हें डराना या धमकाना नहीं चाहिए।

ii) वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक और संवेदनशील बनें।

iv) ऐसी उपयुक्त भाषा और शब्दावली का प्रयोग करें जो कलंकित न करती हो।

v) सुनिश्चित करें कि सुर्खियाँ सटीक और संतुलित हों।

x) संक्रमित लोगों, उनके परिवारों और सहयोगियों की गोपनीयता बनाए रखना।

xi) सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ उनकी गोपनीयता भंग न करें।

xii) जहाँ भी संभव हो, लिखित रूप में सूचित सहमति सुनिश्चित करें।

क्या न करें

i) समाचार को सनसनीखेज न बनायेँ।

ix) संक्रमित व्यक्तियों को पीड़ित, अपराधी या दया के पात्र के रूप में चित्रित न करें।

ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने उपर्युक्त मानकों का पालन नहीं किया है। वास्तव में, एक ऐसा आंतरिक तंत्र होना चाहिए, जिसके द्वारा संपादकों और समाचार रिपोर्टरों के बीच समय-समय पर बातचीत हो सके, ताकि वे पत्रकारिता के आचरण के मानक के महत्व को समझ सकें। शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी समाचार पत्र को उसे मुआवजा देने का निदेश दिया जाए। इस तरह का निदेश, प्रेस परिषद द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रेस परिषद को प्रदान की गईं शक्तियों के दायरे में नहीं आता है। शिकायतकर्ता ऐसा उपाय कर सकता है जैसा कि उसे इस संबंध में सलाह दी जाए। जहां तक इस मामले का संबंध है, समिति प्रतिवादी के आचरण के बारे में अपनी नाराजगी और पीड़ा व्यक्त करती है और परिषद को समाचार पत्र 'अमर भारती' की कड़ी **परिनिंदा** करने की सलाह देती है। आदेश की प्रति महानिदेशक, केन्द्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जा सकती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए समाचारपत्र, 'अमर भारती' की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं. 3 **फा.सं. 2076/2020–ए–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री सुमित सिंह,
   टैगोर गार्डन,
   नई दिल्ली

प्रतिवादी

संपादक,
द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया,
साप्ताहिक पत्रिका
नई दिल्ली

तथ्य

दिनांक 14.09.2020 की यह शिकायत श्री सुमित सिंह, निवासी, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली द्वारा संपादक, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के खिलाफ परिषद के दिनांक 07/08/2015 के निर्णय, जिसमें 'पत्रिका' को 'परिनिंदा' आदेश को प्रमुखता से अपनी साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था, का पालन न करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि पांच साल बीत जाने के बाद भी, प्रतिवादी संपादक ने परिषद के परिनिंदा आदेश को अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया, जो परिषद के आदेश की अवमानना है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी संपादक को दिनांक 05.10.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रतिवादी संपादक का लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 18.10.2021 में बताया है कि समाचारपत्र ने तथ्यों के आधार पर समाचार प्रकाशित किया है जो पत्रकार का कर्तव्य और दायित्व है। प्रतिवादी ने कहा कि समाचार के प्रकाशन के बाद, मामले को संपादक द्वारा दिल्ली सरकार को भेजा गया था और जांच के बाद दिल्ली सरकार ने समाचार को सही पाया और सरकार द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया था। प्रतिवादी ने कहा कि उन्होंने, वे सभी साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिन के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था। लेकिन समिति द्वारा इन दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रेस परिषद के आदेश का हवाला देकर और आदेश का दुरुपयोग कर शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ पुलिस, आयुक्त, दिल्ली के उपराज्यपाल, परिवहन आयुक्त और कई अन्य अधिकारियों से कई शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा है कि समाचारों की उचित जांच के बिना, भारतीय प्रेस परिषद ने अखबार की परिनिंदा की है, जोकि एकतरफा आदेश है। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित जांच और एफ़आईआर दर्ज करने के लिए मामले को सीबीआई को अग्रेषित करने का भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रति-टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने प्रति-टिप्पणी दिनांकित 30.11.2021 में अपनी शिकायत को दोहराते हुए इस बात से इनकार किया कि समाचार प्रकाशित होने के बाद मामला दिल्ली सरकार को भेजा गया था और जांच के बाद सरकार ने समाचार सही पाया और बेदखली का आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी समाचार पत्र के खिलाफ बेदखली आदेश भी पारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी संपादक एक अपराधी है और दिल्ली सरकार ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ एक ही बेदखली आदेश जारी किया है, क्योंकि वह अनधिकृत कब्जाधारी है और वह पड़ोसी के साथ विभिन्न मुकदमों में उलझा हुआ है। शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा की गई अस्पष्ट प्रार्थनाओं को अनदेखा/अस्वीकार करने का परिषद से अनुरोध किया।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अन्य पत्र

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 19.04.2022 के माध्यम से कहा है कि उसने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी। उत्तर में बताया गया कि श्री हरजिंदर सिंह (प्रतिवादी) एक ब्लैकमेलर है। उन्होंने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ 18 अलग-अलग शिकायतें कीं, जिन्हें अस्पष्ट और तुच्छ प्रकृति का होने के कारण बंद कर दिया गया। उन्होंने अपनी शिकायतों के संबंध में अपने आरोप को साबित करने के

लिए कभी भी कोई उचित सबूत नहीं दिया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि पत्रकारिता की आड़ में सरकारी/गैर सरकारी लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत करना उसका धंधा है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरटीआई सूचना के जवाब को शामिल करने का भारतीय प्रेस परिषद से अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता ने, दिनांक 26.04.2022 को परिषद में प्राप्त अपने अदिनांकित पत्र के माध्यम से, अपने पहले के पत्र दिनांक 19.04.2022 को दोहराते हुए कहा है कि श्री हरजिंदर सिंह, प्रतिवादी, लगभग 31 महीने तक माननीय तीस हजारी कोर्ट में मुकदमा हारने के बावजूद, डीयूएसआईबी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से, अवैध रूप से कब्जा किए गए घरों को खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि श्री हरजिंदर सिंह एक भू-माफिया और ब्लैकमेलर हैं। वह सरकारी विभागों और आम नागरिकों को धमकी देते हैं, पैसे की मांग करते हैं और भुगतान न करने वालों के खिलाफ शिकायत करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला, आज, दिनांक 11.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता, श्री सुमित सिंह, श्री गोपाल पहाड़िया के साथ उपस्थित हुए और हरजिंदर सिंह, संपादक, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, डॉ. जी.सी. गर सहित उपस्थित हुए।

दिनांक 14/9/2020 को श्री सुमित सिंह, नई दिल्ली द्वारा संपादक, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के खिलाफ परिषद के दिनांक 7.8.2015 के निर्णय का अनुपालन न करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें प्रतिवादी को परिनिंदा आदेश को साप्ताहिक पत्रिका मे प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था। परिषद ने अपने निर्णय दिनांक 7.8.2015 द्वारा समाचार पत्र, पैट्रियट्स ऑफ इंडिया की परिनिंदा की थी और प्रतिवादी को इस आदेश को अपनी साप्ताहिक पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया था। शिकायतकर्ता की शिकायत है कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। प्रतिवादी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि प्रतिवादी ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। हालांकि, यह देखा गया है कि प्रतिवादी की पुनर्विचार याचिका को 8.2.2016 को खारिज कर दिया गया था और इसकी अस्वीकृति की सूचना प्रतिवादी को दी गई है। इसे देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर जांच समिति कोई तर्क देना नहीं चाहती है। प्रतिवादी को प्रेस परिषद के दिनांक 7.8.2015 के आदेश का पालन करना होगा। इसलिए, जांच समिति परिषद से, प्रतिवादी को, परिषद के आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर दिनांक 7.8.2015 के आदेश का अनुपालन करने का निदेश देने की संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए प्रतिवादी समाचारपत्र को इस आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, परिषद के दिनांक 7.8.2015 के आदेश का अनुपालन करने का निदेश देती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं. 4 **फा.सं. 64 / 2020–ए–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा,
   सिविल न्यायाधीश और न्यायिक
   मजिस्ट्रेट, कलक्टरेट,
   बाड़मेर, राजस्थान।

प्रतिवादी

संपादक,
दैनिक भास्कर,
बाड़मेर, राजस्थान

तथ्य

श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, राजस्थान द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, बाड़मेर, राजस्थान के खिलाफ अपने अंक दिनांकित 29.11.2019 में कथित रूप से शीर्षक **"जिला अस्पताल में एक घंटे देरी से पहुंचा रेडियोलाजिस्ट", न्यायाधीश बोले सस्पैंड करो, मैं इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लूंगा"** के तहत समाचार प्रकाशित करने के लिए एक अदिनांकित शिकायत दर्ज की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया था कि श्री सिद्धार्थ शर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर, राजस्थान अपने चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला अस्पताल के सोनोग्राफी केंद्र गए, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। आगे यह बताया गया कि श्री सिद्धार्थ ने एक घंटे के इंतजार के बाद पीएमओ (प्रधान चिकित्सा अधिकारी), श्री हरीश चौहान को रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया।

शिकायतकर्ता ने कहा कि 28.11.2019 को वह जिला अस्पताल गए थे और रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के कारण, अन्य नागरिकों के साथ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति के संबंध में सीएचएमओ (मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी), बाड़मेर को पत्र लिखा। उन्होंने आगे कहा कि स्टेटमेंट "जिला अस्पताल में एक घंटा देरी से पहुंचा रेडियोलाजिस्ट, न्यायाधीश बोले सस्पैंड करो, मैं इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लूंगा" उनके द्वारा नहीं दिया गया है। फिर भी संपादक ने बिना उनकी जानकारी के ऐसी खबरें प्रकाशित की हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि स्थानीय समाचार संपादक का कृत्य न्यायालय के अपमान अर्थात् न्यायालय की अवमानना के तहत आता है और स्थानीय संपादक ने अभी तक इसके लिए माफी भी नहीं मांगी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि समाचार को सनसनीखेज बनाने के लिए, उनकी न्यायिक छवि के साथ छेड़छाड़ की गई है।

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 2.12.2019 के माध्यम से, इस संबंध में संपादक का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन संपादक की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है और न ही उन्होंने आक्षेपित समाचार से संबंधित कोई शुद्धिपत्र प्रकाशित किया है।

प्रतिवादी संपादक को 18.7.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 29.10.2020 को एक अनुस्मारक भी जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता से प्राप्त अन्य पत्र

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 19.2.2021 के माध्यम से, अपनी शिकायत को दोहराते हुए सी.डी., चश्मदीदों के शपथ पत्र जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अस्पताल में समय पर उपस्थित नहीं होने पर, डॉ. चंद्रवीर सिंह को सस्पैंड करने के संबंध में कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि उनके पास उन्हें सस्पैंड करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का एवं प्रतिवादी को शुद्धिपत्र प्रकाशित करने के निदेश देने का अनुरोध किया है।

जांच समिति द्वारा दिनांक 24.2.2021 को मामले की सुनवाई की गई। जांच समिति ने प्रतिवादी के परामर्शदाता को जवाब दर्ज करने के निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य दिनांकित 22.03.2021

प्रतिवादी संपादक की अधिवक्ता, सुश्री शगुन चोपड़ा ने दैनिक भास्कर के अधिकृत प्रतिनिधि के लिखित वक्तव्य दिनांकित 22.03.2021 को अग्रेषित किया, जिसमें बताया गया था कि आक्षेपित समाचार तथ्यात्मक रूप से सही है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता अस्पताल के सोनोग्राफी केंद्र गए थे और रेडियोलॉजिस्ट के मौजूद न होने के कारण उन्हें एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों के अनुसार, सोनोग्राफी सेंटर में जिस तरह से काम किया जा रहा था, उसे देखकर शिकायतकर्ता हैरान रह गये। उक्त चश्मदीद गवाहों ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को बताया कि लंबे इंतजार से निराश, शिकायतकर्ता ने शिकायत की, कि दोषी रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ जांच शुरू की जाए। यह समाचार केवल देश के सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर प्रकाश डालता है और समाचार को किसी भी तरह सनसनीखेज बनाने का इरादा नहीं था। जिला अस्पताल बाड़मेर, राजस्थान में उपस्थित चश्मदीद गवाहों से जानकारी प्राप्त कर समाचार प्रकाशित किया गया। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.10.2022 को नई दिल्ली में सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका तबादला जयपुर कर दिया गया है और शायद सुनवाई की तारीख के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया है। हालांकि, ईमेल उन्हें प्राप्त हो गया है। दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व, अधिवक्ता रीताज सिंह कर रहे हैं।

श्री सिद्धार्थ शंकर शर्मा, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट/कलक्टरेट, बाड़मेर, राजस्थान ने दैनिक भास्कर, बाड़मेर के संपादक के खिलाफ "जिला अस्पताल में एक घंटे से देरी से

पहुंचा रेडियोलाजिस्ट, न्यायाधीश बोले सस्पैंड करो, मैं इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लूंगा" शीर्षक के तहत अपने 29.11.2019 के अंक में, समाचार प्रकाशित करने के लिए शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वह 28.11.2019 को जिला अस्पताल के सोनोग्राफी केंद्र में अपनी चिकित्सा जांच के लिए गये थे, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। उन्हें अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए उन्होंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निदेश दिए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि समाचार पत्र ने गलत सूचना दी है कि उन्होंने यह कहा था कि रेडियोलॉजिस्ट को सस्पैंड कर दिया जाए और वह मामले का प्रसंज्ञान लेंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार समाचार को सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसा किया गया है और इस समाचार से उनकी न्यायिक छवि खराब हुई है। उन्होंने 2.12.2019 को संपादक को एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 19.2.2021 को एक और पत्र भेजा। इस पत्र के साथ उन्होंने सीडी और चश्मदीद गवाहों के हलफनामे जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक, श्री पवन जोशी, जोधपुर क्षेत्र के संपादक, श्री किरण राजपुरोहित और जयपुर क्षेत्र के संपादक, श्री पंत को पत्र लिखे थे, हालांकि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए, उनके पास प्रेस परिषद से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिकायतकर्ता के अनुसार, सोनोग्राफी के लिए उन्हें एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वहां कई और मरीज भी इंतजार कर रहे थे। आखिरकार, डॉ. चंद्रवीर सुबह 10.40 बजे आए और उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट 11.00 बजे दी। इस देरी के कारण उन्हें उस दिन कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस घटना के बाद, किसी अन्य नागरिक की तरह ही उन्होंने दिनांक 28.11.2019 को प्रधान चिकित्सा अधिकारी को शिकायत की। उनके जैसे कई लोग भी डॉक्टर की शिकायत कर रहे थे। इसके आधार पर डॉ. चंद्रवीर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। डॉ. चंद्रवीर ने शिकायतकर्ता से माफी मांगी। उसी की एक प्रति उनके आगे के पत्र के साथ संलग्न है। हमने वह सीडी देखी है जिसे शिकायतकर्ता ने अपने आगे के पत्र के साथ संलग्न किया है। सीडी अपीलकर्ता को ऐसा कोई बयान देते हुए नहीं दिखाती है कि वह रेडियोलॉजिस्ट को सस्पैंड कर देंगे। वह उद्विग्न नजर आ रहे हैं और भी कई मरीज़ हैं जो बहुत पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर के मौजूद न होने के बारे में शिकायत कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने समाचारपत्रों, बाड़मेर पत्रिका और तरुण राजस्थान से इसी घटना से संबंधित प्रासंगिक उद्धरण संलग्न किए हैं। इन उद्धरणों में यह उल्लेख नहीं है कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई बयान दिया था। तरुण राजस्थान के संपादक, श्री बाबू शेख का हलफनामा भी रिकॉर्ड में है जिसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इसी तरह के अन्य हलफनामे भी दर्ज किए गए हैं। हमें उन सभी हलफनामों पर गौर करने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादियों की ओर से दैनिक भास्कर के अधिकृत प्रतिनिधि, श्री सचिन गुप्ता ने जवाब दर्ज किया है। पहले पैराग्राफ में सामान्य अभिकथन हैं, दूसरा पैराग्राफ शिकायतकर्ता के जिला अस्पताल जाने से संबंधित है। समिति ने गौर किया कि शिकायतकर्ता अत्यधिक पीड़ा में थे और परीक्षण करवाने के लिए उन्हें एक घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरा पैराग्राफ इस प्रकार है:

"वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों के अनुसार, सोनोग्राफी सेंटर में जिस तरह से काम किया जा रहा था, उसे देखकर शिकायतकर्ता हैरान रह गये। उक्त चश्मदीद गवाहों ने विपक्षी पक्ष के रिपोर्टर को यह भी बताया कि लंबे इंतजार से निराश, शिकायतकर्ता ने शिकायत की, कि दोषी रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ जांच शुरू की जाए। दिनांक 29.11.2019 का समाचार हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति पर ही प्रकाश डालता है और समाचार को किसी भी तरह सनसनीखेज बनाने का इरादा नहीं था। जिला अस्पताल बाड़मेर, राजस्थान में उपस्थित चश्मदीद गवाहों से जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे प्रकाशित किया गया था। समाचार का कोई भी हिस्सा विरोधी पक्ष द्वारा गढ़ा नहीं गया है"।

गौरतलब है कि इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता द्वारा की गई कथित टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं है। दैनिक भास्कर ने बड़ी चतुराई से यह कहकर महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुँचने की कोशिश नहीं की है कि समाचार उसके द्वारा नहीं गढ़ा गया है और इसे चश्मदीद गवाहों से जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रकाशित किया गया है, हालांकि, चश्मदीद गवाहों के कोई बयान या हलफनामे संलग्न नहीं किए गए हैं। यदि वास्तव में समाचार चश्मदीद गवाहों के बयान पर आधारित है तो समाचार पत्र को चश्मदीद गवाहों के नामों का उल्लेख करना चाहिए था। वह भी नहीं किया गया है। जांच समिति का मत है कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए, दैनिक भास्कर का यह कर्तव्य था कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के पक्ष को लेकर, समाचारपत्र में प्रकाशित करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि प्रतिवादी समाचार पत्र ने समाचार को सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया है। इसने घटना का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया है। प्रतिवादी समाचार पत्र का व्यवहार निंदनीय है।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि उसे दैनिक भास्कर की **कड़ी परिनिंदा** करनी चाहिए। जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि दैनिक भास्कर को एक शुद्धिपत्र जारी करने का निदेश दिया जाए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वह रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. चंद्रवीर को सस्पैंड कर देंगे या मामले का प्रसंज्ञान लेंगे। परिषद के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर उक्त शुद्धिपत्र जारी करने का निदेश दिया जाए। इसके अलावा, निदेश दिए जाएं कि शुद्धिपत्र समाचार पत्र में प्रमुख स्थान पर मुद्रित किया जाए और उसकी प्रति शिकायतकर्ता और परिषद को सूचना के लिए भेजी जाए। आदेश की प्रति महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली और निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान सरकार, जयपुर को भी भेजी जा सकती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए उपर्युक्त निदेश के साथ दैनिक भास्कर समाचार पत्र, बाड़मेर, राजस्थान की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र.स. 5 **फा.सं.14 / 484 / 18–19–पीसीआई**

संपादक, दैनिक जागरण भागलपुर, बिहार द्वारा प्रेस परिषद के निर्णय दिनांकित 22.8.2019 के विरुद्ध दर्ज पुनर्विचार आवेदन दिनांकित 5.11.2019

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
संपादक, दैनिक जागरण, भागलपुर, बिहार	डॉ. अमित कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार

तथ्य

परिषद ने अपने निर्णय दिनांकित 22.8.2019 द्वारा दैनिक जागरण की परिनिंदा की और आदेश की एक प्रति महानिदेशक, डीएवीपी तथा निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, बिहार सरकार, पटना को उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया।

दैनिक जागरण के संपादक ने पुनर्विचार आवेदन दिनांकित 5.11.2019 द्वारा परिषद से दिनांकित 22.8.2019 के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया और उन्होंने सचिवालय को मामले को परिषद के समक्ष रखने का निदेश दिया। परिषद ने 21.1.2020 को हुई अपनी बैठक में मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए जांच समिति को भेजने का निर्णय लिया।

दैनिक जागरण के संपादक ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां पेश की हैं:

1. माननीय परिषद ने आवेदक के प्रतिनिधि को सुने बिना समाचार पत्र की परिनिंदा की, क्योंकि शिकायत के संबंध में उत्तर दर्ज़ नहीं किया गया था। परिषद द्वारा पारित उक्त आदेश शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ की गई झूठी और मनगढ़त शिकायत पर आधारित था।

2. माननीय परिषद द्वारा शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि शिकायत का कोई पर्याप्त आधार नहीं था। आदेश दिनांकित 22.8.2019 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता ने इस आरोप के साथ शिकायत दर्ज़ की है कि भागलपुर में मनाली चौक नाम की कोई जगह नहीं है और इसलिए समाचार पत्र में प्रकाशित घटना झूठी है। जबकि सच यह है कि शिकायत की प्रति आवेदक को प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उचित समय पर उत्तर दर्ज़ नहीं किया जा सका।

3. माननीय परिषद ने समाचार पत्र की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन को नजरअंदाज कर दिया था कि समाचार पत्र में जिस घटना की सूचना दी गई थी, वह घटित हुई थी और 15.12.2018 को तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, अतः, घटना को एफ़आईआर के आधार पर रिपोर्ट किया गया और इसलिए इस संबंध में दर्ज़ की गई शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और उक्त शिकायत की अनुमति दिये जाने से आवेदक के साथ घोर अन्याय हुआ। (पुनर्विचार आवेदन का पृष्ठ 5-10)

4. शिकायतकर्ता का तर्क कि नगर निगम के रिकॉर्ड में मनाली चौक जैसी कोई जगह उल्लिखित नहीं है, मनगढ़त और निराधार है। वास्तव में उक्त स्थान, जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, स्थानीय लोगों द्वारा "मनाली चौक" कही जाती है और उसी का उल्लेख एफ़आईआर और अन्य समाचार रिपोर्टों में किया गया था। इसके अलावा, समाचार रिपोर्ट में "मनाली चौक" का उल्लेख, दस्तावेजों पर आधारित है और आवेदक समाचार पत्र के संपादक या रिपोर्टर को समाचार प्रकाशित करने के लिए आरटीआई के तहत राजस्व रिकॉर्ड से जगह के नाम का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। सच यह है कि घटना समाचार पत्र में उल्लिखित स्थान पर हुई थी और इसे जनहित में रिपोर्ट किया गया था।

5. शिकायतकर्ता ने इसी तरह के आरोपों के साथ एक और शिकायत दर्ज की है, जिसमें भी संज्ञान लिया गया है और कारण बताओ नोटिस का जवाब दर्ज़ किया गया है।

उन्होंने परिषद से फ़ाइल संख्या 14/484/18-19-पीसीआई में न्यायनिर्णय दिनांकित 22.8.2019 पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला आज, अर्थात् 10.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। सुनवाई की पिछली तारीख को भी वे उपस्थित नहीं हुए थे। जांच समिति को एक नोट भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिवादी अस्वस्थ है। इस आधार पर शिकायत स्थगित कर दी गई थी। आज फिर, प्रतिवादी ने यह कहते हुए एक नोट भेजा है कि वे अस्वस्थ है और रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। दैनिक जागरण की ओर से, श्री वीरेन्द्र मिश्र उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में, जांच समिति पुनर्विचार आवेदन के साथ आगे बढ़ती है।

दिनांक 19.12.18 की शिकायत डॉ. अमित कुमार, जो राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, भागलपुर, बिहार के निदेशक होने का दावा करते हैं, द्वारा संपादक, दैनिक जागरण, भागलपुर के खिलाफ कथित रूप से झूठी, असत्यापित और भ्रामक खबरें प्रकाशित करने पर दर्ज़ की गई थी। समाचार में यह बताया गया था कि दिनांक 15.12.2018 को मनाली चौक पर एक ट्रक ने चार लोगों को कुचल दिया, जिनमें

से तीन लोगों की मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह एक भ्रामक समाचार है क्योंकि मनाली चौक नाम की कोई जगह नहीं है और इसकी पुष्टि नगर निगम, भागलपुर द्वारा की गई है। दैनिक जागरण के संपादक को दिनांक 5.4.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 08.05.2019 को एक अनुस्मारक भेजा गया, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। श्री मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक, दैनिक जागरण की ओर से पेश हुए, लेकिन कोई जवाब दर्ज़ नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता के मामले पर विचार करने के बाद जांच समिति ने दैनिक जागरण की परिनिंदा करने की संस्तुति की। दिनांक 28.02.2019 के आदेश द्वारा परिषद ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और समाचार पत्र की परिनिंदा करने का निर्णय लिया।

दैनिक जागरण के संपादक ने दिनांक 5.11.2019 के पुनर्विचार आवेदन में अनुरोध किया है कि दिनांक 22.08.2019 के निर्णय की समीक्षा की जाए। परिषद ने 21.01.2020 को हुई अपनी बैठक में मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए जांच समिति को भेजने का निर्णय लिया।

पुनर्विचार आवेदक के अनुसार परिषद ने दैनिक जागरण के प्रतिनिधि को सुने बिना दैनिक जागरण की परिनिंदा की। यह बताया गया है कि पुनर्विचार आवेदक को शिकायत की प्रति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए कोई जवाब दर्ज़ नहीं किया जा सका। दैनिक जागरण की इन प्रस्तुतियों को अस्वीकार करना होगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुनर्विचार आवेदक को कारण बताओ नोटिस और अनुस्मारक सेवित किया गया था। हालांकि, कोई जवाब दर्ज़ नहीं किया गया। श्री मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक 22.08.2019 को उपस्थित हुए। उस दिन, उन्होंने जवाब दर्ज़ नहीं किया। परिषद के पास शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने और समाचारपत्र की परिनिंदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दैनिक जागरण की ओर से यह कहना भी गलत है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है।

जहां तक डॉ. अमित कुमार द्वारा दर्ज़ की गई शिकायत का संबंध है, यह शुरू में ही बता देना उचित होगा कि कोई यह नहीं कह सकता कि घटना हुई ही नहीं थी। समाचारपत्र में घटना के फोटोग्राफ हैं और किसी ने यह नहीं कहा था कि उस दिन ऐसी घटना नहीं हुई थी। प्रश्न यह है कि यह घटना मनाली चौक पर हुई थी या किसी अन्य स्थान पर। जिस दिन, जांच समिति ने मामले का निर्णय किया और अपनी संस्तुतियां दीं, एफआईआर इसके पास नहीं थी। आज दैनिक जागरण की ओर से उपस्थित, श्री मिश्रा ने जांच समिति का ध्यान 16.12.2018 की एफ़आईआर की ओर आकृष्ट किया है। जांच समिति ने पाया कि एफआईआर में मनाली चौक का उल्लेख है। इसलिए यह कहना गलत है कि संबंधित क्षेत्र में मनाली चौक नाम की कोई जगह नहीं है। दैनिक जागरण द्वारा कही गई यह बात सही लगती है कि यह स्थान मनाली चौक के नाम से लोकप्रिय है। बेशक एफआईआर में यह भी लिखा है कि घटना नगर निगम कार्यालय के पास हुई है, साथ ही, उसी एफआईआर में दी गई घटना के विवरण में मनाली चौक का जिक्र मिलता है, तो ऐसा लगता है कि यह घटना उस स्थान पर हुई है, जिसे मनाली चौक के नाम से जाना जाता है। इस मामले में, चूंकि, एफआईआर में मनाली चौक के उल्लेख के बारे में यह महत्वपूर्ण

तथ्य जांच समिति को नहीं बताया गया था, समिति ने परिनिंदा की संस्तुति की और परिषद ने उस संस्तुति को स्वीकार किया एवं समाचारपत्र, दैनिक जागरण की परिनिंदा की। निश्चय ही आदेश में त्रुटि अवश्य हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 22.08.2019 का आदेश प्रथम दृष्ट्या दोषपूर्ण है, जिससे इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह समाचारपत्र दैनिक जागरण की परिनिंदा करने वाले 22.08.2019 के न्यायनिर्णय संबंधी आदेश को रद्द कर दे।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए, समाचारपत्र, दैनिक जागरण की परिनिंदा करने वाले 22.8.2019 के न्यायनिर्णय संबंधी आदेश का प्रत्याहरण (withdraw) करने का निर्णय करती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं. 6 **फा.सं.14 / 246 / 18–19–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री राजीव रंजन द्विवेदी जनसंपर्क अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, पटना (बिहार)	संपादक हिन्दुस्तान, पटना बुद्ध मार्ग, पटना (बिहार)

तथ्य

दिनांक 25.7.2018 की यह शिकायत श्री राजीव रंजन द्विवेदी, जनसंपर्क अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी), पटना द्वारा संपादक, हिंदुस्तान, पटना के खिलाफ कथित रूप से बीएसईबी के बारे में विकृत और तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी। आक्षेपित समाचार की तिथि और शीर्षक इस प्रकार है:

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	डीयू में आवेदन को कुछ घंटे ही मिलेंगे	28.5.2018
2.	स्नातक नामांकन रजिस्ट्रेशन **9** तक	30.6.2018
3.	स्नातक नामांकन में छात्रों व कालेजों की फजीहत	19.7.2018
4.	च्वाइस के उलट छात्रों को असंबद्ध कालेज आवंटित	20.7.2018

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया था कि इंटरमीडिएट के छात्र, अखिल भारतीय रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक 30 मई को जारी हो रही है और अब जब रिजल्ट 6 जून को आएगा, तो इंटरमीडिएट के छात्र ऑल इंडिया रैंक में कैसे शामिल होंगे? इसमें बताया गया कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है और यदि विश्वविद्यालय तिथि आगे बढ़ाता है तो छात्रों के लिए पटना विश्वविद्यालय में भी नामांकन करना मुश्किल हो जाएगा। इस बार रिजल्ट में देरी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के नामांकन पर ग्रहण लगा दिया है। यह भी खबर थी कि बिहार बोर्ड ने स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। एक दिन पहले शुक्रवार को बोर्ड ने तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रों की मेरिट लिस्ट कॉलेजों तक नहीं पहुंची और कुछ मामलों में तो प्राप्त हुई योग्यता सूची अधूरी है। समाचार में यह भी कहा गया है कि योग्यता सूची सही ढंग से तैयार नहीं की गई है, क्योंकि उपलब्ध 124 सीटों के मुकाबले केवल 70 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। समाचार में यह भी कहा गया है कि मानविकी वर्ग के छात्रों के नामों को विज्ञान सूची में शामिल किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट में भी बहुत अधिक विसंगति पाई गई है, क्योंकि उन्हें, उनकी पसंद के कॉलेजों से कॉल प्राप्त नहीं हुई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि हिंदुस्तान, पटना ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) के बारे में गलत, विकृत और गलत जानकारी प्रकाशित की, जिसने न केवल बिहार के लाखों छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों और आम जनता के बीच गलत, झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई, बल्कि बीएसईबी की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल भी किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, सच यह है कि जेईई एडवांस के लिए, अखिल भारतीय रैंक 10 जून 2018 को जारी की जा रही थी और इससे पता चलता है कि अखबार को इस विषय के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं है और बीएसईबी की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए समाचार लिखे गए हैं। इसके अलावा, इंटरमीडिएट के परिणाम 6 जून 2018 को घोषित किए गए थे, इसलिए इंटरमीडिएट के छात्रों का अखिल भारतीय रैंक से वंचित होने का कोई सवाल ही नहीं है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पटना विश्वविद्यालय अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए सभी विषयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा था और उसी परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाना था। निर्धारित प्रक्रिया यह थी कि यदि कोई छात्र पटना विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो उस छात्र को काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके बाद ही पटना विश्वविद्यालय उसकी योग्यता सूची प्रकाशित करेगा। इसी तरह, बीएसईबी के इंटरमीडिएट के छात्र भी पटना विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करा सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। काउंसलिंग की तारीख से बहुत पहले ही बीएसईबी ने अपने इंटरमीडिएट के परिणामों की घोषणा की थी, जो 6 जून 2018 को किया गया था। इसलिए इंटरमीडिएट के छात्रों को पटना विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में मौका नहीं मिलने की खबर पूरी तरह से झूठी, आधारहीन और निराधार है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम की तिथि 6 जून 2018 है और जेईई एडवांस परिणाम और नीट परीक्षा परिणाम क्रमशः 10 और 5 जून 2018 को जारी किए जाने हैं, जिसके बाद छात्रों की काउंसलिंग की जानी है और बोर्ड के परिणाम की आवश्यकता काउंसलिंग की तारीख को होगी, और उससे पहले नहीं, इसलिए बोर्ड के परिणाम में देरी के कारण बीएसईबी छात्रों का भविष्य बर्बाद होने का आरोप गलत है और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए प्रकाशित किया गया है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बीएसईबी द्वारा पंजीकरण की तिथि बढ़ाने के लिए कभी भी कोई प्रस्ताव या घोषणा नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बीएसईबी ने सभी कॉलेजों को लॉग-इन आईडी भेजी है और कॉलेजों को छात्रों की योग्यता सूची की जांच करने के लिए लॉग-इन करना है और निदेश भी केवल वेबसाइट पर दिए गए हैं। बीएसईबी ने 1,198 छात्रों की सूची भेजी है और केवल 70 छात्रों की सूची भेजने की खबर झूठी है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचार पत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

दिनांक 9.8.2018 को कारण बताओ नोटिस संपादक, हिंदुस्तान, पटना को जारी किया गया था।

<u>हिन्दुस्तान का लिखित वक्तव्य</u>

प्रतिवादी संपादक, हिंदुस्तान ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 9.7.2019 में प्रस्तुत किया कि इंटरमीडिएट का परिणाम 6 जून, 2018 को प्रकाशित किया गया था, इसके बाद बीएसईबी, पटना ने छात्रों को मार्कशीट जारी करने की प्रक्रिया में देरी की। इसके चलते पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रतिवादी ने आगे कहा कि बीएसईबी प्रक्रिया के अनुसार, सब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद, परीक्षक को प्राप्त अंकों को ओएमआर शीट में भरना आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद भी इसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस बात से इंकार किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ओएमआर पत्रिका के मिश्रण का कोई प्रश्न ही नहीं है। रिजल्ट से पहले, बीएसईबी ने बारकोड और पर्ची भरने में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए महंत हनुमान शरण स्कूल को विशेष केंद्र के रूप में नियुक्त किया था। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए, बोर्ड के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इन उपायों के बावजूद, 17,000 परिणाम लंबित थे। प्रतिवादी ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों ने उनके मीडिया हाउस को योग्यता सूची के बारे में जानकारी प्रदान की। इन कॉलेजों के प्राचार्यों के अनुसार, बिहार बोर्ड की ओर से, किसी भी कॉलेज को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें मेरिट लिस्ट कैसे उपलब्ध कराई जाएगी और इस संदर्भ में कोई पत्र भी जारी नहीं किया गया। वास्तव में, अपने स्पष्टीकरण में, बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा कि योग्यता सूची 17 जुलाई, 2018 को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जबकि प्रवेश प्रक्रिया 16 जुलाई, 2018 को शुरू हुई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समाचार लेख बिहार बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें 40% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सुझाव दिया गया था। गौरतलब है कि उक्त समाचार

लेख के प्रकाशन के बाद, बिहार बोर्ड के निदेशक ने उक्त सुझाव को बदल दिया और इसमें फेर बदल करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को 50% कर दिया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के लिए तो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी परंतु स्नातक नामांकन के लिए नहीं बढ़ायी और गलत तरीके से प्रकाशित समाचार लेख के संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया गया और प्रतिवादी ने एक प्रामाणिक और जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते, विधिवत रूप से गलती को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने इस बात का खंडन किया है कि उनका समाचारपत्र जानबूझकर बीएसईबी की छवि को खराब करने के लिए भ्रष्ट, दुर्भावनापूर्ण और अनिष्टकारी अभियान चला रहा है। उसने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने दिनांक 18.1.2020 की प्रति टिप्पणियों में प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर में, 06 जून को इंटर वार्षिक परिणाम, 2018 के प्रकाशन के कारण आईआईटी और मेडिकल प्रवेश में देरी पर अपनी "गलत" रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया। बल्कि, अब उन्होंने मार्कशीट की छपाई के मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, जो कि झूठा है और तथ्यों की गलत व्याख्या भी है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने प्रकाशित समाचार लेख के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य होने के बारे में भी झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर के साथ उन्हें संलग्न नहीं किया है। प्रतिवादी का यह दावा कि बीएसईबी ने फ्लाइंग स्लिप और अवार्ड शीट को बदल दिया है, पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बार-कोडिंग करना छात्रों की पहचान छिपाने के लिए, परीक्षा के बाद कॉपियों पर बारकोड चिपकाने और उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर ओएमआर के शीर्ष के एक हिस्से को फाड़ने की एक प्रक्रिया है, ताकि मूल्यांकन के समय छात्र की पहचान छिपी रहे। समाचारपत्र हिन्दुस्तान इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ प्रतीत होता है और उसने जाने-अनजाने में पूरे मामले की जांच-पड़ताल न करते हुए बार-कोडिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में गलत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे छात्रों, उनके अभिभावकों और आम जनता में अनावश्यक भ्रम पैदा हो गया। इस संबंध में जब स्पष्टीकरण भेजा गया तब भी इसे अखबार में प्रकाशित नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बीएसईबी के बोर्ड ने कभी भी परिणाम घोषित करने की तारीखों की घोषणा नहीं की, चाहे वह इंटर या मैट्रिक वार्षिक परीक्षा हो। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचार पत्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ अन्य उत्तर

प्रतिवादी समाचार पत्र, हिंदुस्तान, पटना ने अपने उत्तर दिनांकित 22.08.2022 में अपने लिखित वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि संबंधित समाचार सामान्य रूप से एक जिम्मेदार मीडिया हाउस के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिसमें लेखों में निहित तथ्यों का उचित और पर्याप्त सत्यापन किया गया था। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि इंटरमीडिएट का परिणाम 6 जून,

2018 को प्रकाशित किया गया था, इसके बावजूद बीएसईबी, पटना द्वारा छात्रों की मार्कशीट जारी करने में देरी की गई। उन्होंने कहा है इसी वजह से तीन दिनों तक पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाया। इसके बाद छात्रों ने विवाद/विरोध शुरू कर दिया। छात्रों के विरोध के बाद, पटना विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम प्रवेश शुरू किए गए थे। इसके बाद, बीएसईबी, पटना ने विभिन्न जिलों को मार्कशीट भेजना शुरू कर दिया है। प्रतिवादी ने कहा कि 28.05.2018 को प्रकाशित समाचार लेख जानबूझकर, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड या किसी भी संस्थान को बदनाम करने के लिए प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 19.07.2018 के समाचार के संबंध में समाचारपत्र ने, प्रासंगिक समय के दौरान, कॉलेजों से सामग्री प्राप्त करके और सम्बद्ध तारीखों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की रिकॉर्डिंग करके वास्तविक स्थिति की सूचना दी थी। प्रतिवादी ने कहा कि 20.07.2018 को प्रकाशित समाचार लेख स्नातक नामांकन में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं से संबंधित था। प्रतिवादी ने कहा कि 30.6.2018 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट में लिपिकीय त्रुटि थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन, 1 जुलाई को, प्रतिवादी समाचार पत्र ने सुधार करते हुए, समाचार प्रकाशित किया था। उन्होंने कहा कि योग्यता सूची में छात्रों के नाम के संबंध में प्रकाशित जानकारी केवल उन छात्रों से प्राप्त की गई थी, जब वे उल्लिखित कॉलेजों से लौट रहे थे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 10.10.2022 को अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री राजीव रंजन अपने अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और जांच समिति के समक्ष, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व परामर्शदाता, श्री अरुण पाठक, नमन जोशी और श्री रंजीत कुमार सिंह, मुख्य रिपोर्टर और श्री गोविंद विजय कर रहे हैं।

कई मुद्दों में बीएसईबी के बारे में दिनांक 25.07.2018 की यह शिकायत, श्री राजीव रंजन द्विवेदी, जनसंपर्क अधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी), पटना द्वारा संपादक, हिंदुस्तान, पटना के खिलाफ बीएसईबी के खिलाफ कई समाचार लेखों के प्रकाशन में कथित रूप से विकृत और तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है। शिकायत में प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा रिपोर्ट की गई कई कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी समाचार पत्र के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री अरुण पाठक द्वारा एक विस्तृत जवाब दर्ज़ किया गया है। शिकायत और जवाब पर गौर करने के बाद, जांच समिति की राय है कि समाचार पत्र 'हिंदुस्तान' ने कुछ शोध किया है और समाचार में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या छात्रों को बहुत असुविधा हुई है। बीएसईबी ने अपनी ओर से कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। हमारी राय में, यह ऐसा मामला नहीं है, जहां समाचारपत्र, हिंदुस्तान की परिनिंदा की जा सके या उसे फटकार लगाई जा सके। साथ ही, तथ्यों के विवादित प्रश्नों से जुड़े सभी आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी चाहिए। हम शिक्षा के विशेषज्ञ निकाय नहीं हैं और न ही इस तरह का अभ्यास हमारे दायरे में आता है। इसलिए, हमारी आशा और विश्वास है कि राज्य सरकार, हिंदुस्तान समाचारपत्र द्वारा दिनांक

25.04.2018, 28.05.2018, 19.07.2018, 20.07.2018, 30.06.2018 के अंकों और अन्य अंक, यदि कोई हो, में प्रकाशित की गई अनियमितताओं की जांच के लिए, सोच विचार कर, किसी समिति का गठन करेगी। इस शिकायत को उपर्युक्त शर्तों के अनुसार समाप्त करने की आवश्यकता है और जांच समिति, तदनुसार, परिषद को परामर्श देती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं 7 **फा.सं.14 / 180 / 19–20–पीसीआई**

शिकायतकर्ता
1. प्रदीप सिंह,
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, बेगमगंज,
रायसेन (म.प्र.)

प्रतिवादी
संपादक,
दैनिक भास्कर,
भोपाल (म.प्र.)

तथ्य

दिनांक 5.5.2019 की यह शिकायत श्री प्रदीप सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, रायसेन, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल के खिलाफ दिनांक 4.5.2019 के अंक में शीर्षक **"8 रुपये का चूना 24 रुपये किलो के भाव से खरीदा बिना निविदा बुलाए लाखों का मंगाया सामान"** के अंतर्गत कथित रूप से झूठा, आधारहीन और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आक्षेपित समाचार में बताया गया कि तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी, श्री प्रदीप सिंह भदौरिया (शिकायतकर्ता) के विरुद्ध स्थानीय पार्षद से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर विभागीय संयुक्त निदेशक, नगरीय प्रशासन, एवं विकास विभाग द्वारा नगर परिषद भोपाल में चल रही वित्तीय अनियमितताओं पर विभागीय जांच के आदेश दिये गये थे। आगे बताया गया है कि पार्षद और शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व नगरपालिका अधिकारी, श्री प्रदीप सिंह भदौरिया ने टेंडर के बिना

और नगर परिषद की मंजूरी बिना काफी अधिक दरों पर अभिषेक इंटरप्राइजेज और माधुरी तिरुपति इंडस्ट्रीज से रासायनिक चूना पाउडर खरीदा। इस संबंध में, उन्होंने श्री प्रदीप सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके।

आक्षेपित समाचार में लगाये गये आरोप को नकारते हुए, शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास के आदेश दिनांकित 30.10.2017 के अनुसार, कार्यालय में सभी खरीद आधिकारिक जीईएम पोर्टल (सरकारी ई बाजार) से की जानी होती है। यह रसायन भी सरकार के जीईएम पोर्टल से खरीदा गया था। जीईएम पोर्टल से सरकारी आदेश और खरीद आदेश की प्रतियां भेजते समय, शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि उसने सरकारी आदेश का पालन किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

इस मामले में, प्रेस परिषद द्वारा प्रतिवादी-संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल को दिनांक 21.8.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि, नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने अपना लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया।

इस मामले की शुरुआत में जांच समिति ने 18.2.2021 को नई दिल्ली में सुनवाई की। चूंकि सुनवाई में प्रतिवादी/उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, इसलिए मामले को इस निदेश के साथ स्थगित कर दिया गया कि प्रतिवादी को जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जाए और एक और निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक, भोपाल समन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला नई दिल्ली में 20.09.2022 को अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि सुश्री शगुन चोपड़ा, अधिवक्ता, प्रतिवादी समाचार पत्र की ओर से उपस्थित हुई।

दिनांक 5.5.2019 की यह शिकायत श्री प्रदीप सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रायसेन, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, भोपाल के खिलाफ 4.5.2019 के उनके अंक में शीर्षक "8 रुपए का चूना 24 रुपए किलो के भाव से खरीदा बिना निविदा बुलाए लाखों का मंगाया सामान" के अंतर्गत कथित रूप से झूठा, निराधार और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

आज शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। दैनिक भास्कर की ओर से अधिवक्ता सुश्री शगुन चोपड़ा पेश हो रही हैं। उन्होंने श्री प्रदीप सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वह इस शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

चूंकि पत्र की प्रति भारतीय प्रेस परिषद को प्राप्त नहीं हुई है, यह पता लगाने के लिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उनसे मोबाइल पर संपर्क किया गया

था। श्री प्रदीप सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामला सुलझा लिया गया है, और वह शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, जांच समिति ने परिषद को वर्तमान शिकायत को बंद करने की सलाह दी है क्योंकि इसपर ज़ोर नहीं दिया गया है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों, निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और शिकायत को बंद करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं.8 **फा.सं.14 / 289 / 19–20–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री हरीश मिश्रा, संपादक, दैनिक दिव्य घोष, रायसेन (म. प्र.)	संपादक, दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल (म.प्र.)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 7.8.2019 को श्री हरीश मिश्रा, संपादक, दैनिक दिव्या घोष, रायसेन (म.प्र.) द्वारा संपादक, दैनिक राज एक्सप्रेस, भोपाल के खिलाफ कथित रूप से झूठी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है। आक्षेपित समाचार के शीर्षक और तिथि इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	शीर्षक	प्रकाशन की तिथि
1	अपमानित कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज	6.7.2019
2	आवेदक पर कम्प्लेंट वापिस लेने के लिए बनाया जा रहा है दबाव	8.7.2019
3	हरीश मिश्रा पर धारा 155 के तहत मामला दर्ज पर कार्यवाही सिफर	10.7.2019
4	शिकायत के बाद भी नहीं हो रही हरीश पर कार्यवाही	26.7.2019
5	प्रशासन पर दबाव बनाने हरीश मिश्रा द्वारा अब दी जा रही आत्महत्या करने की धमकी	3.8.2019

आक्षेपित समाचारों की श्रंखला में बताया गया है कि श्री हरीश मिश्रा के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी करने और होटल बृज रेजीडेंसी के दो कर्मचारियों को धमकाने के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री हरीश मिश्रा निरपराध लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं तथा होटल बृज रेजीडेंसी के दो कर्मचारियों को प्रताड़ित कर होटल में नौकरी छोड़ देने के लिए दबाव बना रहे हैं। होटल बृज रेसीडेंसी के दोनों पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस से मदद मांगी है। क्योंकि वे उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बना रहे हैं। होटल बृज रेसीडेंसी के प्रबंधक, श्री सुमंत शर्मा की शिकायत पर श्री हरीश मिश्रा के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आगे यह बताया गया कि श्री हरीश मिश्रा ने अपने घर में, होटल और उसके कमरों की तरफ तीन सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इस तरह होटल के लोगों की प्राइवेसी में बाधा हो रही है। इस संबंध में, होटल प्रबंधन द्वारा कई बार पुलिस अधीक्षक व थाना कोतवाली को शिकायत की जा चुकी है।

आक्षेपित समाचारों में लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसे बदनाम करने के लिए आक्षेपित समाचार प्रकाशित किए। शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि श्री बृज तिवारी, रायसेन ब्यूरो प्रमुख श्री प्रदीप दीक्षित के दामाद हैं तथा श्री बृज तिवारी ने भरत विहार के आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से एक होटल बृज रेजीडेंसी शुरू की है। चूंकि आवासीय क्षेत्र में होटल खोलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए नगर परिषद रायसेन ने होटल के अवैध निर्माण के लिए दिनांक 5.7.2019 एवं 26.7.2019 को नोटिस जारी किये थे। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि होटल बृज रेजीडेंसी में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। मंत्री, डॉ. प्रभुराम चौधरी के जन्मदिन पर होटल संचालक की सहमति से होटल में पार्टी का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलती रही, जिससे आस-पड़ोस में अफरातफरी मच गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने थाना रायसेन में दिनांक 15.7.2019 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, होटल उसके घर के सामने है और होटल में असमय की गतिविधियों से उसके बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसके लिए उसने व्यक्तिगत रूप से होटल के मालिक से अनुरोध किया था कि वह होटल में इस तरह की गतिविधियों को बंद करे। नतीजतन, वे उसे डराने-धमकाने लगे और उसे आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने लगे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि "दैनिक राज एक्सप्रेस" समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ होने का फायदा उठाते हुए, प्रतिवादी ने झूठी शिकायतें दर्ज करना और शिकायतकर्ता के खिलाफ फर्जी, झूठी और अपमानजनक खबरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 17.7.2019 द्वारा प्रतिवादी संपादक से आक्षेपित प्रकाशनों के विरुद्ध खेद प्रकाशित करने का अनुरोध किया, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिषद से संपर्क किया।

प्रतिवादी संपादक को 27.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और प्रतिवादी की ओर से कोई लिखित वक्तव्य प्राप्त न होने पर अनुस्मारक भी जारी किया गया।

जांच समिति द्वारा दिनांक 23.02.2021 को मामले की सुनवाई की गई। चूंकि प्रतिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं थे, इसलिए जांच समिति ने प्रतिवादी को समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजने के निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया।

जांच समिति की रिपोर्ट

20.09.2022 को जांच समिति के समक्ष फिर से यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया। शिकायतकर्ता जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जबकि श्री महेश शर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन), दैनिक राज एक्सप्रेस ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई, लेकिन जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए।

सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, समिति ने शिकायत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और समिति की राय है कि यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न एक व्यक्तिगत विवाद है। समिति को पत्रकारिता के कर्तव्यों या पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं दिखाई दिया। पक्षकार ऐसे उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो उनके व्यक्तिगत विवाद के संबंध में उपलब्ध हो सकते हैं। पक्षकारों को अपने निजी झगड़ों को निपटाने के लिए अखबारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अभ्यास को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उपर्युक्त परिस्थितियों में समिति परिषद को शिकायत को समाप्त करने की सलाह देती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र.सं. 9 **फा.सं.14 / 321 / 19–20–पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री नीरज चौरसिया, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश।	संपादक, पेप्टेक टाइम्स, छत्तरपुर (म०प्र०)

तथ्य

दिनांक 11.9.2019 को परिषद में प्राप्त यह अदिनांकित शिकायत, श्री नीरज चौरसिया, छत्तरपुर (म.प्र.) द्वारा संपादक, पेप्टेक टाइम्स, छत्तरपुर के खिलाफ दिनांक 10.4.2019 और 11.4.2019 के

अंकों में क्रमशः **"चालबाज कालोनाईजर पर प्रशासन मेहरबान"** व **"राजीव भवन पर भू-माफिया का कब्जा"** शीर्षकों के तहत कथित तौर पर झूठा और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया था कि शहर में कई जमीनों पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पेप्टेक टाउन का निर्माण कॉलोनाइजर, श्री नीरज चौरसिया ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना किया था। आगे बताया गया कि राजीव भवन का निर्माण कुछ वर्षों पहले हुआ था, लेकिन कांग्रेस जिला कमेटी ने, फंड्स के अभाव में शहर के जाने-माने भू-माफियाओं, श्री नीरज चौरसिया और श्री विनय चौरसिया को भवन किराये पर दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों भाइयों ने भवन पर कई वर्षों से कब्जा कर रखा है।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोप से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी, शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करके अपनी कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह पेप्टेक कंपनियों का निदेशक है और पेप्टेक फर्म का पार्टनर भी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी, श्री अनुराग मेहतान, पेप्टेक टाइम्स के संपादक ने दिनांक 2.11.2015 के एक विलेख में अपनी सहमति दी थी कि वह किसी भी रूप में पेप्टेक के नाम का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद, वह पेप्टेक टाइम्स के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी पेप्टेक टाइम्स में झूठे समाचार प्रकाशित करके उनकी छवि खराब कर रहा है। शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 16.4.2019 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

भारतीय प्रेस परिषद ने संपादक, पेप्टेक टाइम्स, छत्तरपुर को 30.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लिखित वक्तव्य

श्री अनुराग मेहतान, संपादक, पेप्टेक टाइम्स ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 02.03.2020 में शिकायतकर्ता के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत झूठी और निराधार है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी पांच पेप्टेक कंपनियों के व्यापार (बिजनेस) भागीदार थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने लाभ के लिए, कंपनी के निदेशक के पद से इस्तीफा देने पर उनके जाली हस्ताक्षर को अवैध रूप से स्कैन किया और कंपनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर को भेज दिया। इस संबंध में, प्रतिवादी ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए, शिकायतकर्ता ने 17.10.2013 को सब-रजिस्ट्रार, छत्तरपुर के समक्ष गवाहों की उपस्थिति में एक पंजीकृत करार पेश किया। प्रतिवादी के अनुसार, यह सही है कि पेप्टेक के नाम का उपयोग न करने के लिए एक विलेख (डीड) था, लेकिन वह पेप्टेक टाइम के बजाय पेप्टेक टाइम्स के नाम से समाचार

पत्र प्रकाशित कर रहा है। प्रतिवादी ने कहा कि दिनांक 10.4.2019 की आक्षेपित समाचार सामग्री, मामला संख्या 1077/05 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छत्तरपुर द्वारा पारित आदेश पर आधारित थी और आक्षेपित समाचार दिनांकित 11.4.2019 भी साक्ष्य पर आधारित था। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जानबूझ कर यह शिकायत दर्ज की, ताकि वह अपनी पत्रकारीय ड्यूटी नहीं कर सके। उसने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रति-टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ता ने 1.6.2020 को परिषद में प्राप्त अपनी अदिनांकित प्रति-टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने 10.10.2012 को कंपनी के निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया और कंपनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर को भेज दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि कंपनियों के शेयरों की लाभ राशि प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी ने उसके खिलाफ पुलिस और अन्य विभागों में झूठी शिकायतें करनी शुरू कर दीं। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने 17.10.2013 के करार का पालन करने से इनकार कर दिया और इस संबंध में उन्होंने दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन प्रकाशित किया। प्रतिवादी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी लगातार उसके और उसकी कंपनियों के खिलाफ दुर्भावना से समाचार प्रकाशित कर रहा है, जिसके कारण उसे सामाजिक, वित्तीय और वृत्तिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी समाचार पत्र का पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी संपादक का अन्य जवाब

श्री अनुराग मेहतान, संपादक, पेप्टेक टाइम्स ने आगे के उत्तर दिनांकित 10.3.2021 में अपने पूर्ण विवरण को दोहराते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है कि उन्होंने निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि सच यह है कि शिकायतकर्ता ने उनके जाली हस्ताक्षर करके उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने 17.10.2013 के करार की शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए, उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रतिवादी ने दोहराया कि समाचार पत्र का प्रकाशन "पेप्टेक टाइम्स" के नाम से किया जा रहा है न कि "पेप्टेक टाइम" के रूप में जो विलेख और करार में उल्लिखित नाम से पूरी तरह से अलग है। प्रतिवादी के अनुसार, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, छत्तरपुर के आदेश संख्या 1077/05 में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता चतुर है और पुलिस तथा प्रशासन की मिलीभगत से प्रेस का दुरुपयोग करता है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 20.09.2022 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री रवि कुमार पांडेय, अधिवक्ता जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी संपादक की ओर से जांच समिति के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के परामर्शदाता ने दिनांक 20.09.2022 को हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने शिकायत को दोहराया है।

समिति ने शिकायत पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। समिति को यह लगता है कि यह मामला विशुद्ध रूप से पक्षकारों के बीच एक व्यक्तिगत/वृत्तिक विवाद है। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी कारोबार में भागीदार थे। वे अब अलग हो गए हैं। इसके अलावा इसी विवाद के संबंध में न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। मामले न्यायाधीन हैं। समिति का मानना है कि इस मामले में पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और इसलिए, कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। इस प्रकार, शिकायत को समाप्त करने की आवश्यकता है। अत: समिति तदनुसार परिषद को सलाह देती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र सं. 10–13 **फा.सं.14/12–21/17–18–पीसीआई**

शिकायतकर्ता

1. श्री एन.एल. सिंह,
   लखनऊ
   (यूपी)

प्रतिवादी

1. संपादक,
   स्पष्ट आवाज,
   लखनऊ,(यूपी)
2. संपादक,
   राहत टाइम्स
   लखनऊ (यूपी)।
3. संपादक,
   अवामी सालार,
   लखनऊ (यूपी)।
4. संपादक,
   कैनविज टाइम्स,
   लखनऊ (यूपी)।

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 27.3.2017, श्री एन.एल. सिंह, लखनऊ (यूपी) द्वारा (i) वहीद भारत टाइम्स (ii) स्वतंत्र भारत (iii) ग्रुप-5 समाचार और (iv) वॉयस ऑफ लखनऊ (v) अवामी

सालार (vi) स्पष्ट आवाज (vii) राहत टाइम्स और (viii) कैनविज टाइम्स के संपादकों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे, निराधार, मनगढ़ंत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

परिषद ने अपने निर्णय दिनांकित 26.09.2018 के जरिये, प्रतिवादी समाचार पत्रों को शिकायतकर्ता का वर्तन प्राप्त करने और उसे समान प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया। इसके पश्चात, परिषद ने प्रतिवादी समाचारपत्रों को, जांच के बाद दी गई रिपोर्ट के बारे में समाचार अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रकाशित करने का निदेश दिया। उपर्युक्त निदेशों के साथ, परिषद ने शिकायत को समाप्त कर दिया।

परिषद के निर्णय के अनुपालन हेतु, 15.10.2018 को प्रतिवादियों को परिषद का न्यायनिर्णय आदेश सेवित किया गया।

प्रतिवादी समाचारपत्रों, अर्थात वहिद भारत टाइम्स, स्वतंत्र भारत, ग्रुप-5 समाचार और वॉयस ऑफ लखनऊ ने स्पष्टीकरण प्रकाशित किये।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 14.10.2019 के माध्यम से, सचिवालय को सूचित किया कि प्रतिवादी-समाचारपत्रों अर्थात (1) स्पष्ट आवाज (2) राहत टाइम्स (3) अवामी सालार और (4) कैनविज टाइम्स ने परिषद के निदेशानुसार स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किये।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 06.11.2019 के आदेश द्वारा (1) स्पष्ट आवाज (2) राहत टाइम्स (3) अवामी सालार और (4) कैनविज टाइम्स को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। तदनुसार, इन प्रतिवादी समाचार पत्रों को नोटिस दिनांकित 20.11.2019 जारी किए गए।

स्पष्ट आवाज द्वारा दर्ज़ उत्तर (प्रतिवादी संख्या 1)

संपादक, स्पष्ट आवाज़ ने अपने उत्तर दिनांकित 06.12.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपने समाचार पत्र के दिनांक 11.8.2017 के अंक में पहले ही शुद्धि पत्र प्रकाशित कर दिया था।

जांच समिति द्वारा 11.12.2020 को मामले की सुनवाई की गई और राहत टाइम्स और अवामी सालार के संपादकों को समन भेजने के निदेश के साथ, इसे स्थगित कर दिया गया। चूंकि स्पष्ट आवाज ने शुद्धिपत्र प्रकाशित किया था, इसलिए इसका नाम पार्टियों की सूची से हटा दिया गया।

कैनविज टाइम्स से प्राप्त पत्र (प्रतिवादी संख्या 4)

प्रतिवादी कैनविज टाइम्स ने अपने अंक दिनांकित 24.12.2020 में शीर्षक "दायित्व निभाने में किसी को हुई परेशानी के लिए खेद" के अंतर्गत अपने समाचारपत्र में प्रकाशित शुद्धिपत्र की प्रति अपने ईमेल दिनांक 29.12.2020 के जरिये भेजी है।

18.02.2021 को जांच समिति द्वारा मामले की फिर से सुनवाई की गई, जिसमें जांच समिति ने राहत टाइम्स और अवामी सालार के संपादक को नए सिरे से समन जारी करने का निदेश दिया और मामले को स्थगित कर दिया गया।

(प्रतिवादी संख्या 2) राहत टाइम्स से प्राप्त पत्र

डॉ. एम.सी. सक्सेना, संपादक, राहत टाइम्स, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांकित 28.5.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके समाचार पत्र में 26.3.2021 को "बलरामपुर अस्पताल के फर्मासिस्ट निर्दोष साबित हुए हैं" शीर्षक के तहत प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया है। उन्होंने परिषद से समन वापस लेने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 20.09.2022 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

यह शिकायत दिनांकित 27.3.2017, श्री एन.एल. सिंह द्वारा (i) वहीद भारत टाइम्स (ii) स्वतंत्र भारत (iii) ग्रुप-5 समाचार (iv) वॉयस ऑफ लखनऊ (v) अवामी सालार (vi) स्पष्ट आवाज (vii) राहत टाइम्स और (viii) कैनविज टाइम्स के संपादकों के खिलाफ, उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप कि उन्होंने एक संवाददाता को गलत दवा दी थी, प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी। परिषद ने अपने निर्णय दिनांकित 26.9.2018 के जरिये, प्रतिवादी समाचार पत्रों को शिकायतकर्ता का वर्तन प्राप्त करने और उसे समान प्रमुखता से प्रकाशित करने का निदेश दिया था। परिषद ने अस्पताल के निदेशक द्वारा की गई जांच के बाद दी गई रिपोर्ट, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था, के बारे में समाचार अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ प्रकाशित करने का भी निदेश दिया था। उपर्युक्त निदेशों के साथ, परिषद ने शिकायत को समाप्त कर दिया था। परिषद के आदेश के जवाब में प्रतिवादी समाचारपत्रों अर्थात (i) वहीद भारत टाइम्स (ii) स्वतंत्र भारत (iii) ग्रुप-5 समाचार और (iv) वॉयस ऑफ लखनऊ ने स्पष्टीकरण प्रकाशित किए। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 14.10.2019 के माध्यम से सूचित किया कि प्रतिवादी समाचार पत्र अर्थात (i) अवामी सालार (ii) स्पष्ट आवाज (iii) राहत टाइम्स और (iv) कैनविज टाइम्स ने अनुस्मारक के बावजूद, स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किये। तदनुसार, इन अखबारों को नोटिस जारी किए गए थे। तत्पश्चात, समाचारपत्र, स्पष्ट आवाज ने समिति के समक्ष दर्ज़ अपने उत्तर में बताया कि शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जा चुका है। इसका खंडन शिकायतकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इसे देखते हुए, समिति ने निदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या (i) स्पष्ट आवाज़ का नाम प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया जाए। समिति के आदेश के अनुसार, कैनविज टाइम्स ने 24.12.2020 को शुद्धिपत्र प्रकाशित किया। राहत टाइम्स ने भी परिषद द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया। इस

प्रकार समाचारपत्र, अवामी सालार को छोड़कर सभी समाचार पत्रों ने परिषद द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन किया। अवामी सालार का प्रतिनिधित्व आज कोई नहीं कर रहा है। यह लगातार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला वर्ष 2017-18 का है, जांच समिति ने अवामी सालार को परिषद के आदेश दिनांकित 26.9.2018 का पालन करने के निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति की। चूंकि अवामी सालार परिषद के आदेश दिनांकित 26.9.2018 का पालन करने में विफल रहे हैं, इसलिए समिति ने परिषद को अवामी सालार (प्रतिवादी संख्या 3) की **परिनिंदा** करने की सलाह दी है। आदेश की प्रति महानिदेशक, केन्द्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा सकती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए अवामी सालार समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 14–15

शिकायतकर्ता

1. श्री एस. विजय कुमार,
2. श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार
3. श्री ए. शिवराज,
4. श्री मोहन कुमार
   हसन जिला,
   कर्नाटक

फा.सं.14/25–26/17–18–पीसीआई

प्रतिवादी

1. संपादक,
   अरसी वर्थे पाक्षिक
   अर्सीकरे,
   हसन जिला, कर्नाटक
2. संपादक,
   सुवर्णा टाइम्स ऑफ टक,
   कर्नाटक, बेंगलुरु,
   कर्नाटक

तथ्य

यह शिकायत दिनांकित 19.4.2017, सर्वश्री एस. विजय कुमार, बी.एस. प्रसन्ना कुमार, ए. शिवराज और मोहन कुमार, अर्सीकरे, हसन जिला (कर्नाटक) द्वारा (i) अरसी वर्थे पाक्षिक और (ii) सुवर्णा टाइम्स

ऑफ कर्नाटक के खिलाफ 1-15 मार्च, 2017 के उनके अंकों में शीर्षकों "Patalam were kicked out from Arsikere Taluk working journalists Association" (Arasi Varthe) और " Four Journalist were dismissed from Arsikere Taluk working journalist Associations" (Suvarna Times of Karnataka) के तहत झूठी और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए कथित रूप से दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार, अरसी वर्थे में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में यह बताया गया था कि "श्री शिवराज और श्री मोहन कुमार को अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से हटा दिया गया था, क्योंकि दोनों बिना किसी सबूत के, एसोसिएशन के खिलाफ समाचार पोस्ट कर रहे थे। वे एसोसिएशन और वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नियमित रूप से समाचार पोस्ट कर रहे थे, जिससे उनका नाम खराब हुआ, और क्योंकि, इस कारण से, वरिष्ठ पत्रकार और जनता उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का दबाव बना रहे थे, उन्हें एसोसिएशन से निलंबित कर दिया गया। समाचार के अनुसार, ये लोग हमेशा से ही साथी सदस्यों पर **झूठे** आरोप लगा रहे हैं, सरकारी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, मानहानिकारक बयान दे रहे हैं और श्री विजय कुमार तथा श्री प्रसन्ना कुमार, जो खुद को पत्रकार बताते हैं, के माध्यम से उस ज़ेरॉक्स समाचारपत्र को जनता में परिचालित कर रहे हैं।

सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक में प्रकाशित, आक्षेपित समाचार में यह बताया गया था कि "चार पत्रकारों को एसोसिएशन के खिलाफ खबर पोस्ट करने के लिए अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से निकाल दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि शिकायतकर्ताओं को अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से निकाल दिया गया है।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि प्रतिवादी समाचार पत्रों ने इस खबर, कि उन्हें अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से हटा दिया गया है, की सच्चाई जाने बिना ही, उनकी तस्वीरों के साथ गलत खबर प्रकाशित की। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने किसी सबूत और दस्तावेजों के बिना, समाज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी-समाचार पत्रों को दिनांक 13.03.2017 को कानूनी नोटिस जारी किये गये थे, जिसमें समाचार में सुधार करने और प्रस्ताव की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इसके जवाब में, अर्सीकरे तालुक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अपने उत्तर दिनांक 30.3.2017 में कहा कि तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हासन ने अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोशिएशन को बैठक के लिए मौखिक रूप से निदेश दिया था और तदनुसार उक्त बैठक में विधिनुसार निर्णय लिया गया था। आगे यह कहा गया कि शिकायतकर्ता, श्री एस. विजयकुमार और श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार अच्छी तरह जानते थे कि वे वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, अर्सीकरे के सदस्य नहीं हैं।

अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

29.6.2017 को प्रतिवादी संपादकों, (i) "अरसी वर्थे" और (ii)" सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक" को कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे।

अरसी वर्थे का लिखित वक्तव्य

संपादक, श्री डी. आनंद कौशिक ने लिखित वक्तव्य दिनांक 9.11.2017 द्वारा आरोपों से इनकार करते हुए सूचित किया कि शिकायतकर्ता, श्री विजय कुमार और अन्य ने अर्सीकरे में माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष आपराधिक मामलें, सी. सी. 538/2017, 539/2017, 540/2017, 541/2017 पहले ही दर्ज़ किए हुए हैं। यही मामला शिकायतकर्ता द्वारा माननीय प्रेस परिषद के समक्ष भी दर्ज़ किया गया था। प्रतिवादी ने परिषद से अनुरोध किया है कि चूंकि मामला न्यायाधीन है, उसे कानूनी कारणों से उक्त शिकायत का जवाब देने से छूट दी जा सकती है। प्रतिवादी ने कहा है कि उसने आक्षेपित समाचार को तथ्यों के आधार पर, बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रकाशित किया।

प्रति टिप्पणियाँ

शिकायतकर्ताओं की ओर से श्री पी. वासुदेव, अधिवक्ता ने दिनांक 1.1.2018 की प्रति टिप्पणी में यह सूचित किया है कि माननीय न्यायाधीश के समक्ष दर्ज़ किया गया मामला मानहानि से संबंधित है, जबकि भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष दर्ज़ किया गया मामला प्रतिवादी समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित झूठी खबरों से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी ने अपने समाचार पत्र में प्रस्ताव की प्रति पोस्ट नहीं की है, जिसके लिए शिकायतकर्ताओं ने 27.02.2017 को आवेदन किया था।

सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक से कोई लिखित वक्तव्य नहीं

बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद प्रतिवादी-समाचार पत्र, सुवर्णा टाइम्स ऑफ कर्नाटक द्वारा कोई लिखित वक्तव्य दर्ज नहीं किया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला, आज, यानी 10.10.2022 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए। जबकि श्री वसंत कुमार, अधिवक्ता "अरसी वर्थे" (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से उपस्थित हुए, "सुवर्णा टाइम्स" (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

इस मामले में, चार शिकायतकर्ताओं में से दो शिकायतकर्ता पत्रकार हैं। यह अनिवार्य रूप से दो पत्रकारों और कर्नाटक के दो समाचार पत्रों अरसी वर्थे और सुवर्णा टाइम्स के बीच का विवाद है। इन दोनों समाचार पत्रों के संपादक प्रतिवादी हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन दोनों समाचार पत्रों ने गलत सूचना दी है कि ए. शिवराज और मोहन कुमार नाम के दो पत्रकारों को अर्सीकरे तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से निकाल दिया गया है, क्योंकि वे एसोसिएशन के खिलाफ कुछ साहसिक और मनगढ़त आरोप लगा रहे थे और वे सरकार को पत्र भेज रहे थे। एसोसिएशन पर मानहानि के आरोप लगाते हुए श्री एस. विजयकुमार और श्री बी.एस. प्रसन्ना कुमार द्वारा कथित तौर पर, समाचारपत्रों की जेरोक्स प्रतियां लोगों के बीच परिचालित की गईं। समाचारपत्र में यह भी बताया गया है कि दिनांक 27.02.2017 को हुई बैठक में तालुक जर्नलिस्ट एसोशिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि शिकायतकर्ता पत्रकारों को एसोसिएशन से हटा दिया गया है।

एसोसिएशन ने अपने जवाब में कहा कि तालुक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हसन ने बैठक करने के मौखिक निदेश दिए थे और बैठक में विधिनुसार निर्णय लिया गया था। अरसी वर्थे के संपादक, श्री कौशिक ने अपना जवाब दर्ज़ किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के तहत सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन अर्सीकरे की अदालत में चार शिकायतें दर्ज़ की हैं और मुआवजे की प्रार्थना की है। यह विवेचित किया गया है कि भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष यही आरोप पहले भी लगाए गए हैं और इसलिए उन्हें कार्यवाही से मुक्त किया जा सकता है। शिकायतकर्ताओं ने प्रत्युत्तर में कहा है कि न्यायालय में दर्ज़ की गई शिकायतें अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं।

सुवर्णा टाइम्स ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है और न ही किसी ने उनका प्रतिनिधित्व किया है। उनके आचरण की निंदा की जानी चाहिए। मांग किए जाने के बावजूद, दिनांक 27.07.2020 का कथित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

हालांकि, मामले में समग्र रूप से विचार करने पर जांच समिति को यह लगता है कि यह अनिवार्य रूप से दो पत्रकारों और दो समाचार पत्रों के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी (rivalry) से उत्पन्न एक निजी विवाद है। जनता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले पत्रकारीय कर्तव्य का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज़ की गई चार शिकायतें न्यायाधीन हैं। यह सच है कि उन शिकायतों और इस शिकायत के तथ्य समान नहीं हैं, लेकिन शिकायतों के स्वरूप से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत मानहानि के आरोप लगाने में प्रतिवादियों के कथित व्यवहार के बारे में है। कुछ इसी तरह की शिकायत जांच समिति के समक्ष भी की गई है। सिविल न्यायाधीश इसपर गौर करेंगे और न्याय किया जाएगा। ऐसे मामले में जांच समिति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चूंकि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, संबंधित न्यायाधीश जिनके समक्ष शिकायतें लंबित हैं, निस्संदेह मामले में स्वतंत्र रूप से और विधिनुसार कार्रवाई करेंगे। अतः जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि शिकायतों को निजी विवाद, जिसमें परिषद से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, के रूप में समाप्त किया जाए।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 16	**फा.सं.170 / 2020–ए**
शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री राकेश रंजन सुपुत्र श्री चतुर्भुज शर्मा औरंगाबाद (बिहार)	संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना (बिहार)

तथ्य

दिनांक 18.03.2020 की यह शिकायत, श्री राकेश रंजन, औरंगाबाद द्वारा संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना के विरुद्ध दिनांक 17.03.2020 के उनके अंक में "**काँग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर**" शीर्षक के तहत कथित रूप से निराधार, गलत और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, श्री कामेश्वर शर्मा के परिजनों ने मखमिलपुर गांव के पास उन्हें चाकू से गोद कर घायल कर दिया। आगे बताया गया कि कनप निवासी, श्री चतुर्भुज सिंह की पुत्री का विवाह गढ़ोपुर निवासी, श्री नारायण शर्मा के पुत्र से हुआ था। हालांकि, सामंजस्य की कमी के कारण, विवाह असफल रहा, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। तत्पश्चात, श्री नारायण शर्मा के साथ समझौता करने के लिए कनप निवासी अपने साथियों के साथ गद्दोपुर पहुंचे। इसी बीच जब श्री कामेश्वर शर्मा मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे तो दुल्हन के परिजनों ने उन्हें जबरन रोक लिया और एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने कहा कि श्री चतुर्भुज शर्मा (शिकायतकर्ता के पिता) के परिवार का कोई भी सदस्य उस स्थान पर मौजूद नहीं था, जहां घटना हुई थी और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि कथित

आक्षेपित समाचार शिकायतकर्ता के परिवार को जानबूझकर बदनाम करने के लिए प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आक्षेपित समाचार में नामित व्यक्ति, अर्थात्, श्री कामेश्वर शर्मा के पुत्र ने श्री चतुर्भुज शर्मा से कुछ पैसे लिए और चूंकि श्री चतुर्भुज शर्मा ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, उसके जवाब में, श्री कामेश्वर शर्मा ने श्री चतुर्भुज शर्मा के विरुद्ध जानबूझकर, झूठा आपराधिक मामला दर्ज़ किया। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि श्री कामेश्वर शर्मा एक सबल राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए, वह दुर्भावनापूर्ण इरादे से राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में झूठी खबर प्रकाशित करने में कामयाब रहे।

दिनांक 17.06.2020 को प्रतिवादी संपादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद अनुस्मारक दिनांकित 15.10.2020 जारी किया गया।

स्थानीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

स्थानीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 28.12.2020 में प्रस्तुत किया कि आक्षेपित समाचार, मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में, घायल व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर और थाने में दर्ज एफ़आईआर के आधार पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि आक्षेपित समाचार लगभग सभी स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया था और यदि शिकायतकर्ता को समाचार पर कुछ आपत्ति है, तो वह औरंगाबाद में समाचार पत्र के स्थानीय कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रतिवादी के अनुसार, यह माननीय न्यायालय को तय करना है कि दर्ज की गई एफ़आईआर सही है या नहीं और इसके लिए प्रतिवादी समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्तो के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दर्ज़ किया जा चुका है।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज़ प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने प्रति टिप्पणी दिनांकित 25.02.2021 में विवेचित किया है कि राष्ट्रीय सहारा के माध्यम से एफ़आईआर के बारे में जानने के बाद, उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक, अरवल को ठोस सबूत के साथ उचित जांच करने के अनुरोध के साथ लिखा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उचित जांच के लिए भी लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने कहा कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके और अरवल पुलिस तथा शायद राष्ट्रीय सहारा को भी रिश्वत देकर झूठी एफ़आईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि केवल उपलब्ध साक्ष्य, जो कि राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार था, के कारण उसके पिता, जोकि एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और समाज में सम्माननीय रहे हैं, को हथकड़ी पहननी पड़ी और 8 दिन जेल में बिताने पड़े। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने न केवल उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि इस साजिश में शामिल होकर, उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया है।

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि आक्षेपित समाचार एक साजिश के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने उनके परिवार के सदस्यों के नाम, पूरे डाक पते एवं सभी पारिवारिक मुद्दों सहित प्रकाशित किये और साथ में यह लिखा कि इन लोगों ने गंभीर आपराधिक कृत्य किये हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था और पेड मीडिया का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ अन्य उत्तर

स्थानीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना ने अपनी ई-मेल दिनांकित 07.04.2021 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि आपत्तिजनक समाचार को 16.03.2020 को दर्ज एफ़आईआर संख्या 99/20 के आधार पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे बताया कि उक्त एफ़आईआर के आधार पर, कई समाचार पत्रों ने समाचार प्रकाशित किया।

क्षेत्रीय संपादक, राष्ट्रीय सहारा ने अपने लिखित उत्तर दिनांकित 29.09.2022 में अपने लिखित कथन को दोहराते हुए बताया है कि एफ़आईआर में नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला आज, अर्थात्, 10.10.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

शिकायतकर्ता, श्री राकेश रंजन स्वयं उपस्थित हैं और जांच समिति के समक्ष प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व उसके परामर्शदाता, श्री रोशन लाल, ब्यूरो प्रमुख, राष्ट्रीय सहारा द्वारा किया गया।

दिनांक 18.03.2020 की यह शिकायत, श्री राकेश रंजन, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा संपादक, राष्ट्रीय सहारा, पटना के खिलाफ दिनांक 17.03.2020 के उनके अंक में "काँग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर किया चाकू से हमला, हालत गंभीर" शीर्षक के तहत कथित रूप से आधारहीन, गलत और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई है।

आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, श्री कामेश्वर शर्मा को मखमिलपुर गांव के पास, चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था। आगे बताया गया है कि श्री चतुर्भुज सिंह की पुत्री का विवाह गद्दोपुर निवासी, श्री नारायण शर्मा के पुत्र से हुआ था। विवाह के बाद सामंजस्य की कमी के कारण उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा और दोनों के बीच विवाद भी था। समाचार में बताया गया है कि कनप के निवासी, श्री नारायण शर्मा को समझौते के लिए राजी करने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ गद्दोपुर पहुंचे और बाद में लौट आए। इसी बीच जब कांग्रेस उपाध्यक्ष मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे तो मखमिलपुर गांव के पास दुल्हन के परिजनों ने उन्हें जबरन रोक लिया और कार में बैठे एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया, जिससे श्री कामेश्वर शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गये।

शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री चतुर्भुज शर्मा के परिवार का कोई भी सदस्य उस स्थान पर मौजूद नहीं था, जहां घटना हुई थी, और उन्हें एफ़आईआर के माध्यम से झूठा फंसाया जा रहा है और शिकायतकर्ता के परिवार को बदनाम करने के लिए आक्षेपित समाचार को जानबूझकर प्रकाशित किया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि श्री चतुर्भुज शर्मा 62 वर्षीय व्यक्ति हैं और पेशे से पिछले 30 से 35 वर्षों से शिक्षक हैं। समाचार में नामित व्यक्ति, श्री कामेश्वर शर्मा के बेटे ने श्री चतुर्भुज शर्मा से कुछ पैसे लिए हैं और चूंकि श्री चतुर्भुज शर्मा ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, उसके जवाब में, श्री कामेश्वर शर्मा ने जानबूझकर श्री चतुर्भुज शर्मा के खिलाफ एक झूठा आपराधिक मामला दर्ज़ किया है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने कहा है कि श्री कामेश्वर शर्मा एक सबल राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसलिए, वे दुर्भावनापूर्ण इरादे से राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में झूठी खबर प्रकाशित करने में कामयाब रहे हैं।

राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक द्वारा लिखित वक्तव्य दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि मीडियाकर्मियों की उपस्थिति में, घायल व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था और सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया। आगे कहा गया है कि पुलिस थाने में दर्ज एफ़आईआर और अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दर्ज़ होने के आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया था। इसलिए जांच समिति को ऐसा लगता है कि यह वैवाहिक कलह से उत्पन्न एक व्यक्तिगत विवाद है।

चूंकि एफ़आईआर दर्ज की जा चुकी है और आरोप पत्र भी दर्ज़ किया जा चुका है, मामला न्यायाधीन है, भारतीय प्रेस परिषद के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। हालांकि, शिकायतकर्ता उस तरह के कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि उसे उस एफआईआर, जिसके झूठा होने का दावा वह कर रहा है, के संबंध में सलाह दी जाए। जांच समिति यह स्पष्ट करती है कि मामले के गुण-दोष के आधार पर इसने कोई राय व्यक्त नहीं की है। संबंधित न्यायालय निस्संदेह ही स्वतंत्र रूप से और विधिनुसार निर्णय लेगा।

इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है, क्योंकि इसमें पत्रकारीय कर्तव्य का कोई उल्लंघन नहीं है।

निर्णय

प्रेस परिषद, मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 17 **फा.सं. 250/2020–ए**

शिकायतकर्ता

1. श्री सिद्धार्थ के.जे.,
   कैंपेन अगेन्स्ट हेट स्पीच,
   बेंगलुरु (कर्नाटक)

प्रतिवादी

1. श्री एम.गोविंद गौड़ा,
   संपादक, स्टार ऑफ मैसूर,
   मैसूरु
2. श्री के.बी. गणपति,
   मुख्य संपादक,
   स्टार ऑफ मैसूर, मैसूरु

तथ्य

दिनांक 3.5.2020 की यह शिकायत श्री सिद्दार्थ के जे, कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु द्वारा "स्टार ऑफ मैसूर", मैसूरु के खिलाफ उनके अंक दिनांकित 6.4.2020 में **"बैड एप्पल्स इन द बास्केट"** शीर्षक के तहत कथित रूप से भड़काऊ संपादकीय प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई थी।

आपत्तिजनक संपादकीय में जनसंख्या/समुदाय के एक विशेष वर्ग का संदर्भ "रॉटन एप्पल" या "बैड एप्पल", जो अपने आसपास के लोगों को अपने बुरे प्रभाव से संक्रमित करता है, के रूप में दिया गया है। कहावत "बैड एप्पल" की प्रासंगिकता की व्याख्या करते हुए, संपादकीय अंश में कहा गया है कि जिस तरह एक खराब सेब पूरी टोकरी के सेबों को खराब कर देता है, ठीक उसी तरह राष्ट्र की अठारह प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो सड़े हुए सेब के रूप में है, जिसमें सरकार के कार्यकर्ताओं में भी वे मौजूद हैं। इसके आगे, संपादकीय कॉलम में समाज में उस खराब मानसिकता (रॉटन एप्पल) से छुटकारा पाने के समाधान का सुझाव दिया है, जिसका अभिप्राय सिंगापुर के पूर्व नेता द्वारा कुछ दशक पहले की गई कार्रवाई से है या जैसा कि इस समय इज़राइल में नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। इसमें विवेचित किया गया है कि समाज में खराब मानसिकता वाले लोग खूंखार वायरस से भी ज्यादा हानिकारक हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने आक्षेपित संपादकीय में एक समुदाय के खिलाफ घृणित/भड़काऊ सामग्री प्रकाशित की। संपादकीय में खराब मानसिकता वाले लोग 'बैड एप्पल्स' के रूप में दिये गए संदर्भ में स्पष्ट रूप से सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी ने अपने अंक दिनांकित 10.4.2020 में एक माफीनामा प्रकाशित किया है और संपादकीय को अपनी वेबसाइट और पेपर के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से हटा दिया है। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया है कि इस तरह की माफी से यह पता नहीं चलता कि तथ्यों और कानून की दृष्टि से संपादकीय कैसे खराब था। न ही यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने में, समाचारपत्र द्वारा निभाई गई निंदनीय भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, जिसके कारण वास्तव में उस समुदाय के खिलाफ ऐसी घटनायें होने लगीं।

स्टार ऑफ मैसूर के मुख्य संपादक और संपादक को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 19.5.2020 जारी किये गये, जिसके बाद समयबद्ध अनुस्मारक दिनांकित 13.1.2021 भी जारी किया गया।

मुख्य संपादक, स्टार ऑफ मैसूर का लिखित वक्तव्य

श्री के.बी. गणपति, मुख्य संपादक और श्री एम. गोविंद गौड़ा, संपादक, स्टार ऑफ मैसूर ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 23.1.2021 प्रस्तुत किये हैं। श्री के.बी. गणपति ने बताया कि वह अब समाचारपत्र के मुख्य संपादक नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र के कारण इस्तीफा दे दिया है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, उन्होंने निवेदन किया कि संपादकीय का उद्देश्य, दिल्ली और देश में अन्य स्थानों की तरह, घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के बारे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर, जन स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के बारे में जनता को सावधान करना था। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और संपादकीय को सद्भावना से लिखा गया था। प्रतिवादियों के अनुसार, यह सच है जब संपादकीय प्रकाशित किया गया था, पाठकों के कुछ वर्गों ने इसकी सामग्री को गलत समझा और उसके बारे में स्टार ऑफ मैसूर को बताया। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि समाचार पत्र ने तुरंत एक माफीनामा प्रकाशित किया, जिसे शिकायत के साथ संलग्न किया गया था। श्री एम गोविंद गौड़ा ने कहा कि पहले से ही प्रकाशित क्षमायाचना और उस समय जब पूरे देश में कोरोना वायरस अपने चरम पर था, तब जनता की भलाई के लिए जिस सद्भावना के साथ संपादकीय प्रकाशित किया गया था, उसे देखते हुए, मामले को जांच समिति के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों से प्राप्त अन्य पत्र

श्री एम. गोविंद गौड़ा, संपादक और श्री के.बी. गणपति-पूर्व मुख्य संपादक ने अपने संयुक्त उत्तर दिनांकित 12.2.2021 में प्रस्तुत किया कि संपादकीय के प्रकाशन का उद्देश्य लोगों के कुछ वर्गों, या बहुलतावादी समाज के खिलाफ पाठकों को सावधान करना था, जो सरकार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। न तो किसी समुदाय के नाम का जिक्र था और न ही किसी के प्रति कोई दुर्भावना थी। यह लोगों के स्वास्थ्य के हित में सद्भावना से लिखा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने "बैड एप्पल्स" शब्दों के बारे में बहुत शोर मचाया है, जबकि सच यह है कि संपादकीय में उन लोगों को दंडित करने का सुझाव दिया गया है, जो मास्क पहनना,

सामाजिक दूरी आदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता प्रकाशन से आहत हैं, तो वे शिकायतकर्ता से क्षमा याचना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बताया गया था कि लोगों के कुछ वर्गों द्वारा संपादकीय को गलत समझा गया था, इसलिए पहले पृष्ठ पर माफीनामा प्रकाशित किया गया था। इसके अंतिम पैरा में कहा गया था, "स्टार ऑफ मैसूर निर्णय में चूक के लिए निष्ठापूर्वक खेद वक्तव्य करता है और माफी मांगता है" और इसे स्वीकार कर लिया गया।

प्रतिवादियों के वकील ने पत्र दिनांकित 19.09.2022 के माध्यम से, पूर्व लिखित वक्तव्य के तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि आक्षेपित संपादकीय, अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर एक निष्ठापूर्ण पत्रकारिता संबंधी अभिव्यक्ति है और पत्रकारिता के मानकों या लोक रुचि को ठेस नहीं पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित संपादकीय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153-ए के तहत दंडात्मक नहीं है।

प्रतिवादियों के वकील ने पत्र दिनांकित 21.09.2022 के माध्यम से, प्रतिवादी द्वारा पहले दर्ज किए गए उत्तर के तथ्यों को दोहराते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शिकायत निर्दिष्ट कारणों से योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने झूठा आरोप लगाया है कि आक्षेपित संपादकीय ने एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया और उसके खिलाफ हिंसा का आह्वान किया है।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला 21.09.2022 को जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की परामर्शदाता, सुश्री मोक्षा शर्मा, समिति के समक्ष उपस्थित हुईं; जबकि प्रतिवादी के परामर्शदाता, श्री कुणाल तिवारी और श्री राघव अवस्थी, समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

दिनांक 03.05.2020 की यह शिकायत श्री सिद्धार्थ केजे द्वारा कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु की ओर से "स्टार ऑफ मैसूर", मैसूरु के अंक दिनांकित 06.04.2020 में "बैड एप्पल्स इन द बास्केट" शीर्षक के तहत उत्तेजक संपादकीय प्रकाशित करने के लिए दर्ज की गई है।

जांच समिति ने शिकायतकर्ता की परामर्शदाता, सुश्री मोक्षा शर्मा और प्रतिवादी के परामर्शदाता, श्री कुणाल तिवारी और श्री राघव अवस्थी के पक्षों को सुना। प्रतिवादियों द्वारा लिखित निवेदन दर्ज किए गए हैं, जिनका समिति द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। जांच समिति ने आक्षेपित संपादकीय को भी ध्यान से पढ़ा। जांच समिति का मत है कि यह सम्पादकीय भले ही कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया हो, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि इसमें एक समुदाय अर्थात, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि समुदाय का नाम विशेष रूप से नहीं लिया जा रहा है, परंतु लेख के कुछ वाक्यों में इसके संकेत मिलते हैं। लेखक का कहना है कि *"the nation is currently hosting an annoying 18 percent of its population*

self-identifying as rotten apples." Further, objectionable sentence is "but the unedifying conduct of some sections in the population, marked by their faith and other features including their attire may bring to our mind the analogy of bad apples in the basket."

लेखक आगे कहते हैं, *"An ideal solution to the problem created by bad apples is to get rid of them, as the former leader of Singapore did a few decades ago or as the leadership in Israel is currently doing."*

यह निष्कर्ष निकालने के लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है कि एक विशेष समुदाय को टार्गेट किया गया है। जब हमने प्रतिवादियों के विद्वान परामर्शदाता से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी विशेष समुदाय को टार्गेट करना नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि 'तब्लीगी जमात' के कारण महामारी फैली और पाकिस्तान के समाचार पत्रों में भी ऐसा बताया गया है। वास्तव में, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी अखबार क्या लिखते हैं। हम भारत की तुलना पाकिस्तान से नहीं करते। समिति केवल आक्षेपित लेख पर ही ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव करती है।

समिति का ऐसा मानना है कि संपादकीय भले ही कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक समुदाय विशेष की ओर इशारा कर रहा है और उसे महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। महामारी फैलने के लिए किसी समुदाय विशेष को दोष देना अनुचित है। प्रासंगिक अवधि के दौरान कई खामियां थीं और हम एक निश्चित समुदाय के लोगों की पहचान, उन खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नहीं कर सकते।

किसी भी परिस्थिति में प्रेस को ऐसे विभाजनकारी कृत्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रेस को सभी समुदायों के लोगों के बीच भाईचारे का संदेश फैलाना है। उसे भारत की 'विविधता में एकता' को मजबूत करना है। इसे सांप्रदायिकता की आग भड़काने वाले भड़काऊ लेखन को प्रकाशित करने से परे रहना चाहिए।

इस संबंध में, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 से कुछ मानकों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। **"जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख"** शीर्षक के तहत प्रासंगिक मानक निम्नानुसार हैं: -

4(i) सामान्यत: किसी व्यक्ति की या वर्गविशेष की जाति पहचान न की जाए, खास तौर पर यदि उस संदर्भ में उससे उस जाति के प्रति अनादरपूर्ण भाव का बोध हो या अनादरपूर्ण आचरण अथवा व्यवहार का आरोपण होता हो|

4(vi) यह सुनिश्चित करना समाचारपत्र का कर्तव्य है कि लेख के सुर,भावना तथा भाषा का स्वरूप आपत्तिजनक ,उत्तेजक, देश की एकता एवं अखंडता तथा संविधान की भावना के विरुद्ध, राजद्रोहात्मक और भड़काने वाला न हो या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा न करे| उसमें देश के विभाजन को प्रोत्साहित करने का प्रयास न किया गया हो|

4(xiv) प्रेस से आशा की जाती है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने एवं उसे बनाये रखने में करेगी|

4(xv) सामुदायिक तानाबाना बहुत ही कोमल होता है| समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न भाषाओं में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए|

इस मामले में, संपादक ने इन मानकों का अनुसरण नहीं किया है। संपादक द्वारा मांगी गई माफ़ी का अनूदित वर्तन इस प्रकार है:

"स्टार ऑफ मैसूर में 6 अप्रैल, 2020 के अंक में पृष्ठ-2 पर ***"बैड एप्पलस इन द बास्केट"*** *शीर्षक वाले संपादकीय के प्रकाशन के बाद, हमें पता चला है कि इससे हमारे कुछ पाठकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह मुख्य रूप से घातक कोविड-19 के प्रसार पर केंद्रित था।*

यदि निर्णय में हमारी चूक से, हमारे सम्मानित पाठकों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो एसओएम निष्ठापूर्ण खेद व्यक्त करता है और इसके लिए क्षमा याचना करता है।"

दुर्भाग्यवश, हमे ऐसा लगता है कि प्रतिवादी क्षमा याचना नहीं करना चाहते थे या शायद इसे वापस लेना चाहते थे। वास्तव में, परामर्शदाता का कहना है कि माफी इसलिए मांगी गई, क्योंकि भीड़ और दंगाइयों ने समाचारपत्र के कार्यालय को घेर लिया था। इसलिए क्षमा वास्तविक नहीं है। यह घटिया किस्म की पत्रकारिता का उदाहरण है।

इसलिए, समिति परिषद को समाचार पत्र 'स्टेट ऑफ मैसूर' की कड़ी **परिनिंदा** करने की सलाह देती है। आदेश की प्रति महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, कर्नाटक सरकार बेंगलुरु और जिला मजिस्ट्रेट, मैसूर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा सकती है। ।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए 'स्टेट ऑफ मैसूर' समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय
दिनांकित 15.11.2022

क्र. सं. 18 **फा.सं. 09/2020–ए**

शिकायतकर्ता
3. श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय,
जयपुर
(राजस्थान)

प्रतिवादी
संपादक,
दैनिक भास्कर,
जयपुर (राजस्थान)

तथ्य

यह शिकायत दिनांक 13.12.2019 को श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर (राजस्थान) द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर (राजस्थान) के खिलाफ, दिनांक 30.10.2019 को प्रकाशित क्लासीफाइड विज्ञापनों के विज्ञापनदाताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराने के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने 30.10.2019 को प्रकाशित क्लासीफाइड विज्ञापनों में दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क किया, तो उसे विज्ञापनों में उल्लिखित योजनाओं, लाभों और भाषा के बारे में संदेह हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने प्रतिवादी से कई बार विज्ञापनदाताओं के पते उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि वह उन्हें पैसे भेजने से पहले, उचित पूछताछ कर सके। कोई भी जवाब न मिलने पर, वे 18.11.2019 और 19.11.2019 को प्रतिवादी समाचार पत्र के कार्यालय गए और क्षेत्रीय संपादक से मिले। शिकायतकर्ता ने आगे निवेदन किया कि 28.11.2019 को, उन्हें प्रतिवादी समाचारपत्र से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया था कि 'कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वे कोई विवाद न होने तक किसी विज्ञापनदाता का पता साझा नहीं कर सकते'। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने प्रतिवादी को दिनांक 29.11.2019 को फिर से ईमेल भेजा, जिसमें उसने कंपनी की उस पॉलिसी, जिसमें कोई विवाद न होने तक किसी विज्ञापनदाता का पता साझा करने से रोका गया हो, की प्रति के साथ, ऐसे विवाद की श्रेणी व प्रकृति की जानकारी उदाहरण सहित प्रदान करने का अनुरोध किया, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 11.2.2020 के बाद समयबद्ध अनुस्मारक जारी किया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 11.10.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री

ओम प्रकाश विजयवर्गीय, शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व परामर्शदाता, श्री रीताज सिंह ने किया।

यह शिकायत दिनांक 13.12.2019 को श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय ने दैनिक भास्कर, जयपुर (राजस्थान) के संपादक के विरुद्ध दर्ज़ की थी। प्रतिवादी के परामर्शदाता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा शिकायतकर्ता के साथ विज्ञापन नीति साझा की जाएगी और उस के लिए प्रतिवादी को समय दिया जाये। जांच समिति समय देने की इच्छुक नहीं है। गौरतलब है कि संपादक को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 11.2.2020 जारी किया गया था, लेकिन दैनिक भास्कर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। समयबद्ध अनुस्मारक दिनांकित 13.11.2020 जारी किया गया था, हालांकि, दैनिक भास्कर ने कोई लिखित वक्तव्य दर्ज नहीं किया है और आज, इस आधार पर स्थगन मांगा गया है कि शिकायतकर्ता के साथ विज्ञापन नीति साझा की जाएगी। जांच समिति स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार करती है। यद्यपि शिकायतकर्ता की प्रार्थना यह है कि दैनिक भास्कर 13.10.2019 को प्रकाशित क्लासीफाइड विज्ञापनों के विज्ञापनदाताओं का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, वह वास्तव में समाचार पत्र दैनिक भास्कर पर, अंशकालिक नौकरियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करते हुए, प्रस्तावित नौकरी के बारे में कोई विवरण न देने पर हमला कर रहा है। मोबाइल नंबरों को छोड़कर कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसा कि जांच समिति के दिनांक 18.2.2021 के आदेश से पता चलता है और आज शिकायतकर्ता द्वारा इसके समक्ष तर्क दिया गया कि अंशकालिक नौकरियों के लिए क्लासीफाइड विज्ञापन परिषद द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में समिति को पत्रकारिता के आचरण के मानक 2020 के खंड 2(xxvii) का उल्लेख करना चाहिए। यह निम्नानुसार पठनीय है:-

नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने की स्थिति में भावी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह "मानव तस्करी" को सरल बना सकता है जिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार बन जाएंगे |

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौंपे जाने वाले काम की प्रकृति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले |

****"अस्वीकरण" का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं करेगा*** |

इस प्रकार, केवल फोन नंबरों के साथ और संभावित उम्मीदवारों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले काम की प्रकृति जैसे कोई और विवरण दिये बिना नौकरी के विज्ञापनों को प्रकाशित करना, इस मानक द्वारा निषिद्ध है, क्योंकि इससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस मानक के अनुसार,

समाचार पत्र को संभावित उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले भावी कार्य की प्रकृति को प्रकाशित करना होगा, ताकि अनैतिक अभ्यास को बढ़ावा देने से बचा जा सके। गौरतलब है कि अस्वीकरण प्रकाशित करने से समाचारपत्र अपने दायित्व से विमुक्त नहीं हो जाता है।

जांच समिति ने विज्ञापनों का अवलोकन किया। उनमें नौकरी की प्रकृति और नौकरी का प्रस्ताव देने वाली कंपनी के नाम का कोई विवरण दिए बिना, अंशकालिक नौकरी के प्रस्ताव दिये गए हैं। सिर्फ मोबाइल नंबर दिया गया है। जब शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह पता लगाने के लिए विवरण मांगा कि नौकरी का प्रस्ताव भरोसेमंद है या नहीं, तो यह कहते हुए उसे टाल दिया गया कि कंपनी पॉलिसी के अनुसार, समाचारपत्र, विज्ञापनदाता के विवरण को तब तक साझा नहीं कर सकता, जब तक कि कोई विवाद न हो। पॉलिसी को सामने नहीं रखा गया है। जांच समिति ने पॉलिसी आज भी नहीं देखी है। संबंधित विज्ञापन, स्पष्ट रूप से पूर्वोक्त मानक का उल्लंघन करते हैं। इस मानक के पीछे ठोस कारण है। इस तरह के विज्ञापन असंदिग्ध लड़कों और लड़कियों को आकर्षित करते हैं। वित्तीय सुरक्षा देने वाली कुछ नौकरियां पाने की उम्मीद में, वे मानव तस्करी के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए, ऐसे विज्ञापनों में नौकरी की प्रकृति, कंपनी का पता आदि का विवरण होना चाहिए। भारतीय प्रेस परिषद ने समय-समय पर ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की परिनिंदा की है, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे केवल यह पता चलता है कि ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र अपनी उन्नति और धन को सामाजिक हित से ऊपर रखते हैं। इसलिए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह समाचार पत्र, दैनिक भास्कर की **कड़ी परिनिंदा** करे और अपने आदेश की प्रति निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं जिला मजिस्ट्रेटों, जयपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करें। परिषद को दैनिक भास्कर को निदेश देना चाहिए कि वह इस तरह के विज्ञापनों का प्रकाशन तुरंत बंद कर दे।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए दैनिक भास्कर समाचार पत्र की **कड़ी परिनिंदा** करने और उपर्युक्त निदेशों के अनुसार, आदेश को अग्रेषित करने का निर्णय लेती है। आगे, यह दैनिक भास्कर को निदेश देती है कि वह तत्काल प्रभाव से ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करना बंद कर दे।

******

तिमाही के दौरान प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश - विषयगत सूची

क्र.सं.	विषय	रद्दीकरण और अस्वीकृति	आदेश की तिथि	निर्णय
1.	श्री शरद औदिच्य, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, म.प्र. की जिला मजिस्ट्रेट, सतना, म.प्र. के विरुद्ध अपील मि.सं.27/69/22-23	घोषणा का प्रमाणीकरण रद्द कर दिया गया है।	19/10/2022	समाप्त

प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8 -सी॰जी॰ओ॰कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email :secy-pci@nic.in;pcibppeditorial@gmail.com;Website :www.presscouncil.nic.in

मि.सं.27/69/22-23-पीआरएबी-पीसीआई
दिनांकित: 10.11.2022

मद सं. 1

श्री शरद औदिच्य, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक, सेमरिया एक्सप्रेस, सतना, म.प्र. की जिला मजिस्ट्रेट, सतना, म.प्र. के विरुद्ध अपील

अपीलकर्ता
श्री प्रवेश शर्मा
दिल्ली ब्यूरो, सेमरिया एक्सप्रेस

प्रतिवादी
श्री जॉयस फिलिप, सहायक प्रेस पंजीयक, आरएनआई

आदेश
दिनांकित 19 अक्टूबर, 2022

यह अपील श्री शरद औदिच्य, संपादक, प्रकाशक, मुद्रक, *'सेमरिया एक्सप्रेस'*, सतना, म.प्र. द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (पीआरबी अधिनियम) की धारा 8 ग के तहत, जिला मजिस्ट्रेट, सतना, म.प्र. द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.1.2022 के विरुद्ध दर्ज़ की गई है।

आक्षेपित आदेश में विवेचित किया गया है कि अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 28.12.2021 जारी किया गया था, जिसमें विवेचित किया गया था कि समाचारपत्र *'सेमरिया एक्सप्रेस'* लगातार ऐसे समाचार प्रकाशित करता है, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। सतना के कई लोगों ने शिकायत की है कि *'सेमरिया एक्सप्रेस'* झूठी खबरें या ऐसी खबरें प्रकाशित करता है, जिनसे लोगों को ब्लैकमेल करता है। अपीलकर्ता को यह कहने के लिए बुलाया गया था कि पीआरबी अधिनियम की धारा 8 ग, 14, 15 और 15 (2) के अंतर्गत, *'सेमरिया एक्सप्रेस'* की घोषणा रद्द क्यों नहीं की जानी चाहिए। आक्षेपित आदेश में आगे बताया गया है कि अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह विवेचित करते हुए उत्तर

भेजा कि यदि समाचारपत्र गलत समाचार या ऐसे समाचार, जिनसे लोगों को ब्लैकमेल करता है, या कोई अप्रमाणिक समाचार प्रकाशित कर रहा है, जैसाकि आरोप लगाया गया है, तो प्रभावित लोग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत मामले दर्ज कर सकते हैं। हालांकि किसी ने ऐसा नहीं किया। यह भी विवेचित किया गया है कि समाचारपत्र के प्रकाशन और छपाई के संबंध में नियमों का उल्लंघन होने पर धारा 14 और 15 (2), कार्रवाई में बदल जाती है। इस मामले में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है। कारण बताओ नोटिस में यह नहीं बताया गया है कि पीआरबी अधिनियम के किसी नियम का उल्लंघन किस तरह हुआ है। कोई विवरण नहीं दिया गया है। अपीलकर्ता के जवाब को उद्धृत करने के बाद आक्षेपित आदेश में आगे बताया गया है कि अपीलकर्ता ने समुचित उत्तर दाखिल नहीं किया है। अपीलकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में कोई जवाब दिए बिना केवल कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाया है। तब जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, अपीलकर्ता को हिरासत में लिये जाने का उल्लेख किया है और बताया कि सलाहकार बोर्ड ने अपीलकर्ता की घोषणा को रद्द करने के लिये कहा था। कलक्टर ने अंततः यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की, कि अपीलकर्ता ने पीआरबी अधिनियम की धारा 14, 15 और 15 (2) का उल्लंघन किया है और इसी कारण पीआरबी अधिनियम की धारा 8 ग के अंतर्गत, *'सेमरिया एक्सप्रेस'* की घोषणा रद्द की गई है।

हमने श्री प्रवेश शर्मा, *'सेमरिया एक्सप्रेस'* के दिल्ली क्षेत्र के ब्यूरो चीफ को सुना। जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं कर रहा है, हालांकि जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस सेवित किया गया है। श्री जॉयस फिलिप, सहायक प्रेस पंजीयक, आरएनआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने उन्हें सुना है।

हमने आरएनआई द्वारा दाखिल किए गए कई उत्तरों का अवलोकन किया। आरएनआई ने अपने उत्तर दिनांकित 20.06.2022 में विवेचित किया कि *'सेमरिया एक्सप्रेस'* ने पिछले पांच वर्षों से वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है। पत्र दिनांकित 12.11.2021 के साथ ईमेल दिनांकित 26.11.2021 तथा अन्य ईमेल दिनांकित 03.03.2022 के साथ अनुस्मारक दिनांकित 21.02.2022 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी गई। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आगे यह बताया गया कि इस मामले में जांच करने के पश्चात्, समाचारपत्र को निष्क्रिय सूची में रखा गया। आरएनआई ने अपने उत्तर दिनांकित 29.08.2022 में बताया कि आरएनआई को जिला मजिस्ट्रेट से पत्र दिनांकित 12.01.2022 प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उन्हें प्राप्त शिकायतों को देखते हुए अपीलकर्ता के समाचारपत्र की घोषणा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, उक्त पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के पदनाम और उनके कार्यालय की मोहर नहीं लगाई गई थी, जिसके कारण आरएनआई ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र दिनांकित 29.06.2022 जारी कर इस पर उनका स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए, ऐसा लगता

है कि जहां तक आरएनआई का संबंध है, अपीलकर्ता की घोषणा रद्द नहीं की गई है। आरएनआई द्वारा पुनः दोहराया गया है कि *'सेमरिया एक्सप्रेस'* ने पिछले पांच वर्षों से अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है, जिसके कारण प्रकाशन को निष्क्रिय सूची में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट को पत्र दिनांकित 26.11.2021 द्वारा स्थिति से अवगत कराया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 21.11.2022 को पत्र व बाद में अनुस्मारक भी भेजा गया, लेकिन उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आरएनआई ने विवेचित किया कि अभीष्ट रिपोर्ट मिलने के बाद ही वे आवश्यक कार्रवाई शुरू करेंगे। आरएनआई ने अपने अन्य उत्तर दिनांकित 22.09.2022 में, विवेचित किया है कि यदि घोषणा के बारे में कोई संदेह है, तो आरएनआई जिला मजिस्ट्रेट का ध्यान उस ओर आकृष्ट करेगा और चूंकि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस घोषणा की वैधता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जानी है।

आरएनआई द्वारा दर्ज़ सभी जवाबों से ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता ने पिछले पांच वर्षों से वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है और इसलिए, उसके शीर्षक को निष्क्रिय सूची में रखा गया है और चूंकि आरएनआई को जिला मजिस्ट्रेट का घोषणा रद्द करने से संबन्धित पत्र, उचित मोहर और कार्यालय की मुहर के बिना प्राप्त हुआ है, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसलिए आरएनआई के रिकॉर्ड में यह उल्लेख नहीं है कि *सेमरिया एक्सप्रेस* की घोषणा निरस्त कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई को लेकर हमें अपनी नाराजगी अवश्य ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। पीआरबी अधिनियम की धारा 8 ख के अंतर्गत, झूठे समाचार या अपमानजनक रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्टों का प्रकाशन, जो कथित रूप से लोगों को ब्लैकमेल करें, घोषणा को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। आईपीसी और अन्य प्रासंगिक कानूनों के कई प्रावधानों द्वारा ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। धारा 8 ख के अंतर्गत, निम्नलिखित आधारों पर घोषणा को रद्द किया जा सकता है:

8 ख. घोषणा का रद्द किया जाना - *यदि प्रेस रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर अथवा अन्यथा इस अधिनियम के अधीन घोषणा अधिप्रमाणित करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट की यह राय है कि किसी समाचारपत्र के बारे में की गई कोई घोषणा रद्द की जानी चाहिए तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शित करने या अवसर देने के पश्चात् उस मामले की जांच कर सकेगा और यदि ऐसे व्यक्ति दवारा दिखाए गए कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका वह समाधान हो जाता है कि-*

(i) वह समाचारपत्र जिसके बारे में घोषणा की गई है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है ; या

(ii) घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का नाम वही है, या उस नाम से मिलता जुलता है, जो या तो उसी भाषा में या उसी राज्य में प्रकाशित किसी समाचारपत्र का है: या

(iii) मुद्रक या प्रकाशक, उस घोषणा में उल्लिखित समाचारपत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रह गया है; या

(iv) घोषणा, मिथ्या व्यपदेशन पर या किसी सारवान् तथ्य को छिपाकर की गई थी या ऐसी कालिक कृति के बारे में की गई थी, जो समाचारपत्र नहीं है;

तो वह मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा घोषणा रद्द कर सकेगा और आदेश की एक प्रति घोषणा करने वाले या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को तथा प्रेस रजिस्ट्रार को भी यथाशक्य शीघ्र भेजेगा |

धारा 8 ग में, इस बोर्ड में अपील करने का प्रावधान दिया हुआ है। यदि शिकायतकर्ता ने पिछले पांच वर्षों से वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है, तो पीआरबी अधिनियम की धारा 19 घ लागू होती है, जोकि सम्बद्ध मामले में निम्नानुसार पठनीय है:-

19 घ. समाचारपत्रों द्वारा वार्षिक विवरण आदि का दिया जाना - *प्रत्येक समाचारपत्र के प्रकाशक का यह कर्त्तव्य होगा----*

(क) कि वह प्रेस रजिस्ट्रार को समाचारपत्र की बाबत ऐसे समय पर और धारा 19 ख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियों सहित, जो विहित की जाएं, एक वार्षिक विवरण दें

(ख) .....

अतः, यदि *'सेमरिया एक्सप्रेस'* ने पिछले पांच वर्षों हेतु वार्षिक विवरण दर्ज नहीं किया है, तो पीआरबी अधिनियम की धारा 8 ख (i) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसे हमने यहां ऊपर उद्धृत किया है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि समाचारपत्र पीआरबी अधिनियम और उसके तहत उपबंधों के उल्लंघन में प्रकाशित किया जा रहा है तो उसकी घोषणा रद्द की जा सकती है। दुर्भाग्यवश, जिला मजिस्ट्रेट, न तो कारण बताओ नोटिस न ही आक्षेपित आदेश में, इस बात का जिक्र करते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया गया। शायद, इस मामले में सबसे बड़ी कमी यही है कि मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलु के बारे में अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस से, कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। यह केवल धाराओं को उद्धृत करता है और इस बात का जिक्र बिलकुल नहीं करता कि अपीलकर्ता ने किस प्रकार, उन धाराओं का उल्लंघन किया है। इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता अपने विरुद्ध सिद्ध किए गए मामले को प्रभावी ढंग से नहीं जान सका। आक्षेपित आदेश तक में भी केवल धाराओं का उल्लेख किया गया है। यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार उनका उल्लंघन किया गया है। रद्द करने के लिए जो कारण दिए गए हैं, वे पूरी तरह से असंगत हैं। हम दोहरातें हैं कि पीआरबी अधिनियम के अधीन, घोषणा को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि समाचारपत्र झूठी खबरें प्रकाशित करता है या ऐसी खबरें प्रकाशित करता है, जिनसे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। धारा 14, जिसका संदर्भ कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ आक्षेपित आदेश में भी दिया गया है, इस मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं होती है।

धारा 14 में मिथ्या कथन करने पर दंड का प्रावधान है। यह दंडात्मक प्रावधान है। यह पीआरबी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन घोषणा में या अन्य मिथ्या कथन से संबंधित है। यहां ऐसा नहीं है। कारण बताओ नोटिस और आक्षेपित आदेश में धारा 15 का भी उल्लेख किया गया है। इस धारा में नियमों का अनुपालन किए बिना समाचारपत्र के मुद्रण या प्रकाशन के लिए शास्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 15(2) में दंड और घोषणा रद्द करने का भी प्रावधान है। इस प्रकार धारा 15 निम्नानुसार पठनीय है:------

> ***15. नियमों का अनुपालन किए बिना समाचारपत्र के मुद्रण या प्रकाशन के लिए शास्ति****-----(1) जो कोई, इसमें इसके पूर्व अधिकथित नियमों का अनुपालन किए बिना किसी समाचारपत्र का संपादन, मुद्रण या प्रकाशन करेगा, या जो कोई यह जानते हुए कि उस समाचारपत्र की बाबत उक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है, किसी समाचारपत्र का संपादन, मुद्रण या प्रकाशन करेगा या उसका संपादन, मुद्रण या प्रकाशन करवाएगा, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो, 2 [दो हजार] रूपए से अधिक का नहीं होगा या कारावास से, जिसकी अवधि 3 [छह मास] से अधिक की नहीं होगी, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।*
>
> *(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी समाचारपत्र के सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है वहां मजिस्ट्रेट, उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित दंड के उक्त अतिरिक्त, उस समाचारपत्र की बाबत की गई घोषणा को भी रद्द कर सकेगा।*

वार्षिक विवरणों को दाखिल न करने को, धारा 15 के अधीन कवर किया गया है और इस आधार पर घोषणा को धारा 15 (2) के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है - जिसका उल्लेख, इस बात का जिक्र करते हुए, कि *'सेमरिया एक्सप्रेस'* ने किस प्रकार नियमों का पालन नहीं किया है, कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ आक्षेपित आदेश में भी किया जाना चाहिए। इस चरण में, हम धारा 8 ग का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसका संदर्भ दिया गया है, क्योंकि धारा 8 ग में भी घोषणा को रद्द करने का प्रावधान है। इसमें उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट के, धारा 6 के अधीन किसी घोषणा को अधिप्रमाणित करने से इंकार करने वाले आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 8 ग के अंतर्गत अपील दर्ज़ कर सकता है। इस मामले में, घोषणा को अधिप्रमाणित करने से इनकार नहीं किया गया है, अतः धारा 8 ग का पहला भाग भी इस मामले से सम्बद्ध नहीं है।

कुल मिलाकर, हम यह टिप्पणी करने के लिये बाध्य हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों को उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ने में विफल रहे हैं। हम यह देखकर भी हैरान हैं कि जब आरएनआई ने जिला मजिस्ट्रेट को इतने पत्र लिखे हैं, तो भी उन्होंने उन पत्रों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उन्होंने किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में, आरएनआई और जिला मजिस्ट्रेट के बीच उचित समन्वय या सहयोग नहीं दिखाई पड़ता है।

मामले की परिस्थितियों में, हमारे पास एकमात्र रास्ता यही है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए और मामले का वापस भेज दिया जाए। इसलिए, हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को जिला मजिस्ट्रेट को वापिस भेजते हैं, ताकि वह नया कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात्, विधिनुसार उचित कदम उठा सकें। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि मामले की योग्यता पर बोर्ड द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, वह इस मामले का निपटान, स्वतंत्र रूप से और विधिनुसार करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। आरएनआई और शिकायतकर्ता, दोनों, जिला मजिस्ट्रेट के साथ सहयोग करेंगे।

इससे अलग होने से पहले, हमें कुछ टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए। कई मामलों में, हमने यह गौर किया कि जिला मजिस्ट्रेट, असंगत आधारों जैसे झूठे समाचार, फर्जी समाचार, लोगों को ब्लैकमेल करने वाले समाचार प्रकाशित करने पर घोषणा को रद्द कर देते हैं। घोषणा को रद्द करने के लिए इन आधारों का उपयोग नहीं किया जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। यह उनकी शक्तियों के दायरे में नहीं आता है। फ़ौजदारी और दीवानी न्यायालय ऐसी दलीलों पर विचार कर सकते हैं और उचित आदेश पारित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि प्रेस रजिस्ट्रार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेटों तथा आरएनआई के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिएं और उनके द्वारा यह तभी किया जा सकता है, जब वह जिला मजिस्ट्रेटों और आरएनआई के अधिकारियों के बीच, नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करें। हमें आशा और पूरा विश्वास है कि पीआरबी अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु, प्रेस रजिस्ट्रार वैसे ही आवश्यक कार्रवाई करेंगे जैसे कि हमने टिप्पणी की है। उपर्युक्त को देखते हुए, इस अपील को समाप्त किया जाता है।

ह0/-
(जय शंकर गुप्ता)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
माननीय अध्यक्ष